"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत दाक मुख्य के नगद भुगतान (बिना दाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगद गजट / 38 सि, से, मिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छस्तीसगद/ङ्गां/09/2013-2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

रायपुर, बुधवार, विनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, जक 1940

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

#### नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ (1) ये नियम छत्तीसगढ श्रीक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
  - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ शासन;
  - (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
  - (ग) "समिति" से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नित समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
  - (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत हैं इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
  - (ड) "शासन" से अभिग्रेत है छल्लीसगढ़ जासन;
  - (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छलीसगढ़ के राज्यपाल;
  - (छ) "अन्य पिछन्ने वर्ग" से अभिग्रेत है राज्य झासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ -8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अगिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);
- (व) "राज्य" से अभिप्रेत है छरतीसगढ़ राज्य।
- (ड) विव्यांगजन से अभिप्रेत है,-
  - (1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नालिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :-
    - (एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;
    - (दो) बेहतर आंख में परिषाधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैंलन) से अधिक न हो, था
    - (तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।
  - (2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्यास बेहतर कान में 80 डेसियल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनों कानों में सुनने का पूरा ह्यास हो।
  - (3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हब्बियों, मांस पेशियों या जोडो की सामान्य कियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।
- (ढ) 'नेट' से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

- (ण) "सेट/रलेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/रलेट परीक्षा।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शतें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपवंधों की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
  - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
  - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;और
  - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में मर्ती किए गये हों।
- 5. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर संकेगा।

- 5. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंग होने के पश्चात्. सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात:—
  - (क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा;
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

- (घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क). (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किथे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के प्ररामर्श से अवधारित की जाएगी।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते.— सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात्—

- (एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
  - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
  - (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:-
    - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
    - (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थावी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकिस्मकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुझेय होगी।
    - (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्यरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (ड.) ऐसा अध्यर्थी, जो "गूलपूर्व रौनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुझात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात:-
  - (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो:
  - (वो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो,
     और जिन्हें—
    - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

- (ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने घर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो:
- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मितित हैं);
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत वम्पत्तियों के सवर्ण प्रति/प्रत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्थयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

- छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी वाहिए।
- (ञ) सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / कीडाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप—खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
  - (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (दों) शैक्षणिक अर्हताएं अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शित है: परन्तु —
  - (1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गईं अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोवित ठहराता हो; और

- (2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।
- (तीन) फ्रीस:- (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फ्रीस का भुगतान करना होगा।
  - (ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।
- 9. निर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा / चयन हेतु शामिल होने के लिये निरहित माना जायेगा।
  - (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अखस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष उहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का भामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- 10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहिंत हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्तं कर दी जायेगी।
- 11. चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।

- (2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा थोजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग हारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय—समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।
  (3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
- (4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित एखा जायेगा।
- (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्विष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, बाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रेंक कुछ भी क्यों न हो।

- (9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वास नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (7) के अनुसार, यथारिथिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) रो संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- 12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप ययनित किये जाये, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।
  - (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक बयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी बयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग, उप-निथम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई यथन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।
- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अध्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्. जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अध्यर्थी रोवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अविध में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अविध के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

- (9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगां।
- (10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।
- (11) उप—ियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।
- 13. पदोन्नित द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित हेंतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नित, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नित करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृथ्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गी के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेया (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नित के लिये पात्रता की शतें.— (1) उप—िनयम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नित की जानी हैं जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके सगतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप—िनयम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालाविध की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वैतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। कैवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रयाप्त होगी।
  - (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित योग्यता सह वरिष्ठता (भेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नित के लिए पर्यापा संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नित के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेंवर्कों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवर्कों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सगय-सगय पर जारी आदेश पदोन्नित हेतु लागू होंगे।
- 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, व्यवन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को मरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्भिलित होंगे।

- (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।
- 16. आयोग से परामर्श:— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूबी, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—
  - (एक) सूची में सम्मिलित सगस्त व्यक्तियों के अभिलेख।
  - (दों) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।
  - (तीन) अनुसूची—चार कें कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति कें लेखबद्ध कारण।
  - (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।
  - (2) यदि पदोन्नित समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष / आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के इस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुक्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 17. आमेलन द्वारा मर्ती.— (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीडाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :--

- (एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;
- (दों) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ शासन;
- (चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।
- (2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :-
- (एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयोंन संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;
  - (दों) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;
- (तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या वाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो था पदच्युत किया गया हो;
- (चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उराने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

- (पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रिजस्ट्रार या ग्रंथपाल या कीडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हों, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;
- (छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा. जिसकी नियुक्ति कों, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई हैं।
- (3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;
  - (दों) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हैं, इस नियम में विहित अन्य शर्ता के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव पाध्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
- (4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आगेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

- (5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।
- (6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।
- (7) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही रोवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि ये 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।
- (9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा कीडाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थीं, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अर्खीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैंडर (डाइंग कैंडर) के रूप में बने रहेंगें, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में विश्वता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाम प्राप्त नहीं होंगे।
- 18. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ—साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

- (2) यदि आधीग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।
- (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची—चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोल्लित के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

- 19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
  - (दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती

- 20. परिवीक्षा.— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
  - (ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।
  - (ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अध्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
  - (2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।
- 21. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 22. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतव्द्वारा निरिसत किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी। (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपात के नाम से तथा आदेशानुसार. सुरेन्द्र कुमार जायसवात, सचिव.

## अनुसूची—एक (नियम ४ एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य — स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	581-8	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संघालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400—87,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600—39,100 +
	- 1111 117			ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए.	=23	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 +
	(स. ६००० स आवर्ग ५. जी.पी.)			ए.जी.पी. 7,000
				15,600-39,100 +
				ए:जी.पी. 8,000
				37,400-67,000 +
				ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय	15,800—39,100 + ए.जी.पी. 6,000
			श्रेणी	
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी	225	प्रथम	15,600-39,100 +
	(स. 6000 से अधिक		श्रेणी	ए.जी.पी. 7,000
	ए.जी.पी.)			15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000
				37,400-67,000 + ए.जी.पी.
12.4				9,000
			- Anna	
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय	15,600—39,100 + ए.जी.पी. 6,000
			श्रेणी	
	(ख) ग्रंथपाल	-	प्रथम	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000
	(रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)		श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000
	1 3 4 P 1			37,400-67,000 + ए.जी.पी.
13.				9,000

# अनुसूची-दो (नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने व	ाले पदों की संब	ड्या का प्रतिशत	टिप्पणियां
			सीची भरीं डारा (नियम ६(१) (क) देखिये)	पदोन्नति हारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम ६(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(t)
	T THEORY SECTION		राक्षानाक सव	्षिद्धादसञ्जया	न शाखा राजपत्रित) र	S 200
1,	आयुक्त, जव्य शिक्षा	01	1,22		100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय येतनमान के अधिकारी की प्रतिनिधुवित से
2.	प्राथार्यः, स्नातकोत्तर महाविद्यालयः एवं अतिरिक्त संचालकः, उच्च शिक्षा	58+8/	120	100%		राज्य संपर्क अधिकारी, चपायि प्राचार्य के काउर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राथार्य, रनातक महाविद्यालय, संगुच्त संचालक, राज्य शिक्षा तथा सज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय संया योजना	187+6		100 %		25 % लोधी मृती प्राध्यापक 75 % पदोन्तत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	\$77£1	-	
5.	पदीन्मत प्राध्यायक	संख्या निधारित नहीं		100 %		वे पद विभागीय पदोन्नित समिति के मध्यम से भरे जार्सेगे। पदोन्नत ब्राध्यपकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अहंता वाले सह— प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बवलती रहेगी। सह—प्राध्यापक की पदोन्नित अनुसूची घार में वर्षित उपयंथी के अपीन विहित रोग कालायधि पूरी करने के परवात तथा उसमें विहित अर्हताएं की सर्ते पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्धारित पर्दी		100 %		ये पद शिभागीय पदीन्ति रागिति हो नाध्यम से भरे जायेयें। राह-पाद्यामकों के ऐसे पदों की कोई मिश्रारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित क्येश्वता और अहंता वाले सहायक प्रध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नित अनुसूची वार में वर्णित उपवंधों के अधीन विहित संया कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अहंताएं रखने पर रोवा रिकार्स के आधार पर की जायेगी।
7.	राष्ट्रायक प्राप्तपापक	3855	100 %	(AP)	- E	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें राफल अध्यथियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	कीडा अधिकारी	116	100 %	***		श्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अम्पर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%		(i) प्रतियोगी यरीक्षा द्वारः, इसमें सफल अम्पर्थियों का साक्षात्कार लिथा जायेगा। (2) केवल ढाइंग केंडर के सहायक ग्रंथजाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात श्वीच्य में थे पद पदोन्नति से नहीं मरे जायेंगे।

टीप— अनुकर्माक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित ज्यों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडिमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रक्रिया, अनुसूजी—चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

# अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिये)

सक्	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	जम्बतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्राध्यापक और उप संघालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	48 दर्ष	(क) (एक) प्रतिश्चित विद्वान जिसकी भी.एच.डी. में अईता अपने संबंधित / सम्बद्ध / सुसंगत विषय में प्राप्त हैं, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित प्रथ्य का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ पुस्तकों एवं/अथवा शोध / विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रथव के रूप में प्रकाशित हो।
				(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ण का न्यूनलम अनुभव हो, एवं/ अध्या विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएवं डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानियेंश करने का अनुभव भी सम्भितित हो।
				(तीन) शैक्षणिक नवीन्मेष, नवीन बाद्यचर्या एवं पाद्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी-माध्ययुक्त, अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।
	To ST			(वार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीरएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई) में निर्देष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अग्रिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।
				- अध्या
				म (ख) उतकृष्ट व्यावसाधिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेश कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।
2.	सहः प्राच्यापक	29 वर्ष	43. हार्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विश्य में पी. एच.डी. की उपाधि।
				(वी) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/सब्द्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हों, जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुलाकों एट/अथवा योध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपन्न के रूप में प्रकाशित हो।
				(तीन) शैक्षणिक नवोन्नेष, नवीन पद्यचर्य एवं पाट्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी—पाध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।

				(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार ५५ रौक्षणिक निष्पादन सूचकांक (एपी.आई) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेंगी।
3.	रहावक प्राध्यापक	2: यम	30 GH	(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से रनातकीतार उपाधि स्तर में संबंधित विश्वय में कम से कम 56% अंक (अथवा/एव 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समक्ष्य उपाधि (ख) उपरोक्त अर्हताओं की वृति करने के बाद मी, अम्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संवालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायत (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्टेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा। (ग) उप—खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विद्ध किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अम्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुवान आयोग (एमफिल/पीएय डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएय डी. उपाधि डो. या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके सनतुल्य पद में मर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शहाँ की अनिवार्यता से छूट रहेगी। (घ) ऐसे विश्वों में स्नातकीत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट/सेट /सेट की अनिवार्यता नहीं की जलीं है. के लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जलीं है. के लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जलीं है. के लिये नेट/स्लेट /सेट की अनिवार्यता नहीं की जलीं है. के लिये नेट/स्लेट /सेट की अनिवार्यता नहीं की जलीं है.
4.	क्रीडा अधिकारी	21 सर्वे	30 यर्ष	<ul> <li>(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के संश्व शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अधवा खेलकृद विज्ञान ने स्नातकोत्तर डिग्री (अधवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइट स्केल में भेणी 'वी') तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।</li> <li>(क) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ धा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो।</li> <li>(ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उद्यदेश्य से यूजी, सी द्वारा अध्वा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अई हो।</li> <li>(घ) इन नियमों के अनुसार संयालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।</li> </ul>
				(ठ) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास चित्राविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएस.डी. प्रदान करने केलिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनिध्न 2009 के अनुसार पीएय.डी एपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में मती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम प्राव्यता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

		121111111111111111111111111111111111111	<ul><li>(य) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड —</li></ul>
			(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यक्षीन ऐसे समस्त अध्यक्षी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अभिवार्थ होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी विकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अभिवार्य होना जिसमें सत्यापित होगा कि वह विकित्सीय रूप से स्वस्थ है।
			(दो) सपरोक्त उप-खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये भाषदण्डों के अनुसार अन्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगाः —
			पुरुषों के लिए मापदण्ड
			12 मिनट की दौड/धाल की परीक्षा
			৪০ বৰ্ষ নক   ২০ বৰ্ষ নক   ২১ বৰ্গ নক   ১১ বৰ্গ নক
			1800 मीटर 1800 मीटर 1200 मीटर 939 मीटर
			महिलाओं के लिए मापदण्ड
			8 मिनट की दोड/चाल की परीक्षा
			30 वर्ष तक   40 वर्ष तक   45 वर्ष तक   50 वर्ष तक
			1000 मीटार 000 मीटार 000 मीटार 400 मीटार
			लिथे शारीरिक दक्षता परीक्षा, छतीसगढ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेम्सी द्वारा लिया जायेगा ।
11-			(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनई अध्यर्थी, प्रथन प्रकिया के लिये अपात्र होंगे ।
ज्ञश्रपाल	21 वर्ष	30 TI	(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाक्नेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत रांकों के साथ स्वतकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समनुत्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां येडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समनुत्य ग्रंड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समनुत्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुरस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा श्रेष्ठांगिक रिकार्ड हो । टीप — (1) अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ/दिव्याग (शारीरिक एवं वृष्टिबाधित विज्याग)/अन्य पिछडा वर्ग (गैर-ड्रीमी-लेचर) से संबंधित अभ्यधियां के लिये स्नातक इव स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रवान की जायेगी, 55 या 50 प्रतिशत कोक को पूर्णांकित किये जाना स्वीकार्य तहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गर्थे कृथाक भी छूट हेतु स्वीकार्य वर्श दिये
	3844st	जेश्याल 21 वर्ष	जंशपल 21 वर्ष 30 वर्ष

(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संयालित सम्द्रीय पात्रता प्रतिक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विद्वान में अई हो।

(3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनलम मानक एवं प्रक्रिया) विनिध्म, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाध्ये हो वा प्रदान की गई हो, को शंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/इलेट/सेट की न्यूनलम पात्रता की शर्ती की अनिधार्यता से छूट रहेगी।

टीप- सहायक प्राच्यापक/क्रीडाधिकारी/प्रथमाल के लियें:--

- (1) ये अभ्यर्थी, जो दिशांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ यंथपाल पद के लिथे एम.फिल./पीएचडी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, जगाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएचडी, उपाधि धारक अन्धर्थियों को निम्नतिखित शर्तों के अध्यक्षीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से घट प्राप्त होगी:
  - (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. तपाधि प्रधान की गई हो;
  - (ख) कम से कम दो शह्य परीक्षकों द्वार शोध प्रवंध का मुख्यांकन किया गया हो;
  - (ग) अध्यक्षीं ने अपने पीएचडी, शोध कार्थ में से दी शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र सदिमित जर्नल में प्रकाशित हुआ हों),
  - (घ) अम्बर्धा ने अपने पीएव.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोधियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;
  - (इ.) अम्यर्थी का गीखिक साक्षात्कार संवालित किया गया हो ।

चयर्युक्त (क) से (इ.) को कृतपति / प्रति–कुलपति / संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) / सकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वास प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत हैं: -

(एक) स्मातक (अन्डर ग्रेजुएट)- न्यूनतम ५०%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जावेगा:—

क्षेणी	श्रेणी विन्दु (घाईट)	समतुल्य प्रतिहात
(0)	5.50 - 6.00	75 - 100
A	4.50 - 5.49	65 - 74
'13'	3.50 4.49	55 - 64
C:	2.50 - 3.49	45 - 34
10	1.50 - 2.49	35 44
E	0.50 - 1.49	25 - 34
F	0.00 - 0.49	00 - 24

(व) (एक) अनुस्थित जाति/अनुस्थित जनजाति/ दिव्यागजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अनुस्थित जनजाति/ (गैर-क्रीमी-लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के वीरान उनके पात्रता एयं अच्छे शिक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5: की छूट प्रवान की जा सकेगी । पात्रता के लिए 55: अक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है यहां पर 'पाइट स्कंल' की समकक श्रेणी) तथा उपरोक्त चल्लिखित संवर्गों के लिये 5. की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केयल अईकारी अंकों पर आधारित रहेगी । (दों) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5 की छूट प्रवान की जायेगी जो कि 55 से 50: तक होगी।
(तीम) जहां पर किसी यान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेकिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55 के यथा समगुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

#### टिप्पणी :-

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क एक 3−2/2002/1−3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्वधन, प्रध्यापकों एवं सह प्राध्यपकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे:

(2) अनुसूधी-सीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्रध्यापक/उप संवालक एवं सह प्रध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उध्यतर आयु सीमा निग्नानसार होगी :-

स.क.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा		
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	पुरुष (अनारक्षित)	গ্ৰহ বৰ্গ	43 বৰ্ষ	
2,	पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य गिछडा वर्ग/दिव्यांग)	50 বৰ্গ	४८ वर्ष	
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष	
A.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	- 5৪ শর্ষ	
5.	विधया, परित्यवता, तलाकशुदा (आरक्षित / अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	56 মৰ্থ	

(3) प्राच्यापको एवं सङ प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आधु सीचा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग हारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

# अनुसूची—चार (नियन 14 एवं 15 देखिये)

स.क.	पद का नाम जिससे पदोम्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोलति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.	प्राचार्य उपाधि महादिद्यालय, संयुक्त रामालक तथा राज्य रापर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राथार्थं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय सथा अतिरिक्तं संघालकः, उच्य शिक्षा	रनातकोलर महाविद्यालय के प्राधार्य के पद पर पदोन्ति, रनातक महाविद्यालय के प्राधार्यों में से उन प्राधार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्य की संयुक्त जोकता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राधार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्ति, योखता सह प्रवेचता के आधार पर होगी। नरन्तु अनुभव की शतं जन ध्ववितयों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्टता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विधार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष (2) प्रमुख सबिव/सब्दिव, उच्च शिक्षासदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा-सदस्य	
2	प्राध्याच्क/पदोन्नत प्राध्याच्क तथा उप संघालक, उच्च शिक्षा	प्राथार्थ रुनातक महाविद्यालय, संयुक्त संद्यालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा धोजना	स्थातक महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रद पर पदोल्गीत, कम से कम हो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रध्यापकों में से योग्यता-सह- क्येप्तता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्थिति समिति, प्राचार्य के एव पर पदोल्गीति के लिए सीधी मर्ती के प्राध्यापकों तथ्य पदोन्थित हुए प्राध्यापकों तथ्य पदोन्थित हुए प्राध्यापकों की ज्येष्टता सूचियां अलग-अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधों मर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्यत प्रध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्यत प्रध्यापकों की ज्येष्टता सूची उनके सहायक प्रध्यापक के पद पर विश्वता के आधार पर बनाई जायेगी। सीधी पर्ती के प्रध्यापकों की ज्येष्टता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में रशीर गये ज्येष्टता क्रम के आयार पर होगी।	संदेव	
3.	सह-प्रश्यापक	पदीस्तत प्राध्यापक/चप संचालक	उन सह-प्रध्यापक को, 37,400-57,000 + एजी पी +0,000 के बेतनगान वाले प्रध्यारक के पद पर पदोल्वित की पात्ररा डोगी, जिन्होंने :-	राहैद	

di,			(क) सह प्राध्यायक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित एपी.आई स्कोर जेंसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (वी.वी.एएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन भूवकांक (एपी.आई) में निर्दिष्ट हैं जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की एन्टेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत (ह वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।		
4	सहायक प्राच्यापक	सह-प्राच्यापक	दन सहायक प्राध्यापक करे,  \$7,400-67,000 + एजीपी.  \$1000 के वेतनगान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्ति की पात्रता होगी, जिन्होंने— (क) सहायक प्रध्यापक के रूप में (8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) देतनगान 37,400-67,000 + एजीपी, 9,000 के वेतनगान में कन से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (म) न्यूनताम समेकित ए.पी.आई. सकोर जैसा कि प्रवर्शन आधारित मूल्याकन प्रणाली (पी.बी.ए.स.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूपकाक (एपी.आई) में निर्दिष्ट है, जिसे कि शासन हास पृथक से आधिसूचना हास जारी की जायेगी। (घ) कार्ब निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।	तर्देश	अनुभा एवं योग्यता, जो कि अनुसूची— यार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायक प्रध्यापक की पदोरनित सह- प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :--

(1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अत उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नित के पश्चात, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नितियां नहीं होंगी।

(2) सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अईताएं पूर्ण करनी होगी :--

(क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु- सहायक ग्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी को, 15600-39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :--

(एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की रोवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह धी.एचडी अथवा एग.फिल धारक हो तो रोवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;

(वो) यदि वे पीएचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफॅशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट माण्दण्डों के समरूप हो.

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मुख्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

- (ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु— ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि जसने :--
- (एक) ज्येष्ठ वेंतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी के रूप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;
- (दों) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफेशर पाठ्यक्रम / ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्तांड की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और
- (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।
- (३) ज्येष्ट वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में प्रदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--
  - (एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक – संयोजक
  - (दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्चे शिक्षा विभाग सदस्य
  - (तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिश्ट) – सदस्य (चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद – सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य सपादित करेगी।

नोट :- ज्येष्ट एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

#### अनुसूची-पांच (नियम 17 (1) देखिये) आवेदन का प्रपन्न (सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के पद हेतुं)

फोटी ज़समेर्ट शाइज (अनुप्रमाणित)

. नाम तथा पता		= togometicación annidation actividades							
		L							
विषय १. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो) १. जन्म तारीख (अंकों में) (शब्दों में)									
					पद के लिये विज्ञापन वि	Control of the Contro	Company of the Compan		
					आयु वर्ष		माह		বিদ
					शैक्षणिक अर्हताएं :	1 2	2.6		- consider of
मंडल / विश्वविद्यालय	प्रभ	Stall	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
<ul><li>हायर सेकेण्डरी</li></ul>	-51/0-	1847		- 0.760					
Contract of the Contract of th									
s) स्नातक									
a) स्नातक i) स्नातकोत्तर वैक के लिए अंकसूची की	8-21	Vil							
g) स्नातक	ते. उपाधि दी र व करें तथा प्रम ज.जा. प्रवर्ग व तथा सम्मूचित ज तथा समम उ रे नियोजित हो द तथा दिभाग व	ाई गणपत ग है नजाति विकारी तो अपना ज नाम							

COMMERCED AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF

### भाग ४ (न)

### अन्तिम नियम

### म. प्र. शासन, शिक्षा विभाग

क. ७४५-बीस-मजिस स्था.

Western S.

भोपाल, दिनांक २२ स्रप्रैल, १९७६

भारत के संविधान के बनुन्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश प्रराजपवित तृतीय वर्ग तेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती सन्वन्धित नियम बनाते हैं, प्रयोत् —

### मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग सेवा मर्ती तथा पदोन्नति नियम

### महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपतित)

- १. संक्षिपत नाम तथा प्रारम्भ:---
- ি ে (৭) ये नियम मध्यप्रदेश प्रराजपक्षित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयोन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, ৭९७४ कहलावेंगे ।
  - · (२) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में ग्रधिसृत्रित किये जाने के दिसांक से अवृत्त होंगे।
  - २. परिभाषाय :--इन नियमों में जब तक प्रसंग से प्रश्वका अपेक्षित न हो :--
    - (क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य मंत्रालक, महाविद्यालयीन शिक्षा से हैं या उनके अधीन ऐसे कोई अधिकारी से है, जिसे सेवा में या पद पर नियुक्ति की ग्रतिक प्रत्यायोजित की गई है या शासन द्वारा भविष्य में प्रत्यायोजित की जावेगी।
    - (ख) त्रासन—"शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्राप्तन से हैं।
    - (ग) राज्यवाल.—"राज्यवाल" से तात्ववं मध्यप्रदेश के राज्यवाल से है।
    - (भ) राज्य:--"राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।
- ं (च) अनुसूची.—"अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न अनुसूची रो है।
  - (छ) सेवा.--'सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश बराजपवित तृतीय वर्ग सेवा (महाविधालयीन शाखा) से है।
  - (अ) समिति:—"समिति" से ताल्पर्य प्रशंक्ति प्रयूरण समिति से है, जैसा कि सनुसूची चार में गठित की गई है।
  - (अ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति.— "यिनुसूचित ज'ति तथा अनुसूचित जनजाति" से वही अर्थ होगा जो कि उनके तिये संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड २४ तथा २४ में कमझा दिया है और जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर उस हम में अनुसूचित किया गया हो (तथा इसका तात्मय ऐसी जातियों और जनजातियों से है, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस हम में थोपित की जाये)।
  - (ट) संचालक "संचालक" से तात्वर्य संचालक, महाविद्वालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश से हैं।
- ं , (ठ) परीक्षाः—"परीक्षा" से ताल्पर्य प्रतियोगिता परीक्षा से है।
  - विस्तार तथा प्रयुक्ति मध्यप्रदेश सिविल गेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, १९६१ में दिये यथे उपवन्धों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रधान डाले जिना यह नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- र सेवाका गठन तेवामें निम्नतिखित स्पक्ति होंगे
  - (9) के व्यक्ति जो इन नियमों के लायू होने के समय चनुसूची 9 (अ) एवं (अ) में उल्लिखित पर्दों को मीलिक रूप से स्नारण किये हो, तथा
  - (२) के व्यक्ति जो इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
  - (३) वे स्थितः जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती या पदोन्नत किये गये हों।

वर्गीकरण वेतनमान बादि — सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान और सेवा में शामिल पदों की संख्या संलग्न अनुसूची १ (अ)
एवं (व) में दिये गर्थ उपवन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु सेवा में सम्मिनित स्थायी प्रथवा प्रस्थायी पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार शासन वृद्धि या कमी कर सकेगा।

### ६. भर्ती की विधि —

VE - 178

- (१) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित विधियों से की जायेगी :--
  - (क) प्रतियोगिता परीक्षा और/या चयन के द्वारा सीधी भर्ती।
  - (ख) मध्यप्रदेश ग्रराजपवित तृतीय वर्ष सेवा के सदस्यों की [जैसा कि प्रनुसूची ४ के कालग (३) में उस्लिखित है] पदी-घति प्रारा ।
  - (म) निर्दिष्ट सेवाझों में निर्दिष्ट पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तर द्वारा ।
- (२) उप-नियम (१) के खण्ड (ख) तथा (ग) के सधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी तमय अनुसूची २ में दर्शाये उल्लिखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची २ में दशयि गये प्रतिगत से अधिक नहीं होगी।
- (३) इन नियमों के उपबन्धों के प्रधीन भर्ती की किसी भी विशेष प्रविध के दौरान भरे जाने के लिये प्रपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिये प्रपानाया जाने वाला भर्ती का तरीकाया तरीके तथा प्रत्येक तरीके हारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक प्रवसर पर सिमित के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी हारा निश्चित की जावेगी।
- (४) उप-नियम (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि जासन की राय में सेवा की अल्यावश्यकताओं को देखते हुवे ऐसा करना यदि जरूरी हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी झासन के सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व अनुमति लेकर सेवा भर्ती करने सम्बन्धित उन तरीकों को छोड़, जिनका कि उप-नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे बन्य तरीके अपना सकेया, जो यह इस सम्बन्ध में जारी किये आदेश निर्धारित करें।
- सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के लागू होने के पश्चात समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जायेंगी जिसके लिये वे अधिकृत हैं थोर ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम (६) में उत्लिखित भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात की जावेगी, सन्यया नहीं।
- सीधी भर्ती किये जाने वाले उम्मीदवारों की पावता सम्बन्धी वर्ते.—िकसी भी उम्मीदवार को चुनाव के पात्र होने के लिये निम्न-लिखित वर्ते पूरी करनी होंथी, सर्वात्:—
  - (१) श्रायु—— (क) चयन होने की तारीख के बाद प्राने वाले पहली जनवरी को उसने (प्रनुसूची-३ के खाने में निर्विष्ट) श्रायु पूरी कर (क) चयन होने की तारीख के बाद प्राने वाले ४ में) निर्विष्ट ग्रायु पूरी न की हो।
    - (ख) यदि उम्मीदबार घनुसूचित जाति या सनुसूचित जनजाति का हो, तो आयुकी अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक ५ वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
    - (ग) उन उम्मीदवारों की प्रधिकतम आयु सीमा में भी जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों, तीचे लिखी सीमा तक तथा गर्तों के अधीन रहते हुये छूट दी जावेगी:—
      - (१) स्थायी शासकीय कर्मचारी की ग्रायु ३० वर्ष से श्रधिक नहीं होनी चाहिये।
      - (२) ग्रस्थायी जासकीय कर्मचारियों की बायु सीमा ३८ वर्ष से प्रक्षिक नहीं होना चाहिये। यही सुविधा कार्म-थारित कर्मचारी, ग्राकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होगी।
      - (३) ऐसा उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे प्रथनी बायु में से उसके हारा पहले की गई । सम्पूर्ण ग्रस्थायी सेवा के अधिक से ग्रधिक ७ वर्ष तक की श्रवधि मले ही वह प्रविध एक से ग्रधिक बार की गई सेवायों का मांग हों, कम करने की भनुमति दी जायेगी। बज़र्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह ग्रधिकतम आयु सीमा से ३ वर्षों से ग्रधिक न हो।
    - ह्यण्टीकरण छटनी किये नये जासकीय कर्यवारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो राज्य अथवा संघटक इकाइयों से से किसी भी इकाई की वस्त्रायी शासकीय सेवा से कम से कम ६ माह तक निरन्तर रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने स्थवा सासकीय सेवा में नियक्ति हेतु अन्यया आवेदन-पत्त देने की तारीख से अधिया से अधिक र वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

- (४) जो उम्मोदबार, भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी बायु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की संबंधि कम करने की अनुसति दी जावेगी बधरें कि इसके परिणामरकरूप जो बायु निकते वह अधिकतम बायु सोमा से ३ वर्ष से अधिक न हो।
- स्पन्टीकरण,---याद "मृतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे स्वित्त से है, जो निम्नितिश्वित किसी भी प्रदर्ग में रहा हो खोर जो मारत सरकार के खंधीन कम-से-कम ६ मास की अवधि तक निरुत्तर सेवा करता रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में स्थाना पंजीयन कराने स्थाना बासकीत सेवा में नियुक्ति के लिसे सन्ध्या आवेदन-पन्न देने की तारीत्व से संधिक से मधिक ३ वर्ष पूर्व सितन्यियता हकाई की सिकारिशों के परिणाम स्वरूप या कर्मधा-वारियों की संख्या में सामान्य १५ से कमी हो जाने के कारण छटनी की गई हो, अववा जो आवक्यक वर्ष-पारियों की संख्या से संधिक भोषित किया गया हो:---
  - (१) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जिन्हें सबय पूर्व निवृत्ति रियायकों (मसटरिय खाउट कन्सेशन) के खडीन सूक्त कर दिया गया हो।
  - (२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुवारा भर्ती किया गया हो ग्रीर (१) नियुक्ति की मल्पकालीन समिध पूर्ण हो जाने पर (२) भर्ती सन्वन्धित शर्ती पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो ।
  - (३) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी।
  - (४) ऐसे प्रधिकारी (सैनिक तथा प्रसैनिक) जिन्हें बनुबन्ध पूरा होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्याविध सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त व्यक्तिकारी भी शामिल हैं)।
  - (४) ऐसे यक्षिकारी जिन्हें कि यवकाण रिक्तियों पर ६ माह से प्रश्चिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
  - (६) श्रसमर्थ होने के कारण सेवा से सलग किये गये भृतपूर्व सैनिक।
  - (७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस प्राक्षार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि ये सक्षम सैनिक वर्षने के योग्य नहीं रहे ।
  - (s) ऐसे मृतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने के कारण तथा बाव बादि हो जाने के बाद चिकित्सा मण्डल को सिकारिशों के बनुसार सेवा से अलग कर दिया हो।
  - टीव.—उपर्युक्त नियम ८ (१) (ग) (१) तथा (१) में द्वितिखित प्रायु राज्यकी रियायतों के बन्तर्गत जिन उम्बी-दवारों को श्रयन के लिये चुना गया हो से मदि आवेदन-पन्न प्रस्तुत करने के बाद घरन के पहले या बाद में सेवा से त्याग-पन्न दे हैं, तो वे नियुक्ति के पान नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन-पन्न भेजने के पत्रचात सेवा या पद से उसकी छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पान बने ग्रेगे। किसी भी प्रन्य मामने में इन प्रायु सीमाओं में छूट नहीं दी जायेगी।

ग्रन्य विभागों में कार्यरत उच्मीदवारों को चयन हेतु प्रस्तुत होने हेतु धपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व धनुमति प्राप्त करना प्रावश्यक होगा।

- (२) शैक्षणिक ग्रहंतावें—उम्मीदवार के पात सेवा के लिये निर्धारित ऐसी ग्रैक्षणिक ग्रहंता होती पाहिये जो कि अनुसूची ३ में दर्शांड गर्ड है, परन्तु —
  - (क) सप्ताद के मामलों में शासन के बादेश से किसी ऐसे उम्मीदवार को, प्रहेता प्राप्त उम्मीदवार माना जा सकेगा, जिसके पास भले ही इस खण्ड में निर्धारित प्रहेता में से कोई भी प्रहेता रही, किन्तु जिसने किसी बन्ध संत्था द्वारा संवालित परीक्षावें ऐसे स्वर से उत्तीर्थ की हों, जिसके कारण नियुक्ति प्राधकारी उम्मीदवार को चयन के योग्य समझता हो, और
  - (ख) ऐसे उम्मीदवारों के सम्बन्ध में भी जो अन्यथा प्रहंता आपा ही किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपा-धियां प्राप्त की हों जो जासन द्वारा विज्ञिष्ठ रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, जासन के आदेश से चयन समिति के विवेकानुसार चयन के लिये विचार किया जा सकेगा।
- (३) शुल्क.—उम्मीदवार को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा ।
- धनहंता.—उम्मीदवार की धोर से धपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी
  प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी ढारा चयन के सम्बन्ध में प्रनहंता माना जायेगा।
- उम्मीदवारों की पालता के निर्णय के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का स्रधिकार.—चयन के सम्बन्ध में किसी भी उम्मीदवार की याजता प्रवास प्रशासता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय प्रतिम होगा।

THE RESIDENCE PARTY AND THE PARTY OF THE PAR

### ११. सीधी मर्ती---

- (१) (क) चयन द्वारा:--
  - सेवा में इन पदों को छोड़कर जिनका उस्लेख खण्ड (क) में किया गया है भर्ती के लिये गया ऐसे सम्तराविष्यों में किया जायेगा, जिन्हें निमुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें।
  - २. सेवा के लिये जम्मीदवारों का चयन, चयन समिति के द्वारा उनते प्रत्यक्ष मेंट करने के बाद ही किया जायेगा।
  - (ख) प्रतियोगिता वरीक्षा द्वारा :---
    - (१) सेवा में प्रयोगशाला सहायक, निम्न घेणी लिपिक, सहायक (संचालनालय) एवं भी झ लेखकों के पदों में भर्ती के नियं प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तर से भी आयेगी जिन्हें नियुक्ति ग्रविकारी समय-समय पर निविचत करें ।
    - (२) प्रतियोगिता गरीक्षा ऐसे प्रादेशों के अनुसार तो आयेगी जिन्हें शासन समय-समय पर प्रसारित करें।
- (२) (गुक) निम्न श्रेणी निषिक के ९० प्रतिभत पद सीधी भर्ती हारा तथा ९० प्रतिसत पद कार्यालयीन चतुर्य वर्ग के ऐसे कभैचारियों में से अपेध्ठता प्रधान योग्यता गौल के प्रधार पर इस मत के साथ निमुक्ति कर भरें जायेंगे कि उपमीद-वार हायर सेकेम्डरी परीक्षा उल्लील हों भीर नियुक्ति के एक वर्ग के भीतर यदि ये मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्र-लेखन परीक्षा उल्लील नहीं करते तो उनको मूल पद पर प्रत्यावितत किया जा सकेगा ।
  - (वो) सहायक (संचालनालय) पदी के २४ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा ७४ प्रतिशत पद सनुसूची ४ (घ्र) में उल्लेखित संचालनालय के कनिष्ठ नेखा परीक्षक एवं लेखापालों में से योग्यता प्रधान ज्येष्टता गीण के खाद्यार पर पदीक्षत कर भरे जायेंगे।
  - (तीन) इन वटों पर नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता स्तातक परीक्षा या तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
  - (चार) सीबी मर्ती वाने उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम योग्यता उपर्युक्त (तीन) पर दश्रयि गये बनुसार ही रहेगी तथा आयु २८ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। इन्हें निर्धारित परीक्षा देनी होगी तथा पर पर नियुक्ति परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक के साधार पर होगी।
  - (पांच) प्रत्य शासकीय कर्मचारी भी सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकेंगे तथा परीक्षा से बैठ सकेंगे।
- (३) सीधी मतीं के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से ९६ तथा २० प्रतिगत स्थान तथा विछली बार के सविकाद स्थान, यदि कोई हो, क्रमशः प्रनुसूचित जातियों तथा प्रनुसूचित जनजातियों के लिये गुरक्षित रखे जानेंगे।
- (४) इस प्रकार रक्षित रिक्स स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम १२ (२) में निदिष्ट सूची में आये उनके नामों के अनुसार किया जावेगा। चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका आपेक्षित स्थान कुछ भी अयों न हो।
- (४) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों और जिन्हें चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरी प्रवासन की दक्षता को बनाय रखने की दृष्टि से नथा में नियुक्त करने के लिये योग्य ठहराया गया हो, उप नियम (३) के अधीन प्रवास्थित, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित स्वानों पर नियुक्त किया जावेगा ।
- (६) यदि धनुसूचित जातियों और धनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके निये रक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्वाप्त संख्या में न मिल सके तो निय रिक्त स्थान धन्य उम्मीदवारों में से भरे आयेंगे तथा धनले होने वाल चयनों के निय धनुसूचित जाति तथा धनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उपर्युक्त नियम धनुसूचित जाति तथा धनुसूचित पर्वा जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उपर्युक्त नियम १९ (३) में दी गई रीति से रक्षित रखे जायेंगे वशतें कि इन जातियों के लिये कुल सुरक्षित स्थान विसी भी समय रिक्त एदी है ४१ प्रतिष्ठत से धियक न हो।
- 9२. (१) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नयन किये गये उम्मीदवारों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निध्वित किये थये मानकों के सन् सनुसार कई उम्मीदवारों की योग्यता कम से बनाई गई सूची तथा प्रमुखित जाति तथा प्रमुख्वित जनजाति के उन अपने प्रश्नीदवारों की यूची जो यद्यपि उक्त मानक के प्रमुखार प्रहें नहीं है किन्तु जिन्हें नयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रशासन अपने दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखने हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रतारित की आवेगी। यह सूची एक वर्ष तक वैध रहेगी।
  - (२) जयन सिनित द्वारा सिफारिण किये गये उम्मीदवारों की मुची जयन द्वारा नियुक्ति के लिये जयन सिमित ऐसे उम्मीदवारों के , जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, सम्पन रूप से अधिमानक्रम में रखे गये नाम तथा अन्य व्यीरे तथा अनुस्चित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों के नाम और अन्य व्यीरे, जो ग्रहणि उस मानक के अनुसार मही नहीं है, किन्तु जिन्हें जयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयक्ति योखन किया है, नियक्ति प्राधिकारी को चेन्नेगी।

- (३) इन नियमं तथा मध्यप्रदेश विवित सेवा (तेवा की शामान्य शतें) नियम, १९६५ के उप-बन्धों के प्रधीत उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियक्ति के विवे उम्मीदवारों के बारे में उसी कम से विचार किया जायेगा जिस कम से मुची में नाम विवे गये हों।
- हैं (क) अब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उनके द्वारा सायण्यक समती जाने याती जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीद-बार सेवा में सभी प्रकार से उपयुक्त है तथ तक केवल सूची में उम्मीदबार का नाम वासिल होने से ही उसे नियुक्ति का संविकार नहीं मिलवा।

### १३: पदोस्रति द्वारा नियुक्ति.--

200

12 35 - 2 10

- (१) बोग्व उप्पोदवार की परोस्नति हेतु प्रारम्भिक चयन के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रनुसूची ४ में उल्लिखित अ रहन होंगे।
  - (२) खिनिति की बैठक ऐसी प्रत्यराविषयों में होगी बोकि खाधारण तीर पर एक धर्व से सिधक की न हों।
  - (३) पदोक्षति दारा नियुक्ति सं किये जाने हेतु को विभागीय चयन समिति गठित की जादेगी नह समिति उसके द्वारा पदोन्नति हेतु निकारिश किये गर कमैचारियों की सूची नियारित कमानुसार तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
- 9४. पदोश्वित के जिये पावता सम्बन्धी गतें.—सिमित उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जन-वरी को इत्तमें संतर्भ यनुसूची ४ के कालम (३) में उल्लिखित सेवा पर या किसी ब्रन्य पद पर/पदों पर जिन्हें मासन ने उनके लिस क्ष्म पोपित किया हो, स्थानापल अथवा मौलिक रूप से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
  - (ग्र) परन्तु ऐसे लिपिक दर्गीय पदों, दिन पर, पदोन्नित हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना सनिवार्य किया गया है निकटतम निम्न पदों पर कार्यरत लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण लिपिक ही पदोन्तत किये जायेंगे । यदि ऐसे पदों पर पदोन्नित हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण । ं ं ं लिपिक उपलब्ध नहीं होते तो निकटतम निम्न पद पर कार्यरत सप्रशिक्षित लिपिक वरिष्टता कमानुसार पदोग्नत किये जायेंगे परन्तु उन्हें पदोग्नति के दिनांक से दो वर्ष की प्रविध में लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी ।
- ां व्य (व) निवृक्ति प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी को उसकी प्रवोजनित का परिस्थाग करने की अनुकृति है सकेना, यदि उसका इस यात से समायान हो नाथ कि वैयक्तिक का अन्य विशेष कारणों से उस कर्मवारी के लिये प्रवोजित स्वीकार करना सम्भव कहीं है। ऐसे भागलों में उक्त पद पर प्रयोग किनिष्ठ कर्मचारी को प्रशेग्नत करने के लिये निवृक्ति प्राधिकारी स्वतन्त्र होगा। उस कर्मवारी के मामने का जो प्रशेशित का विरिधान करें, बागायी स्थिति के लिये अपने बाप पुनविलोकन नहीं किया जावेगा। जैसे ही सम्बन्धित कर्मवारी पद्मोगाति स्थीकार करने के लिये तैयार हो उसे बागामी रिक्त पद पर, अपनी पद्मोगाति हेंचु आने मामने से पुनविलोकन के लिये व्यविदन करना होया तथा पद्मोगति किये जाने पर वह उन व्यक्तियों से कनिष्ठ माना जायेगा विन्हें उनसे पहले पद्मोन्नत किया गया है।
- १९६० जनवृक्त कर्मचारियों की मुची तैयार करता.—(क) समिति ऐसे व्यक्तियों की मुची तैयार करेगी जो जनवृक्त नियम १४ में निर्धा रित शर्तों को पूरा करते ही तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति करने के लिये उपयुक्त समझती हो । यह यूची दो वधों तक होने वाले रिक्त स्थानों की भरते के लिये पर्याप्त होगी ।
- (२) ऐसी- सुनी में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला पयन वरिष्ठता पर समृचित रूप से स्थान देते हुये योग्यला
   तथा सभी दृष्टि से उपयुक्त/उपयुक्तता पर आवारित होगा।
- (३) सूची में सिन्मिलित किये गये कर्मचारियों के नाम प्रनुसूची ४ के कालम (३) में दिलत सेवा में तथा स्थित मरिष्ठता कम के अनुसार रखे जावेंगे। परन्तु किसी ऐसे कतिष्ठ कर्मचारी को, जो सिनिति की राय में विशेष कप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।
- (४) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ध पुनरिक्षोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा ।
- (४) यदि इत प्रकार नयन, पुनविशोकन धयना पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्ताबित किया जाये कि मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कि । प्रसानविश्व सेवा (महाविद्यालयीन शिक्षा) के किसी सदस्य का अतिश्रमण किया जाये तो समिति प्रस्तावित अतिश्रमण कि सम्बन्ध में अपने कारण नेष्यबद्ध करेगी।

### विष्: चयन सूची.--

124

person.

- (१) नियुक्ति प्राधिकारी समिति द्वारा वैयार की गई चयन सूची पर सम्बन्धित ग्रभिलेख के साथ विचार करेंने तथा यदि कोई परिवर्तन ग्रावश्यक न समझे तो सूची को शनुमोदित करेंगे।
- (२) यदि नियुद्धि प्राधिकारी समिति से प्राप्त चयन सूची में कोई परिवर्तन करना प्रावश्यक समझेंगे तो वे उक्त सूची प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण सहित समिति को वापस लोटा देंगे। समिति प्रस्तावित परिवर्तनों पर विभार कर उनकी राय में जैसा भी व्यायोगित तथा उपयुक्त होगा सूची में संशोधन कर सकेंगे।

THE RESERVE TO BE STORED THE PARTY OF THE PA

- (३) समिति द्वारा श्रन्तिम रूप से अनुमोदित सूची चयन सूची होगी और इस सूची में छे ही अनुसूची (४) के कालम (४) में स्रंकित पदों पर नियुक्ति प्राविकारी द्वीरा पदोल्लिकी जावेची।
- (४) जयन सूची सामान्यत: तब तक लागू रहेंगी जब तक कि नियम १५ के छप-नियम ४ के प्रनुसार उसका पुत्रविलोकन या पुत-रीक्षण न किया जाये। परन्तु वयन सूची में सम्मितित किसी व्यक्ति की ग्रीर ने क्लंब्य के निर्वाह ग्रथवा पालन में सक्बीर चुक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन मूची का विशेष रूप से पुनविलोकन किया जा सकेशा।

### चयन सूची से सेवा में नियुक्ति ---

(१) चयन सूची में सम्मिलित कमंचारियों की सेवा संवर्ष के पढ़ों पर नियुक्तियां उसी कम से की जायेंगी जिस कम से ऐसे करं-

परन्तु यदि प्रजासनिक आवश्यकतायों के कारण बस्री हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, श्रिस्का नाम त्रयन सूची में सम्मिलित न जिया गया हो, या जिसका नाम वयन मुची में दिये गये त्रम में भगते स्थान पर न हो, सेवा में उस स्थित में नियुक्त किया जा सकेगा जबकि नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात से समाधान हो जाये कि उक्त रिक्त स्थान के ३ माह से अधिक समय तक चाल् रहते की सम्बायना नहीं है।

- (२) जिस व्यक्ति का नाम जयन सूची में कामिल किया गया हो, उस व्यक्ति को सेवा में नियुक्त करने के पूर्व समिति से परामण फरना सामान्यतः तब तक धावस्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन धुधी में उसका नाम शामिल करने की तारीख की तथा प्रस्ताबित नियुक्ति की तारीख की बीच की संबंधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिराबट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की रात्र में ऐसी हो, जिससे सेवा में नियुक्त किया जाना उचिन न हो।
- परिवीद्या.—सेवा में सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति को २ वर्ष की सर्वाध के लिये परिवीद्या पर नियुक्त किया आयेगा अशर्ते कि लिये स्थाई पद उपलब्ध हो, धन्यथा सभी नियुक्तियां बस्थाई रूप से की जावंगी।
- निर्वचन .-- यव इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो इसे शासन को निविश्ट विया जामेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- खूट.--इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह खर्च नहीं लगाया कादेश कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध से विरूप र यह नियम लागू होते हैं राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को उचित सीर त्याय प्रतीत होती हो, परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जारेगी जो इन निश्मी में उपविधत रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हों।
- निरसन और त्यावृत्ति: —इन नियमों के सभी तत्स्थानीय नियम भी इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू हों, उसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत प्राने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरक्षित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के प्रधीन दिया गया कोई भी ग्रादेश या की गई कार्यवाही इन विश्वमों के तत्स्थानीय उपवन्त्रों के ग्राजीन किया गया श्रादेश या की गई कार्यवस्त्री समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा फ्रादेशानुसार,

समर सिह विशेष सचिव

### अनुसूची कमांक १ (अ) (नियम ४ एवं ५ देखिये)

मध्यप्रदेश तृतीय भेषी कर्मचारी तेवा महाविद्यालयीन शिक्षा, (अराजशवित) संचालनालय

### संचालनालय, महाविद्यालयोन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक ( <b>१</b> )	सेवा में सम्मि (	लित पदों मे २)	ह नाम		पदों की संख्य (३)	T	वर्गीकरण (४)	वेतनमान (१) -	निवृक्ति ग्रधिकारीः (६)
۹.	ग्रधीक्षक	- F	(8)8)	संभातनालय		· ×	ततीय थेणी (मिनिस्टीरियल)	४००—६७५ स्ववे	संचलक
۹.	बरिष्ठ लेखा	परीक्षक		संचालन।लय संपुक्त संचा. का	६ } यालय ३ }	3	" (Harrical)	२५०—४५०	

(9)	( <del>?</del> )	9.7			(1)		(Y)	(%)		(६)
3.	महादक लेखागाल वर्ग- लेखागाल वर्ग-			संयुवत संचा. हा संचालनालय	Sagara eac	9°}	तृतीय खेंगी (मिनस्टोरियंत)	944—440	12 E	,संचातक "
٧,	षोध्य सिपिक	5896 ii) 10	##83	संयुक्त संचाः काव	१ गीलक ३ }	¥	,	\$ <b>≈</b> 0−¥40		19 ***
٧,	लेखापाल	MES I	(1) (1)	संचाळनाजय		3	28	\$50-\$3K	39.7	*
٤.	तेखापाल वर्ष- कनिष्ठ तेखा			n	?}	3	ü	२०४—३७४		,
٠.	मैनेबर कम ले	खावाल	323	रवीन्द्र भवन	10	q	590	१०५३७५		
<b>4.</b>	स्टेब टेक्नी शिव	न	353	रवीन्द्र भवन	(#X*)	9	ंतृतीय थेंगी (तकनीकी)	२०४—३७४		**
\$.	उच्च थेणी सि	पिक	135	संपालनासय संयुक्त संचा. कार्याः	१७ } तय ३ }	Ş.	(मिनिस्टीरियल)	9 <b>5</b> \$\$\$0	. 0	
90.	निम्न श्रेणी वि	पिक	16.3	संचालनालय संयुक्त संचाः कार्या रवीन्द्र भवन	9९) संब ६ १	२६	e en	988—300		- w - 5
19.	इलेक्ट्रिशयन			रवीन्द्र भवन	e 4	9	(तकनीकी)	958300		
100			17					F. Willi		

### अनुसूची कमांक १ (ब) (नियम ४ एवं ४ देखिये)

### मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणो कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपतित)

### शिक्षण संस्थायें-महाविद्यालय

भगंक (१)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (२)	8	पदों की संख्या (३)	वर्गीकरण (४)	वेतनमान (५)	नियुक्ति प्रशिकारी (६)
	N <sub>agages</sub> 30	-10	e 3 8 0	(तृतीय श्रेणी)	रुपये	
9.	मुख्य लिपिक	महाविद्यालय	£.R.	(मिनिस्टीरियल)	4xt xt0	संचालक
2.	मुख्य लिपिक कम लेखापाल	77	19		786-860	21.41.51.40
₹.	तेखापाल		£8		२०४—३७४	
¥.	उच्च थेणी लिपिक केसियर	<i>n</i>	99		95x-230	" प्राचार्यं
X.	निम्न थेणी लिपिक		908	w	959-300	
€.	त्रयोगसाला सहायक	in .	X3X	- 39	955	- 100
σ.	सहायक ग्रन्थपाल		\$0	39	984-300	300
σ.	सहायक भेगज अधिकारी	346	3	3,	(तकनीकी) वैसाकि	
۶.	कम्याउण्डर			. P	जन स्वास्थ्य विभाग में है।	संभालक
10.	डारोरिक शिक्षा निर्देशक	9	. Y	राजपतित स्रगजपतित	580—800 }	

(9)	(२)	()		(3)		(+)	_ (×) ·	(*)	(2)	(६)
99.	नृत्य व्याख्याता	7927	महा	विदयालय	1	9	राजपवित.	y, p , jeβ , 840 <del>- </del> 600	ABA BA	ि) संचालक
	हस्त कला शिक्ष	हक .	900			828		30×		
	तवला शिक्षक	The state of the s		, ITTELS	2 77	¥ 2	其特色	5 15 <b>\$</b> 20 € 301		.10
98.	तवला क्लेबर	14 12 2 11	PG PME	50	4900 130571	4	ni	1+ 456-30	•	प्राचार्य
	निर्देशक	2000	1495		1000 TOWN	5	1990000	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		संचालक
White a	संगीत सहायक	)57	732-00	भगवनीय ४ अकसीय ०		3	· u	1966-10	6	प्राचायं
90.	गैस मैकेनिक	ation (Figure	(1836) Haran		of P	3	(तकनीकी)			
9=.	ग्लास ब्लोग्सर		1000 1000	10		£		२२०३७		संचालक
	मैकेनिक एवं इ		यम	97	-		n	२०५—३७		39
₹0.	म्यूजियम कीपर	Oliver and				· E		220 <del></del>	383	3
39.	5-A F		50900	in Const		o or or or	et: notice	969-30	98	प्राचार्य
२२.	5	5000	• • •	n (F)	9 31	18 7		994	Annual Control	S3846019
		**	*9455	100	1 30%	75 P	90	१४५—२४		
93.	46.0	0000	660	- 12	200	* *		155 15	,	100
				महास्य	- महारि	1911970	letotet		T-0-00-00A	
6 Kan	iva€ asies	474-379	er 200 (an ii) 20	年 新读 美市	TVI	An Usk	2 316	नार रहार प्र	15 PF 10	मही क्षा
	Traffy				na Aan	mir ist		M CANADAM NA		Services - Constitution
	WEST OF	-	entre Sie	<sup>क्टा</sup> अनु						
			# 7T	M. 17	(नियम	६ देखिये)				
	19	West of	in institu	7,555			i Romania - Lieu			0.0400
16	377	32	सचा	लनास्य,	महाविश	क्या विकास	TERRET TES	77022	10.44	Cal
(E	3 /	16	y consuma	1077.13	100	2.161	રાયા, ખુ	4344	(2)	48)
(4)	THE PERSON								्यास्त्री	(e) (m), J
क्रमांक	ৰিমাশ কাৰ	ाम	सेवा का	नाम क	तंब्य पद्दों र्क	<del></del>	भरे जाने	वाले कर्तथ्य पदों की	ः जगस्त्रो <b>भ</b> न्य	एका सेवाओं से
क्रमांक	THE PERSON		सेवाका	नाम क	तंब्य पद्मों र्क कुल संख्या	\ \{\}	भरे जाने संख्या	वाले कलंथ्य पदों की काश्मितकल्थ	्रतास्त्र) श्रन्य हें। श्र	्रा सेवाओं से स्तिमों ते
क्रमांक	THE PERSON			नाम का	तंब्य पद्दों र्क		बरे जाने संख्या ताराशांक विशेषा	वाले कतंथ्य पदों की काः प्रतिक्रतः पार्टिको प्राप्त सेवाः कें संस्थितस्य	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	्रा सेवाओं से स्तिमों ते
क्रमांक	THE PERSON		सेवाका	नाम क	तंब्य पद्मों र्क कुल संख्या		बरे जाने संख्या ताराशांक विशेषा	वाले कतंथ्य पदीं की इस्तुश्रातक्रकः मार्गाभिक्षेत्रस्य सेवाः केत्स्माश्रस्य इस्त्रभीतकी पदी	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से सेवाओं से फिल्में की फलेरक हार
क्रमांक	বিশাশ কা ন	E	सेवा का	नाम क	तंब्य पद्दों कं श्रुल संस्था	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	भरे जाने संख्या आपक्षां श्री भर्ती द्वारा प्रत्या	वाले कत्तंथ्य पदी की इस्त्रश्रातकातः कार्वाभागानाः सेवाः भेरम्ण/सस्य स्वदस्थीः की पदी	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
कमांक ( <b>9</b> )	বি <b>भाग কা</b> ন	er (ar ey	सेवा का	नाम का	तंब्य पद्दों कं श्रुल संस्था	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	भरे जाने संख्या वार्ताशाम विभे भर्ती द्वारा प्रत्या (१) प्रत्या	वाले कतंथ्य पदों की काः प्रतिक्रतः प्रतिक्रतः सेवाः केंद्रमूल/प्रस्थः स्वतःकों स्वतः पदो स्वतःकों स्वतः प्रवास	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	एका है सेवाओं से
कमांक ( <b>1</b> )	বিমান কা ন (২)	187 TA	सेवा का	नाम क	तंब्य पद्दों कं कुल संस्था	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	भरे जाने संख्या आरामको म विभी भर्ती द्वारा प्रकार (१) प्रकार	वाले कसंध्य पदी की काः अतिकारः काः भित्तकाः सेकाः भेत्रमूल/स्रस् ः सदस्योगको पदी ग्रह्माका । ग्रह्माकाः । ग्रह्माकाः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
कमांक (9)	বিশাশ কা ব (২) জিলো বিশাশ -	(20 TX)	सेवा का	नाम का महस्रोध स्वयादेश	तंब्य पद्दों कं कुल संस्था	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	भरे जाने संख्या मार्गामा विभिन्नी द्वारा उत्तर (६) उत्तर स्वरू	वाले कसंध्य पदों की का प्रतिक्रमा सेका के स्मृत् इस्ट्रामी एकी पदी एक्ट्रामी गार्थ (क) स्ट्रामी	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्देरका हार
कमांक (१) १. (	विभागका न (२) जिल्लाविभागः -	हर जिल्हा  विद्या-	सेवाका होता कार्ट कार्ट्स (वे)	नाम का मान्हीय कालनेड कालनालय)	तंब्य पद्दों कं कुल संस्था	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	भरे जाने संख्या मार्गामा विभिन्नी द्वारा उत्तर (६) उत्तर स्वरू	वाले कसंध्य पदी की काः अतिकारः काः भित्तकाः सेकाः भेत्रमूल/स्रस् ः सदस्योगको पदी ग्रह्माका । ग्रह्माकाः । ग्रह्माकाः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. 1 報報 (20)	विभागका न (२) जिल्लाविभाग - स्वास्थ महा स्विज्ञा, सहस्प्र	हर जिल्हा  विद्या-	सेवा का	नाम का गामिका सरावेश कासनालय) एरीक्षक प्राप्तय	तंब्य पदों के कुल संख्या (४)		भरे जाने संख्या मार्गामा विभिन्नी द्वारा उत्तर (६) उत्तर स्वरू	वाले कसंध्य पदों की का प्रतिक्रमा सेका के स्मृत् इस्ट्रामी एकी पदी एक्ट्रामी गार्थ (क) स्ट्रामी	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. 1 報報 (20)	विभागका न (२) जिल्लाविभागः - सनासय महा सन्मिला, मध्यप्र	्र ।   (१)     (विद्या-   (देख	सेवा का होता का है हार्ड (वें) प्रशिक्षक (सं वरित लेखा क संजातन संज्ञकत	नाम का गाउँह गाउँहालम् प्रतिशंक	तंब्य पदों के कुल संख्या (४)		भरे जाने संख्या आरामां म ति भर्ती द्वारा क्रमा (१) क्रमा क्रमा क्रमा क्रमा	वाले कलंथ्य पदों की काः प्रतिक्रकः पदों को सेवाः भेटनेल/प्रस्थः स्वत्स्भी हुन्हें। पदो हुन्हें कि	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से सेवाओं से शित्यों की सन्तर्भः हारा
(9) 9. 1 報報 (20)	विभागकान (२) जिल्लाविभागः - सनालय महा निर्मिला, सस्यप्र	्र ।   (१)     (विद्या-   (देख	सेवा का होता (व) प्रश्रीक्षक (सं वरि: लेखा संवालन संवालन	नाम का मार्गाहर मार्गाहर प्राथमालय) एरीशक ग्राह्म	संब्य पदों के कुल संख्या (४)	1	भरे जाने संख्या आन्द्रशाम विभे भर्ती द्वारा प्रश्नी (१) प्रश्नी (१) प्रश्नी प्रश्नी	वाले कलंथ्य पदों की काः प्रतिक्रकः सेवाः भेटकंग/परः सेवाः भेटकंग/परः स्वरको पदो प्रशिक्ति।	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से सेवाओं से शित्यों की सन्तर्भः हारा
(9) 9. 1 報報 (20)	विभागका न (२) जिल्लाविभागः - सनासय महा सन्मिला, मध्यप्र	्र ।   (१)     (विद्या-   (देख	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा प्र संजातन संग्रकत संग्रकत	नाम का मार्गीय मारानालय) परीक्षक प्रालय संचा कार्यालय	तंब्य पदी कं कुल तंक्या (४)	1 { 2 } } } { 2 } } } } } }	भरे जाने संख्या आराम्हर्गाम तिमा भर्ती द्वारा प्रत्या (१) प्रत्या होस	वाले कलंथ्य पदों की काः श्रातशतः सेवाः भेटमूल/श्रादः सदस्योः की पदो ं सदस्योः की पदो ं सहस्योः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. 1 報報 (20)	विभागका न (२) जिल्लाविभागः - सनासय महा सन्मिला, मध्यप्र	्र ।   (१)     (विद्या-   (देख	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा प्र संजातन संग्रकत संग्रकत	नाम का मार्गिः मार्गिः परिशक शिवम् स्थानिय	तंब्य पदी कं कुल तंक्या (४)	1 { 2 } } } { 2 } } } } } }	भरे जाने संख्या (प्राप्ता का हारा का (प्र) का का का का का का का का का का का का का क	वाले कतंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः पतिक्रकः सेवाः वेहम्मा/प्रस् प्रदक्षां स्थि पदो रह्मा रहम्मा	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. ( शंज संज्ञ प्राप्ति	(२) जिल्ला विभाग - जिल्ला विभाग - जिल्ला महा विभाग महम्म	हा 	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा प्र संज्ञासन संज्ञान स संज्ञान स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का मारानालय) परीक्षक शलय संचा कार्यालय शलय शलय संचा कार्यालय संचा कार्यालय	तंब्य पदी कं कुल तंक्या (४)	1 { 2 } } } { 2 } } } } } }	भरे जाने संख्या तारणांक विद्या स्था हारा स्था (१) क्या होस प्रतिभत प्रति	वाले कतंथ्य पदों की काः श्रीतक्रकः पदों की सेवाः श्रीतक्रकः सेवाः श्रीतक्रकः सेवाः श्रीतक्रकः सेवाः श्रीतक्रकः पद्धाः सेवाः श्रीतक्रकः पद्धाः सेवाः श्रीतक्रकः पद्धाः सेवाः स्वीतक्रकः पद्धाः सेवाः स्वीतक्रकः पद्धाः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः स्वीतक्रकः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. ( शंज संज्ञ प्राप्ति	विभागका न (२) जिल्लाविभागः - सनासय महा सन्मिला, मध्यप्र	हा   	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा - संज्ञासक स संज्ञासक स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का गाउनालय) परिशक शालय संचा कार्यालय शालय शालय वेन्य	तंब्य पदी कं कुल तंक्या (४)	1	भरे जाने संख्या (प्राणां म तिमा भर्ती द्वारा उत्पा (४) उत्पात होस प्रतिस्थल प्रदि	वाले कलंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः सेवाः भेटका पदों की सेवाः भेटका पदों सेवाः पदों सेवाः भेटका पदों सेवाः पदों	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. ( शंज संज्ञ प्राप्ति	(२) जिल्ला विभाग - जिल्ला विभाग - जिल्ला महा विभाग महम्म	हा   	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा सं संज्ञासन संज्ञान संज्ञान संज्ञासन संज्ञान स संज्ञान स स संज्ञान स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का गाउनालम् प्रशिक्षक शालम् शा	तंब्य पदी कं कुल तंक्या (४)	1	भरे जाने संख्या त्रान्तां त्रां क्षेत्र हारा (४) क्ष्यां होत्र होत्र प्रतिमत् प्रति	वाले कलंथ्य पदों की का अतिक्रकः पदिकां भेटका अस्तिक्रकः सेवाः भेटका अस्ति पदो पद्धाः भेटका अस्ति पदो प्रश्निक (क.)  म प्रणासम्बद्धाः प्रश्निक विक्रकः प्रश्निक अतिक्रकः प्रश्निक अतिक्रकः प्रश्निक अतिक्रकः प्रश्निक अतिक्रकः प्रश्निक अस्तिक्रकः प्रश्निक अस्तिक्रकः प्रश्निक अस्तिक्रकः प्रश्निक अस्तिक्रकः प्रश्निक अस्तिक्रकः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
(9) 9. ( शंज संज्ञ प्राप्ति	(२) जिल्ला विभाग - जिल्ला विभाग - जिल्ला महा विभाग महम्म	हा   	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा संज्ञालन संज्ञाल स संज्ञाल संज्ञाल स संज्ञाल स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का	तंब्य पदी कं कुल तंक्या (४)	1	भरे जाने संख्या आनुसर्गाम विद्या स्था (१) उल्लेक होड़ प्रतिशत प्रति भन परीका द्व	वाले कलंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः सेवाः भेटका पदों की सेवाः भेटका पदों सेवाः पदों	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्देरका हार
(9) 9. ( शंज संज्ञ अर्थ रहा ।	(२) जिल्ला विभाग - जिल्ला विभाग - जिल्ला महा विभाग महम्म	हा   	सेवा का  प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा संवालक संग्रकत	नाम का मार्गालय) परिश्रक शलय संचा कार्यालय वं-१	संब्य पदों के कुल संख्या कुल संख्या (४)	1	भरे जाने संख्या गानकां का विद्या कर्मा (१) उन्हों होंग्रे प्रतिशत प्रदि धना परीका ह	वाले कलंथ्य पदों की काः श्रीतक्रकः पदों की सेवाः श्रीतक्रकः सेवाः श्रीतक्रकः सेवाः श्रीतक्रकः सेवाः श्रीतक्रकः पद्धाः सेवाः श्रीतक्रकः पद्धाः सेवाः श्रीतक्रकः पद्धाः सेवाः स्वीतक्रकः पद्धाः सेवाः स्वीतक्रकः पद्धाः सेवाः स्वीतक्रकः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
क्रमांक भू । संज्ञ भू । संज्ञ भू ।	(२) शिक्षा विभाग - लिलालय महा लिलालय महा लिलालय	हा   	सेवा का प्रश्लीक्षक (सं वरि: लेखा प्र संज्ञालक स संज्ञालक स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का मारानालय) परीक्षक शालय संचा कार्यालय संचा कार्यालय मंच्या कार्यालय मंच्या कार्यालय मंच्या कार्यालय मंच्या कार्यालय	संब्य पदों के कुल संख्या कुल संख्या (४)	1	भरे जाने संख्या जारणांच विद्या कर्षा हारा क्या (१) क्या होड होड प्रतिशत प्रदि भिता परीका ह	वाले कलंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः सेवाः भेटका पदों की सेवाः भेटका पदों सेवाः पदों	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार
क्रमांक (१) १. । संज्ञ संज्ञ	(२) जिल्ला विभाग - जिल्ला विभाग - जिल्ला महा विभाग महम्म	हा   	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा प्र संज्ञासक स संज्ञासक स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का मार्गनालय) शरीक्षक शलय सचा कार्यालय शब्द कार्यालय वं-१ गं-२ शालय मार्गमालय मार्गमालय मेर्गमालय	संब्य पदों के कुल संख्या कुल संख्या (४)	1	भरे जाने संख्या अनुसर्गाम विद्या अली हारा अली (१) अली होस प्रतिशत प्रदि भिना परीका ह	वाले कलंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला प्रश्निक्षः स्थितिक्रकः प्रश्निक्षः स्थितिक्रकः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्देरका हार
क्रमांक (१) १. । संज्ञ संज्ञ	विभागकान (२) ज्ञाद्या विभागः — जनालय महा विभागक्यप्र	हा   	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा सं संज्ञालक सं सं सं सं सं सं सं सं सं सं सं सं सं	नामं का माजनालय) परिशक शालय संचा कार्यालय शालय शालय वं-१ शालय मा कार्यालय मचाननालय)	संब्य पदों के कुल संख्या कुल संख्या (४)	T TO THE STATE OF	भरे जाने संख्या गायकां का विद्या कर्मा (१) उन्हों होंग्रे प्रतिशत प्रदि धनः परीका ह	वाले कलंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः सेवा के प्रतिक्रकः सेवा के प्रतिक्रकः सेवा के प्रतिक्रकः सिवा के प्रतिक्रकः सिवा के प्रतिक्रकः सिवा के प्रतिक्रकः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं ने शिवां(जी शब्देरण)हार
क्रमांक (१) १. । संज्ञ संज्ञ	विभागकान (२) ज्ञाद्या विभागः — जनालय महा विभागक्यप्र	हा   	सेवा का प्रशिक्षक (सं वरि: लेखा संवालन संयक्त स्व संयक्त संयक संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त संयक्त स संयक स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	नामं का माजनालय) परिशक शालय संचा कार्यालय शालय शालय वं-१ शालय मा कार्यालय मचाननालय)	संब्य पदों के कुल संख्या कुल संख्या (४)	T TO THE STATE OF	भरे जाने संख्या अनुसर्गाम विद्या अली हारा अली (१) अली होस प्रतिशत प्रदि भिना परीका ह	वाले कलंथ्य पदों की का प्रतिक्रकः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला/प्रस्थः सेवाः भेटनेला प्रश्निक्षः स्थितिक्रकः प्रश्निक्षः स्थितिक्रकः	्रामादको स्रान्य हिन्द (५मान	सेवाओं से शिवाओं से शिवायों की शब्दोरक हार

(9)	(3)	(3)	(4)		(x)	(%)	(७)
	रवीन्द्र भवन	मैनेजर कम लेखावाल	9	٩	95.T.	৭০০ প্রনিয়ন	
		निम्न थेणी निषिक संचालनालय संयु संचा कार्यालय रवीन्त्र भवन	98 }	75	९० प्रतिशत	r ९० प्रतिशत य चतुर्थं धेणी कमेंच द्वारा।	है (रियों
1	रवीन्द्र भवन	स्टेज टेबनीशियन इलेब्झिशियन		9 9	৭০০ ম্বরিয়ার ৭০০ ম্বরিয়ার	0.62	
ė.	-Y				- (		v and
	_		सनुसूची क	सांक	⊋ (a)		
		V/	्रित । (नियम	The state of	401 50545457		
		(746)			2003		
		शिक्ष	ण संस्थायें-	म	हाविद्यालय		
मांक	विभाग का नाम	सेवाकानाम	रतंत्र्य पदों मुल संस्य		भरे जाने संद	वाले कर्लव्य पदों की या का प्रतिशत	क्रन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्था- नांतरण द्वारा
					होधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल/अस्था सबस्यों की पदीवरि	
9)	(२)	(%)	(x)		(%)	(\$)	(6)
. fr	নধা বিশাণ:—		2857277	-			1
	And the state of		85		7		70%
STATE	म संस्थात	HIND TOTTON	6 2 1				
	ग संस्थार्थे (विद्यालय)	मुख्य निषिक मुख्य निषिक कम नेखापार	{ o }	9	200	१०० प्रतियत	
		मुख्य लिपिक कम लेखापार लेखापाल	7 0 ∫ 0 58	9	89	৭০০ ছবিষ্মর "	
		मुँख्य लिपिक कम लेखागार लेखापाच उच्च श्रेणी लिपिक	7 °} ° 48 91} °	n N		Television of the second	
		मुँध्य लिपिक कम तेछापार लेखापाल उच्च श्रेणी लिपिक केजियर निम्त श्रेणी लिपिक	7 0 ∫ 0 58	)¶ (%	101	" " १० प्रतिशत ग्रहें च	<b>ਰੁ</b> ਖ
		मुँध्य लिपिक कम तेखागार लेखापाल उच्च श्रेणी लिपिक केशिवर निम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायप	7 0		ें. ९० प्रतिकत ०० प्रतिशत	" " १० प्रतियत मही च श्रेणी के हारा। —	<b>ਰੁ</b> ਖ
		मुंध्य लिपिक वम तेछापार लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर तिम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक संख्यात	7 0		ंं ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत <i>ग</i>	" " प्रतिश्वत ग्रह्मं च श्रेणी के हारा। —	
		मुँध्य लिपिक कम तेखागार लेखापाल उच्च श्रेणी लिपिक केशिवर निम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायप	7 0		ें. ९० प्रतिकत ०० प्रतिशत	" " प्रतिश्वत ग्रह्मं च श्रेणी के हारा। —	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
		मुंध्य लिपिक कम तेखापार लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायप सहायक संस्थान सहायक संस्थान सहायक संस्थान	र ७∫ ० ६४ ७१ १०४ १२४ ३० २	٩	ंं ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत <i>ग</i>	" " 90 प्रतिश्वत ग्रहें च श्रेणी के हारा। —	जन स्वास्थ्य विभाग से नियोजन पर
		मुख्य लिपिक कम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केलियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक प्रथमान सहायक प्रथमान सहायक श्रेपन श्रीष्टि.	7 0	٩	় : ९০ মারিছর ০০ মারিছার ০০	" " प्रतिश्वत ग्रह्मं च श्रेणी के हारा। —	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक कम तेखागार लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर तिम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक च्य्यपात सहायक च्य्यपात सहायक च्यापात णारीयिक शिक्षा निर्देशक त्या व्याप्याता	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	٩	ু মনিছন ৩০ মনিছন ৩০ মনিছন ৩০ মনিছন	" " १० प्रतिश्वत स्रहे च श्रेणी के हारा। —	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक कम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केलियर तिम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक स्थापात सहायक स्थापात सहायक श्रेपन श्रीष्टि. कम्पाउण्डर णारोगिक श्रिक्षा निर्देशक तृथ व्याप्याता हस्तकला शिक्षक	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	٩	्रें ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत " • प्रतिसत	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक कम तेखागार लेखायात उच्च श्रेणी लिपिक केलियर तिम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक च्य्यपात सहायक च्य्यपात सहायक च्यापात ग्रामीयिक शिक्षा निर्देशक त्य व्याप्याता हस्तकला शिक्षक	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	٩	ু মুরিছর ০০ মুরিছর ০০ মুরিছর ০০ মুরিছর ০০ মুরিছর	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक कम तेखागार लेखायाव उच्च श्रेणी लिपिक केलियर तिम्त श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक चन्यपात सहायक चन्यपात सहायक भ्रेपज श्रीष्ठ. कम्याउण्डर णारोगिक शिक्षा निर्देशक त्यक धार्याता हस्तकला शिक्षक तयला जिक्षक तयला जिसक	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	٩	्रं ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत १ १ १ १ १ १	" " १० प्रतिश्वत ग्रह्म च श्रेणी के हारा। — १०० प्रतिश्वत	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक यम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केलियर निम्न थेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक प्रथमान सहायक प्रथमान सहायक भ्रेपन श्रीष्टि. कम्पाउण्डर णारोगिक श्रिक्षा निर्वेशक त्य व्याप्याता हस्तकला शिक्षक तवला प्रथक संगीत सहायक	T 0	٩	्रं ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत ११ १९ प्रतिसत ११	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक कम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायप सहायक चर्यपान सहायक चर्यपान सहायक भ्रेपन श्रीध. कम्पाउण्डर णारोगिक शिक्षा निर्देशक नृत्य व्याध्याता हस्तकला शिक्षक तयला जिक्षक तयला जिल्ला संगीत सहायक	T 0	٩	्रं ९० प्रतिशत ०० प्रतिशत ११ १९ प्रतिशत ११ ११	" " १० प्रतिश्वत ग्रहे च थेणी के हारा। — १०० प्रतिश्वत	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक कम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायप सहायक ग्रंथपात सहायक ग्रंथपात सहायक श्रेपन श्रीध. कम्पाउण्डर णारोगिक शिक्षा निर्देशक नृत्य व्याख्याता हस्तकला शिक्षक तवला जिथक तवला जिथक तवला जिथक संगीत सहायक श्रीम भेकेनिक स्वास श्रीधर	T 0	٩	्रं ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत ११ १९ प्रतिसत ११	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक यम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक चय्यपात सहायक चय्यपात सहायक भ्रेपन श्रीध. कम्पाउण्डर गारीरिक शिक्षा निर्वेशक नृत्य व्याख्याता हस्तकला शिक्षक तवला शिक्षक तवला श्रेयक संगीत सहायक भ्रेम भ्रेष्टिक भ्रास स्वीयर भ्रेम भ्रेष्टिक	T 0	٩	९० प्रतियत ०० प्रतियत ०० प्रतियत ११ ११ ११	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक वम तेखापार लेखापाल उच्च श्रेणी लिपिक केशियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायप सहायक चन्थपाल सहायक चन्थपाल सहायक संपन्न श्रीह. कम्पाउण्डर गारीरिक शिक्षा निर्वेशक तृग्य व्याख्याला हस्तकला शिक्षक तवला जिक्षक तवला जिल्ला संगीत सहायक भीय मेकेनिक स्वास श्रीधर मेकेनिक एवं इलेबिट्ट, स्याज्यम कीपर	T 0	٩	्र ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत १ १ १ १ १	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो
	(विद्यालय )	मुख्य लिपिक यम तेखागाः लेखापात उच्च श्रेणी लिपिक केशियर निम्न श्रेणी लिपिक प्रयोगणाला सहायय सहायक चय्यपात सहायक चय्यपात सहायक भ्रेपन श्रीध. कम्पाउण्डर गारीरिक शिक्षा निर्वेशक नृत्य व्याख्याता हस्तकला शिक्षक तवला शिक्षक तवला श्रेयक संगीत सहायक भ्रेम भ्रेष्टिक भ्रास स्वीयर भ्रेम भ्रेष्टिक	で (49 ) で で (49 ) で	٩	्रं ९० प्रतिसत ०० प्रतिसत ११ १९ ११ ११ ११	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	जन स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर यदि उपलब्ध हो

### अनुसूची कमाक ३ (अ)

(नियम = देखिये)

### संवालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

3537					स्थन समिति के सदस्यों के नाम
ऋमा	कसेबाकानःम	न्यूनतम यायु सीमा	अधिकतम प्रायु सीमा	संक्षणिक अहेताय	CHARGO
(9)	(₹)	(3)	(¥)	(1)	(4)
۹.	श्राष्ट्र विषिक (२८०—४८०)	95	२द १.	उच्चतर माध्यमिक संथवा समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मदल संथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण।	<ol> <li>संयुक्त संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी-अध्यक्ष।</li> </ol>
			₹.	मध्यप्रदेश शीक्षतेखन तथा भुडलेखन परिषद् द्वारा संपालित हिन्दी शीक्ष-	२. उप-संचालक, महाविद्यालयीन णिक्षा- सदस्य ।
				नेखन परीक्षा प्रथवा इस परिषद हारा मान्य बन्य समकक्ष परीक्षा (वीघ- लेखन कम-से-कम १०० गय्द प्रति मिनिट की गति से)।	<ol> <li>सहायक संचालक, महाविद्यालयीन, शिक्षा-सदस्य ।</li> </ol>
₹.	सहायक (२४६—४६०)	15	च्ह १.	स्नातक सथवा समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीण ।	( <b>22</b>
			₹.	हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान।	H 11
3.	निम्न श्रेणी लिक्टि (१६९—३००)	<b>ह</b> १≒	२५ १.	उ. मा. ध्यवा समकक्ष परीक्षा किसी भान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल वा विश्व- विद्यालय द्वारा संचालित हुई हो, से उत्तीर्ण।	(29)
\$20	: %		٦,	मध्यप्रदेश शीझलेखन तथा मुझलेखन परिषद् द्वारा संशामित हिन्दी मुद- लेखन परीक्षा अथवा इस परिषद् द्वारा मान्य सन्य कमकक्ष परीक्षा उसीर्ण (कम से कम ३० शब्द प्रति मिनिट)।	34.
٧.	टेन टेक्नोझियन) (२०५—३७५)	95	₹ <b>5</b> 9.	मैद्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्थ जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा भण्डल या विस्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई हो।	शिका—सदस्य ।
			٧.	स्टेंज के कार्य का का पूर्ण ग्रनुभव	
	लेक्ट्रिशयन (१६९—३००)	१६	२८ १.	मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल लायसेन्स प्राप्त तथा कार्यका कम से कम २ वर्षका अनुभव।	३. सहायक संचालक, महाविद्यालयी शिक्षा <del>- स</del> दस्य ।

### (अनुसूची क्रमांक ई (व)

(नियम = देखिये)

लिल्लाम शिक्षणः	संस्थायं- महाविद्यालय
-----------------	-----------------------

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

	सेवा का नाम जीवन्द्रम के सोहा	न्यूनसम	यधिकतम	शैक्षणिक यहंता	ă	चयन समिति	के सदस्यों के	नाम 🕜
52261			श्रायु सीमा	500 P 30 20	रक्ष संस्कृत	propins.	开户 医色线	357
(9)	(3) (3)	(3)	(8)	(x)(x)	(2) 19(0-1014	ावतिहाँ (7) (7)	(६) <sub>(2)</sub>	(0)
	निम्न श्रेणी .लिपिक (१६९—३००)	7-11 <b>15</b> 47) 1694 1834	,35 ; 1, 1-24	उच्चतर माध्यमिक ग्रथ परोक्षा उत्तीर्ण को कि , शन्त-शिथा मण्डल या वि द्वारा संचानित हुई हो।	री मान्यता	दो वरिष्ठ प्र	Secretary and the second	ग्राध्या करें।
	osa Propi propip	्य-निस्तिष्ट सङ्ग्रहम् सङ्ग्रहम्भा सङ्ग्रहम्भा	-97 1441 11 -15 il	सध्यप्रदेश जीश्रेलेखन तथ। परिषद द्वारा संचालित हिन् परीक्षा प्रथवा इस परिषद प्रन्य समक्त्र परीक्षा ३० मध्य प्रति मिनिट) i	ी मुद्रतेखन द्वारामान्य स्त्रीणंगति		I WOODE CENTRALIES	400 de 100 d
62.0	1000	90 800	tich.	्रिक्षे भाषा का प्रयोध	शासा । हा सा	≅β	762757	49
₹.	योगशाला सहायः (१६९—३००)	5 <b>9</b> 5	<b>२≈' (q</b> )	विज्ञान विषय के साथ एक मिक खबवा समकक्ष परी जो कि किसी मान्यता । मण्डल या विश्वविद्यालय द्वा	नतरमाध्य- १ श्राउत्तीर्णे सम्दंशिका २ सर्पाजित	पक जिल्हा प्र	CONTROL TO THE REAL PROPERTY.	प्राध्या-
3.	सहायक ग्रन्थपाल (१९१—३३०)	१य	हुद्धाः <b>वृ</b> ः कार्याः कार्याः	उन्यतर माध्यमिक अध्य परीक्षा उनीर्ण को किमी मा शिक्षा मण्डल यथवा विश्ववि संवादित हुई हो जिया सितान में जिल्लोमा/सर्टिक्न	ः  तः समस्थः १  त्यता प्राप्तः २  त्यालयः द्वाराः पुराकालयः	, प्राचार्य-प्रा , दो वरिष्ठ प्र पक जिल्हें	्यक्ष प्रथम प्रधापक/सहायक प्राचाये नाम*किः ग्राज्य का अस्थप	र करें
٧.	सहायक भेषन प्रधिकारी	95	२० १.	साधारकार एक । १४ वि नैसा कि जन स्वास्थ्य वि पद हेतु निर्धारित है।	ा गुण्में इस १	. संयुक्त संबद	तक—ग्रध्यक्ष ।	3
ข้อสถ	न्यासार, पहारित्य संस्कृत	स्ट्रायह जिल्लाम	i hiro nen nehr	, तन स्वास्थ्य विशास है। यदि उपलब्ध हो दो स सांपीत द्वारा ।	ी र नेयोजन पर ३ न्युषा चयन	. जिला सिहि . प्रीचार्थ, हो सदस्य ।	वल सर्जन—सद तिकोत्तर महावि	स्य । शलयः
٧.	₩641308₹	95		जैसा कि जन स्वास्थ्य वि यद देश निर्धारित है।	भागमें इस व	संयुक्त संचा	तक	
विद्यान्	ग्रन्थः, प्रसद्धित सरस्य ।	मानपुरः — सहारी	ं गण <b>्</b> है क	ं जन स्वाध्य विभाग के। वृद्धि वृद्धक्य हो तो श्र समिति होरा। ा	नयाजन परः न्योधा चळक १	जिला सि ना प्राचार्य, इ. सदस्य।	विल सर्जन— १२८०४ हुनीस गातकोत्तरः सहेऽवि	1/2
۹.	शारोरिक निक्षा- निर्देशक (१ श्रेणी-३००–६०		२६ धेर्ण	ो—-१-व्यायाम विक्षा विष्योमायाउपाधिया प्रमाण-पद्याः	स्नातकोत्तर q रनातकोत्तर	. संचालक—ड	स्थवा उनके ोत मधिकारी-ग्र	सर- व्यक्त ।
	(२ श्रेणी-२५०-४०	)	श्रेर्ण	ो२. वर्तमान व्यायाम शिक्ष योग्यता थेणी-१ के प्रनुक्ता	क जिनकी	100415-000 - 100400	पक—सदस्य । संचालक द्वारा नाग	्र संकित
					584	प्राध्यापक/सह	ायक प्राध्यापक रास्या जिसे संस्	प्रासी-

उप-संबालक, महाविद्यालयीन शिक्षा।

(	۹)	(۶)	(3)	(x)	(x)	(1)
3	<b>.</b>	नृत्य व्याख्याता (३००—६००)	9=	75	<ol> <li>भैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक स्था समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो किसी भान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल स्था विका- विद्यालय द्वारा संचालित हुई हो।</li> </ol>	<ol> <li>संचालक ध्रथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रधिकारी—स्थयक्ष ।</li> <li>संयुक्त भंचालक ।</li> </ol>
					२. नत्य कला में मान्य डिसी/डिप्लीमा हो:डर।	<ol> <li>प्राध्यापक/सहायक प्राध्यःपक (संबं- धित विषय) जिन्हें संवालक नामां- कित करें।</li> </ol>
					:To	४. उप-संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा।
3	۹,	हस्तकना शिक्षक (२२०—३७४)	9=	२६	<ol> <li>सम्बन्धित जिल्प में डिप्लोमा श्रमवा ग्रिकि योग्यता जो लासन द्वारा मान्य</li> </ol>	<ul> <li>मंजासक ग्रथ्या उनके द्वारा नामांकित</li> <li>ग्रश्चिकारी।</li> </ul>
		5.0 (4000) = (4000)			हो एवं न्युनतम उज्बतर माध्यमिक परीक्षा सथवा समयक परीक्षा उलीव को सासन द्वारा भान्य हो।	२, एक प्राचार्यमहाविद्यालय जिसे संचा- लक नामांकित करें।
						<ol> <li>प्राच्यः पक/सहायक प्राध्यापक जिमे प्राचार्य पोसीटेक निक नामांकित करें।</li> </ol>
	۲.	तबला प्लेबर (१६९—३००)	95	35	<ol> <li>संगीत विकारद स्रथना उसके समक्ता भाग्य परीक्षा उत्तीर्ग।</li> </ol>	<ol> <li>प्राचार्य अथवा उनके द्वारा भनोनीतः अधिकारी !</li> </ol>
		\$17(0001 — 2004 X18))			\$ CCD-2 \$FIFTY #6\$\$95 Y 300-540 Wind	२, दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक प्राचार्यद्वारा नाम विता
	90.	निर्देशक (२०५—३७६)	95	₹<	<ul> <li>सम्बन्धित शिक्ष्य में डिप्लोमा अथवा अधिक योग्यता जो शासन द्वारा मान्य</li> </ul>	<ol> <li>संवासक श्रथवा एसके हारा मनोनीत प्रशिकारी।</li> </ol>
35		\$6000001 St =80			हो एवं न्यूनतम उच्चतर माधमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	२. एक प्राचार्य, संवासक द्वारा नामांकित
7					जो शासन द्वारा मान्य हो।	<ol> <li>एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक जिन्हें प्राचार्य, पोलोटेकनिक नामग- कित करें।</li> </ol>
i(	99.	संगीत सहायक (१९९—३००)	94	२८	<ol> <li>उच्चतर साध्यमिक परीक्षा सथवा उसके समकक्ष मान्य बोर्ड विण्वविद्यालय हारा परीक्षा उत्तीर्ण तथा संगीत विज्ञारद</li> </ol>	<ol> <li>प्रामार्थं प्रथवा उनके द्वारा क्लोनीत प्रशिकारी।</li> </ol>
		9004-3 00-6			यराक्षा उत्ताच तथा समात विकार संबंधा समकक्ष परीक्षा उत्तीच जो शासन द्वारा मान्य हो।	२. दो प्राध्यापकासहायक प्राध्यापक प्राचार्य द्वारा नामांकित।
j	97.	नैस मेकेनिक (१४.५−२४२)	9=	२८	<ol> <li>केरोसिन घाइल से गैस निर्माण करने का ५ वर्षका घनुभव तथा कोल गैस प्लाट को संवर्गलत करने का अनुभया</li> </ol>	<ol> <li>प्राचार्यसम्बद्धाः उनके द्वारा नामाकितः स्रोधकारो ।</li> </ol>
	24				प्रयोगणाला में लैस लाइन में तथा जल प्रदाय लाइन का पूर्ण ज्ञान भी साब- स्यक है।	<ol> <li>दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (जिनमें से एक सम्बन्धित विद्याः का विभागात्यक्ष हो) जिसे प्राचा नामांकित करें।</li> </ol>
1	99.	ग्लःस श्लो <b>ग</b> र (२२०—३७ <b>१</b> )	94	40	<ul> <li>तिन्त तापक्षम कांच को प्रकृते का काम तथा सीलिय करने का ४ वर्ष का सनभव।</li> </ul>	<ol> <li>संचालक प्रथवा उनके द्वारा मनोनी प्रशिकारी।</li> </ol>
6-					an anna i	२. प्राचार्थ, विज्ञान महाविद्यालय।
						३. एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्याप सम्बन्धित विभाग
K	98.	ग्रैकेनिक कम इलेबिट् वियन (२०४–३७४		२८	सेन्स प्राप्त तथा कम से कम को वर्ष का सनभव।	स्रिकारी ।
					1 1 30 7 3 East	२ । कप्रचा <sup>क</sup> संचालक टारा न*शोकि

(9)	(२)	(3)	(x)	(¥)	(4)
	A STATE OF THE STA	3,000	757	189	201 - W. H.
94.	म्बुजियम कीपर (२२०—३७५)	ীহ	মৃত্	टी. एससी. उत्तीर्ण (जीव तथा बनस्पति विज्ञान )।	<ol> <li>संचालक अथवा उनके द्वारा मनोबीत अधिकारी।</li> </ol>
					२. एक प्राचार्य संचालक द्वारा नामांकित
W 2				120	<ol> <li>प्राध्यायक/सहायक प्राध्यायक सम्ब- व्यित विषय ।</li> </ol>
94.	टकशीडमिस्ट (१६९—३००)	9=	२८	विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रयक्षा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	<ol> <li>प्राचारं धयवा उनके द्वारा मनोचीत शक्तिकारी।</li> </ol>
1	(1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980)			जो बासन द्वारा मान्य हो एवं कार्य का अनुभव।	<ol> <li>दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक प्राचार्य हारा नामांकित ।</li> </ol>
364				7500 1000	
90.	बढ़ई (१४४२४२)	4=	50	उच्चतर माध्यमिक तांत्रिक शाला या ग्राई.टी. बार्ड के बहुई के कार्यका प्रशिक्षण	<ol> <li>प्राचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकरी।</li> </ol>
	4.00233.003703.0			प्राप्त या सम्यन्धित शिल्प में रीजनल कालेज स्रथवा बी. एड. ट्रेनिंग कालेज से डिप्लोमा या सर्टिकिकेट प्राप्त ।	२. एक प्राध्यापक/सहायथ प्राध्यापक/ प्राचार्य पोशीटेकनिक द्वारा नामां- कित ।
3.9					red 1
					<ol> <li>एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा नामीकित।</li> </ol>
£	50 \$00000	3			१. प्राचार्य प्रथवा उनके द्वारा मनोनीत
95.	मदुव (१९५—३३०)	٩s	नुष	उन्ततर माध्यमिक परीक्षा खबजा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो शासन द्वारा मान्य ही एवं कार्य का खनभव।	म्, प्राचाय अववा उनक द्वारा नगानता श्रक्षिकारी ।
			2		२, दो प्राघ्यापक/सहायक प्राघ्यापक/ प्राचार्य द्वारा नामांकित।

### अनुसूची क्रमांक ४ (अ)

17

(02)

(नियम १३ देखिये)

### संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक (१)	विभाग का नाम (२)	उस सेवा या पव का नाम जिससे पदोस्रति की जानी है (३)	उस सेवा या पद का दाम जिस पर पदीन्नति की जानी है (४)	विभागीय पदोग्नति समिति हे सदस्यों के नाम (५)
मह	क्षा विभाग— गुविधानयीन विकासंचा- नालय, मध्यप्रदेश	वरिष्ठ लेखा परीक्षक संचाल- नालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय।	- सधीक्षक संचालनालय	<ol> <li>संयुक्त संचालक</li> <li>उप-संचालक</li> <li>सहायक संचालक</li> </ol>
W.	West 1	(i) सहायक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यों सय)।	वरिष्ठ तेखा परीक्षक -	<ol> <li>संयुक्त संवालक</li> <li>उप-संवालक</li> <li>सहायक संवालक</li> </ol>
		(ii) लेखापाल वर्ग-१ य र संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय ।	( <u>1911</u>	

133	(9)	(२)	(3)	(*)	(x)
A	महाविद्यालय संवालनातय,		<ul><li>(iii) मुख्य लिपिक तथा मुख्य लिपिक कम लेखापाल महाविद्यालयीन ।</li></ul>		
			लेखाय।स—२२०—३७५ लेखायास-वर्ग-३	सहायक (संचालनातय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय।	
	रबीन्द्र भवन		कनिष्ठ लेखा परीक्षक (२०१—३७१) संचासनालय मैनेजर कम-लेखापाल (२०१—३७१)	लेखापाल वर्ग-१ व २ (संचालनालय)	<ul><li>६. संयुक्त संवासक</li><li>६. स्य संवासक</li><li>३. सहायक संवासक</li></ul>
¥			उच्च श्रेणो लिपिक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालनालय कार्यालय)	सेखापाल (२२०—३७४) कनिन्ठ नेखा परीक्षक लेखापाल वर्ग-३ (२०४–३७४) संचालतालय वैनेजर कम-लेखा- पाल रबीन्ध्र भवन (२०४-३७४)	तर्वेव
W)	38		निश्न श्रेणी लिपिक (संचा- लनालय एवं संयुक्त संचा- लक कार्यालय) ।	उच्च श्रेणी लिपिक (संवालना-	<ol> <li>संयुक्त संचालक अथवा उनके</li> <li>द्वारा मनोनीत प्रधिकारी</li> <li>उप-संचालक</li> <li>सहायक संचालक</li> </ol>

टीप:--(१) ग्रजीक्षक के पद पर पर्वास्त्रति योग्यता प्रधान-ज्येष्टता बीण के स्नाधार पर की जायेगी।

(२) बरिष्ठ लेखा परीक्षकों के एक वर्ष में होने वाले क्लिए रही में से ६० प्रतिकत पर महाश्वि रखों के वर्षचारियों की पदी-जित हारा तथा ४० प्रतिकत पर संचालनासय एवं स्टूल रखत्व न घटा के परंच कि तर के र दहि है पा प्रणे जावेगे तथा इस प्रकार पदोक्षत विधे गये व्यक्तियों की परस्पर विष्टित। एवक रखे हि की तर्र के है कि ले असे कि सु दि दीनों प्रकार के कर्मचारियों की पदीक्षति एक ही तारीख को आदेक्ति है तो संच लन स्थ के परंच कि दूसरे कार्यालयों के कर्मचारियों से अपर वरिष्टता दी जायेगी।

(३) वरिष्ठ लेखा परीक्षक, कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखापालों के पत्रों के लिये निर्धारित लेखा परीक्षा उत्तीर्थ होना ग्रानवार्य होगा।

### अनुसूची कमांक ४ (व) (वियम १३ देखिये)

### ज्ञिक्षा संस्थाएँ महाविद्यालय

2	¥. (٩)	विभागकानाम (२)	उस सेवा या पद कानाम जिससे पदोक्षति की जानी है (३)	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोचित की जानी है (४)	विभागीय पदोचित समिति के सदस्यों के नाम (१)
36 No.	The Carry	विभाग—महाविद्यालय	क्षेत्रापाल महाविद्यालय	मुख्य लिपिक तथा शुख्य लिपिक कम-लेखापाल (महाविकालय)	<ol> <li>संयुक्त संचालक</li> <li>उप-संचालक</li> <li>सहायक संचालक</li> </ol>
		8	उच्च श्रेणी लिपिक एरं शैतियर (महाविद्यासय) ।	लेखापाल (महाविद्यालय)	**
			तबला प्लेखर (महाविद्यालय)	तबसा शिक्षक (महाविद्यालय)	सहायक संवालक एवं एक प्राच्यायक/सहायक प्राच्यायक (विषय से सम्बन्धित) नद्दी- विद्यालय।

(a) (s) (x)

निम्न श्रेणी लिपिक एवं प्रयोग- उच्च श्रेणी लिपिक सम्बन्धित शाला सहायक (संबंधित महा- महाविद्यालय। विद्यालय)।

प्राचार्य द्वारा मनोनीत दो वरिष्ठ प्राध्यापक एवं एक वरिष्ठ सहा-यक प्राध्यापक ।

- नोट:--(१) लेखापाल पद के लिये निर्धारित लेखा परीक्षा उत्तीर्ग होना श्रनिवार्थ होगा।
  - (२) तवला शिक्षक के पद हेतु शासन/विश्वविद्यासय द्वारा मान्य परीक्षा उत्तीर्ण होना स्निवार्य होगा ।
  - (३) प्रयोगसाला सहायकों को पदोस्रति की पावता हेतु निम्न खेली लिपिक के सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक सहैतायें यनिवार्य होगी।

क. ७४५-बीस-ध-मशिसं-स्था.

भोपाल, दिनांक २२ ग्रप्नैल १९७५

भारत के संविधान के अनुक्छेद ३४= के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधि-सूचना क. ७४४-बीस-सशिसं-स्था, दिनांक २२ अर्थन १९७४ का अर्थनी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतदहारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समरसिंह विजेद सचिव

### MADHYA PRADESH CLASS III SERVICE RECRUITMENT AND PROMOTION RULES

Collegiate Education (Non-gazetted)

No. 745-XX- Stt.

Bhopal, the 22rd April, 1975

In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Non-Gazetted—Class III (Collegiste Branch), Service namely;—

 Short title and Commencement.—These rules may be called the Madhya Pradesh Non-gazetted class III Service (Collegiate Bra. cl.), Recruitment and Promotion Faller, 1974.

These rules shall come into force with effect from the date of their notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

- 2. Definitions .- In these rules, unless the context otherwise requires-
  - (a) "Applinting Authority" in respect of the service means the Director of Collegiate Education or any stater subordinate officer whom the power to make apprintment in the service or to a post has been delegated or may be delegated by the Government in features
  - (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
  - (c) "Governor" means the Governor of Madkya Pradesk;
  - (d) "State" means the State of Madhya Pracesh;
  - (e) "Schedule" means the schedule appeaded to these rules;
  - (f) "Service" means the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch);

- (g) "Committee" means the Select Committee for promotion as constituted under Schedule IV;
- (h) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution and are notified as such by the State Government from time to time;
- (i) "Director" means the Director of Collegiste Education, Madhya Pradesh;
- (j) "Examination" means the competitive examination.
- Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisier's contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.
- 4. Constitution of the Service-The Service shall consist of the following persons, namely :-
  - (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I (A) and (B).
  - (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
  - (3) Persons who may be recruited or premoted to the service in accordance with the provisions of these rules.
- Classification, Scale of Pay, etc.—The classification of the service the scale of pay attached
  thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions
  contained in Schedule I (A) and (B) hereto annexed.

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included the Service either on a permanent or temporary basis.

### 6. Method of Recruitment:-

- (1) After commencement of these rules recruitment to the service shall be made by the following methods, Viz:-
  - (a) by holding competitive examination and or by direct requirment by selection;
  - (b) by promotion of the members of M. P. Non-Gazetted class III Service (as mentioned in column 3 of Schedule V);
  - (c) by transfer of persons appointed substantively in the specified service or specified posts.
- (2) The number of persons recruited under clause (b) and (c) of sub-rule (i) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts as specified in Schedule II.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Committee.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-sule (1): if in the opinion of the Government the exigencies of service so requires, the Appointing Authority may, after approval of the Government in General Administration Department, adopt such methods of reconstruct to the Service other than these specified in the said sub-sule as it may be order issued in this behalf, prescribe.
- 7. Appointment to the Service.—All appointment to the Service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority empowered to make appointments and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule (6).
- 8. Conditions of eligibility for direct recruit.—In order to be eligible or selection a candidate must satisfy the following conditions, Viz:—
  - (1) Age.—(a) He must have attained the age (as in column (3) of Schedule III) and not attained the age (as in column 4 of Schedule III).

- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if the candidate belongs to any Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
- (c) The upper ag: limit may also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—
  - (i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.
  - (ii) A candidate who is a temporary Government servant should not be more than 38 years of age. The relaxation given in the case of temporary Government servants may also be almissible to the work charged staff and contingency paid staff and persons working in Project Implementation Committees.
  - (iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents a total of more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
    - Paplanation.—The term "retrenched Government servant" means a persons who was in temporary Government service of this State or of my of the constitutent units for a continuous period of not less than six ments and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration in the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government service.
  - (iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age period of all Defence Service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.
    - Explanation.—The term "ex-serviceman" means a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—
      - (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.
      - (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.
      - (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.
      - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers).
      - (5) Officers discharged after working for more than six months continously against leave vacancies.
      - (6) Ex-serviceman invalided out of service.
      - (7) Ex-serviceman discharged on the ground that now they are unlikely to become efficient soldiers.
      - (8) Ex-serviceman who on the recommendation of the Medical Board are medically boarded out on account of gun shot, wounds, etc.

N. B.—Candidates who are found eligible for relaction there ille rge corresponds mentioned it properties all (i) (e) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after all mining the application they resigned from service color laters or after selection. They will however, continue to be eligible, if after submitting the applications they are retracked from the service or post.

In no other case will these age limits be relaxed.

Conditates working in other departments must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for selection.

- (1) Educational qualifications.—He must possess the educational qualifications prescribed for the service as are shown in Schedule III. Provided that (a) in exceptional cases by the orders of the Government a cardidate may be treated as a qualified cardidate, who though not possessing any of the qualifications as prescribed in this clause, has passed an examination conducted by any other institution by a standard which, in the opinion of the Appointing Authority justifies the consideration of the conduction.
  - (b) Candidate who are otherwise qualified but have obtained degrees from foreign Universities being Universities not specifically recegnised by the Government may also be considered for selection at the discretion of the Selection Committee by the order of the Government.
- (2) Fees .- The Cardidate must pay the fees prescribed by the Government.
- 9. Disqualification:—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his cardidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for the selection.
- 10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final:—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a cardidate for selection shall be final.

### 11. Direct Recruitment :-

- (a) by selection :-
  - (1) Selection for recruitment to the service on the posts, other than those specified in clause (b), shall be made at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine:
  - (2) The Selection of cardiates for the service shall be made by the Selection Committee after interviewing them.
- (b) By competative Examination:-
  - A competitive examination for recruitment to the service on the posts of laboratory assistant,
     L. D. C., Assistant (Directorate) and Stenographer shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine.
  - (2) A competative examination shall be held according to the orders the Government may, from time to time issue.
  - (i) 90% posts of the L. D. Cs. shall be filled in by direct recruitment and 10% posts shall be filled in from amongst the Class IV employees of the office on the basis of seniority tempered by merit and subject to the condition that the cardidates should have passed the Higher Secondary Examination and they may be reverted to their substantive posts if they do not pass Hindi Typewriting Examination conducted by a recognised Board within one year from the date of the their appointments.
  - (ii) 25% posts of Assistants (Directorate) shall be filled in by direct recruitment and 75% posts of from amongst the Junior Auditors and Accountants of the Directorate as specified in Schedule IV (A) on the basis of merit tempered by seniority by promotion.
  - (iii) For appointment on these posts the minimum educational qualification will be a bachelor's degree or its equivalent degree.
    - (iv) The minimum qualification for the candidates for the direct recruitment shall be as specified in (iii) above and the age should not exceed 28 years. They will have to appear at the prescribed examination and appointment on the post shall be on the basis of the numbers obtained in the examination and interview.

P. Pal

(v) Other Government employees may also apply and appear at the examination for direct recruitment as cardidates.

(3) Out of the vacancies available for direct recruitment 16 percent and 20 percent posts shall be reserved for candidates belonging to the Scheduld Castes and Scheduled Tribes respectively.

- (4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their rames appear in the list referred to in rule 12 (2) irrespect of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes considered by Selection Committee/Appointing Authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintainance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule 3.
- (6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling up all the posts reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from amongst other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved as specified in rule 11 (3) above for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for next selection.

Provided that the number of reserved posts for these castes and tribes shall not exceed at any time 45% of the vacancies.

- 12 (1) List of candidates selected by Competative Examination:—A list arranged in order of merit of such candidates who have qualified by the standards as may be determined by the Appointing Authority and also of those candidates belonging to the Sheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, have been declared by the Selection Committee Appointing Authority as suitable for appointment in the service having due regard to the maintenance of the efficiency in administration shall be published for general information. This list will remain valid for one year.
  - (2) List of Candidates recommended by the Selection Committee:—For appointment by selection, the Selection Committee shall forward to the Appointing Authority the names and other detailes of candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who though not qualified by that standard, are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.
    - (3) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
    - (4) The inclusion of a candidates name in the list conferes to right to appointment trices the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

### 13. Appointment by Promotion .--

- (1) A committee shall be constituted consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
- (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) The Departmental Selection Committee constituted for appointments by promotion, shall prepare a list of candidates recommended by it for promotion in order of mer it and forward it to the Appointing Authority.
- 14. Conditions of Eligibility for Promotion. The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed three years of service and whether officiating or substantive in the post mentioned in column 3 of the Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government;
- (A) Provided that the promotion to the clarical posts in which accounts training is compulsory, will be made only from the persons, who are working on the next lower post and are trained in accounts. If trained persons in accounts are not available for promotion on such posts those untrained clerks, who are working on the next lower posts, shall be promoted in order of seniority.

Provided that they will have to pass accounts examination within two years from the date of promotion.

(B) The Appointing Authority may allow any employee to forego his promotion, if he is satisfied that due to personal or other special reasons it is not possible for the employee to accept the promotion. Insuch cases the Appointing Authority shall be at liberty to promote the next junior employee. The case of the employee, who has foregone his promotion shall not be automatically reviewed on the next occasion. When the concerned employee is prepared to accept the promotion, he will have to apply for the review of his case for his promotion on the next vacant post and on being premoted he will be considered junior to those persons, who have been promoted earlier.

### 15. Preparation of a list of suitable persons.—

- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the Service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.
- (2) The selection for inclusion of names in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.
- (3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority as shown in column 3 of Schedule IV.

Provided that any junior person who, in the opinion of the Committee is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that assigned to persons senior to him.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (5) If in the process of selection or revision it is proposed to supersede any member of the Madhya Pradesh Class III Non-Gazetted (Collegiate Education) Service, the Committee shall record its reasons for the proposed superseasion.

### 16. Select List .-

- The Appointing Authority shall consider the select list perpared by the Committee along with relevant record and unless he considers and any change, approve the list.
- (2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the select list received from the Committee, he shall return the said list to the Committee with the reasons for the proposed changes. The Committee may after considering the proposed charges as may in its opinion be just and proper, modify the list.
- (3) The list as finally approved by the Committee shall form a select list and the Appointing Authority shall make promotions only from this list on the post specified in column (4) of the Schedul IV.
- (4) The select list shall ordinarily remain in force until and unless it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority.

17. Appointment to the Service from the select list.—Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be in conformity with the order in which the names of such persons appear in the select list.

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or whose name is not next in order in the select list, may be appointed to the in the select list or whose name is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person to the service whose name is included in the select list unless during the period intervening between inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment between inclusion of his name in his work which in the opinion of the Appointing Authority there occurs any deterioration in his work which in the service, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

- Probation,—livery person directly recruited to the service if the vacancy is of a permanent nature, shall be appointed on probation for a period of two years, otherwise the appointment shall be made on a temporary basis.
- Interpretation.—If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be first.
- 20. Relaxition.—Nothing in these rules shall be so construed as to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

 Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their communicement are hereby repealed in respect of matter covered by the rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repeaked shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pracesh,

SAMAR SINGH Special Secretary

SCHEDULE-I (A)

J

(Fide Rule 4 and 5)

## MADHYA PRADESH CLASS III EMPLOYEES SERVICE

38

## Collegiate Education (Non-Gazetted)

# DIRECTORATE OF COLLEGIATE EDUCATION, MADHYA PRADESH

(1) 2. Sen 3. Ass		Name o	Name of the posts included in the Service	neluded in	No. of the post	Jo Jost	Classification	Scale of pay	pay	Appoining Authority
Sup Sen Ass			(2)		<u>e</u>		Ð	ଚ		(9)
Sen	1. Superintendent	# <b>9</b> 5		Directorate		2	Class III (Ministerial)	400-675		Director
Ass	2. Senior Auditor			Directorate Office of the Joint Director	35	6	*	280-480		Director
30	3. Assistant	ŧ		Office of the Joint Director Directorate	£	10	2	246—460		Director
	Accountant Grade I	rade I		Directorate Directorate	25		2 5	280—480		Director
4. Ste	Stenographer	SE.	1	Directorate Office of the Joint Director	75	4	c	220—375	50	Director
5. Ac	Accountant	€2	- Sec.	Directorate	*	2		205-375		Director
6. Ao	Accountaint Grade III Junior Auditor	ade III .		Directorate Directorate	25	6	6	205—375	30.00	Director
7. M	Manager-cum-Accountaint	ccountair		Ravindra Bhavan	H)	æ.	y (Tech.)	205—375		Director
8. Sts	Stage Technician		•••	Ravindra Bhavan	4		2	195—330	9355	Director
9. U	Upper Division Clerk			Directorate Office of the Joint Direator	33	20,	" (Ministerial)	ial) 195—330	V =15500	Director
L	10. Lower Division Clerk			Directorate Office of the Jt. Director Rayindra Bhavan	<sup>61</sup>	26	œ	169—300		Director
1. E	11. Electrician	(=)		Ravindara Bhavan		À	" (Tech.)	169-300		Director

### SCHEDULE-I (B)

### (Vide Rule 4 and 5)

### Madhya Pradesh Class III Employees Service-Collegiate Education Non-Gazetted

### EDUCATIONAL INSTITUTIONS—COLLEGE

S.	Name of the posts in	oludo	4 in	X	(1) 16 A		25/16/20/20/20	(E
No. (1)	the Service (2)	2	о ш	No. of Posts (3)	Classification (4)	Scales ef Pay (5)	Appointing Authority (6)	
1.	Head Clerk	***	College	64	Class III Ministerial	246460	Director	
2.	Head Clerk-cum-Accour	itanı	55	7	33	246-460	Director	
3.	Accountant	222		64	22	205-375	Director	
4.	Upper Division Clerk Cashier	71 4	33	75	39	195—330	Principal	
5.	Lower Division Clerk	(444	55	174	45	169—300	Principal	
6.	Laboratory Assistant	5366	32	525	33	169—300	Frincipal	
7.	Assistant Librarian	(3865)	25	30	332	195—330	Principal	
8	Assistant Drug Officer	( tr	22	2	. 33	(Technical As in Public Health Deptt.)	Director	
9.	Compounder	15000	**	2	33	181		
10.	Physical Training Instru	ctor	College	64	Gazetted	300-600	Director	
					Non-Gazetted	250-400		111
11.	Dance Teacher	66	35	1	39	350—600	Director	
12.	Craft Teacher	(69	33	2	29	220—375	Director	
13.	Tabla Teacher	10	35	4		220-375	Director	
14.	Tabla Player	***	21	5	48	169—300	Principal	
15.	Director	3896	20	8	39	205375	Director	
16.	Music Assistant	***	20	2	1 Jane 1998	1 - 169-300	Principal	
17.	Gas Mechanic	5.199	300	2	2037-0	h.) 155—252	Principal	
18.	Glass Blower	***	6 22	<u>.</u> 6	,,	220-375		
9.	Mechanic-cum-Electricia	n	**	6		In the analysis of the con-	Director	
20.	Museum Keeper		- 15 - 33	- 6	33	205—375	Director	
21.	Texi dermist	9.06	35		**	220375	Director	
22.	Matr 8				- 10	169—300	Principal	
23.	Carpenter		35	6		195—330	Principal	
	Carpenter		37	2		155-252	Principal	

1

(Vide Rule 6)

Directorate of Collegiate Education, Madbya Pradesh

S. No.	Name of the Department	Name of the service	Total No.	Percentage of the duty posts to be filled in	ge of the duty posts to be filled in	By tranfer of persons from other service
		(6)	Duty posts (4)	By Direct recruitment (5)	By promotion of substantive' temporary members of the service (6)	E
1. 184	Education Department—				16	
	Directorate of Collegiate Education,	Superintendent (Directorate)	'n	1	100 per cent	
Σ	Madhya Pradesh	Senior Auditor— Directorate Office of the Joint Director	3}		100 per cent	
		Assistant— Directorate Office of the Joint Director	33	10 25 per cent by Competitive Examination	75 per cent	
		Diretorate—				
		Accountant Grade I	23		100 per cent	
		Stenographer— Directorate Office of the Joint Director	3 <u>.</u> 5	4 100 per cent by competitive Examination		
		Accountant-Directorate	2		100 per cent	

Ξ	(2)	(5)			(s)	(9)	(2)
24 S	Directorate	Accountant Grade III Junior Auditor	25	9	\$2 \$2	100 per cer t	
		Upper Division Clerk-					
		Directorate Office of the Joint Director	3	20	3	100 per cent	
		Manager-cum-Accountant-					
		Ravindra Bhavan		+	. 1	100 per cent	
		Lower Division Clerk		33			
		Directorate Office of the Joint Director Ravindra Bhavan	(61 (51)	26	90 per cent	10 per cent by qualified class IV employees.	
0.00		Ravindra Bhavan-					
		Stage— Technician Electrician		47	100 per cent 100 per cent		

SCHEDULE -II (B) (Vide Rule 6)

## Educational Institutions-College

ço.	Name of the Department	Name of the service		Total No. of Duty	Percentage	Percentage of duty posts to be filled in	By transfer of persons from
			25.78	Ĺ	By direct recruitments	By promotion to substantive, temporary members of the service	
3	(2)	(3)		( <del>f</del> )	(3)	9	3
Educa: Educat	Education Department.— Educational Institutions (College)	Head Clerk Accountant	100	64} 7	17	100 per cent	
		Accountant Upper Division Clerk Cashier	111	#E.4	75	100 per cent 100 per cent	
		Lower Division Clerk	30/5	174	90 per cent	t 10 per cent	By qualified class IV em- ployees,
		Laboratory Assistant	1000	525	100 per cent		1777-177 DOMAN
	R	Assistant Librarian	0	30	100 per cent		
		Assistant Drug Officer		2	\$	i i	If available from Public Health Department on deputation.
	TI N	Compounder		2	100 per cent		
gás:	15	Physical Training Instructor	tor	2	100 per cent		

						The state of the s		1
€	(3)	(G)		9	(3)	(9)	9	1
		Dance Teacher	*	-	100 per cent		1	
		Graft Teacher	ł	2	100 per cent		•	
		Tabla Teacher		4	100 per cent	200	703	
		Tabla Player	4	'n	100 per cent	i d	i	
		Director	15	60	100 per cent		ä	
		Music Assistant	ě	2	100 per cent	*	4	
		Gas Mechanic		2	100 per cent	ŧ		
		Glass Blower	i	9	100 per cent	- 10		
		Mechanic-cum-Electrician	trician	9	100 per cent	1	ŧ	
101000000000000000000000000000000000000		Museum Keeper	3	9	100 per cent		3	
		Taxidermist	3.Š	•	100 per cent	236 238	13	
STATE OF THE PERSON	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Carpenter	466.2	2	100 per cent	1	**	
10		Matron	K)	9	100 per cent	35	1	

### SCHEDULE-III-(A)

### (Vide Rule 8)

### Directorate of Collegiate Education, Madhya Pradesh

S. No	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit		Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) <sub>j</sub> (2)
1. St	enographer 280—480)	18		Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination from any reco- gnised Board of Education or University.	Joint Director or any other officer nominated by him-Chairman.
ū	3	A STATE OF THE STA	2	Must have passed Hindi Shorthand Examina; jon conducted by Madhya Pradesh Board of Shorthand and Type-writing or any other equivalent examination recognised by the Board (minimum speed in Shorthand 100 words per minute).	<ol> <li>Deputy Director, Collegeate Education—Member</li> <li>Assistant Director Collegeate Education—Member</li> </ol>
1 44 4 10 10 10	ssistant 246—460)	13	28 1	A G aduate or must have pussed equivalent exami- nation from any recognised University.	Assistant Director, Collegiate Education—Membe
			2	Sufficient knowledge of Hindi Language.	ř
	ower Division rks (169—300)	n 18	28 1	Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination conducted by any recognised Board of Education or University.	Assistant Director, Collegiate Ecucation - Member
1148	2 10 20 5 200		Acres 644	Must have passed. Hindi type writing examination conducted by Machya Pradeesh Board of Short- hand and Typewriting or any other equivalent examination recognised by the Board (Minimum speed 30 words per min. (e)	g gydd Lundig 19 A gyggled
	tage Technicia 205—375)			A ust have cassed Matric or its equivalent exami- nation conducted by any recognised Board of Edu- cation of University.	Assistant Director, Collegiate Education — Membe
h ez i	<b>30</b> 119 20 6 * 1		2	Considerable experience of Stage work.	0
	llectrician (169—300)	18.	rg allocation for evaluated and	Electrical licence holder from any recognised Insti- tution and at least 2 years an efficience of the work.	Assistant Director, Collegiate Education — Membe

### SCHEDULE\_III-(B)

### (Vide Rule 8)

### Educational Institutions-College

S. N	o. Name of the	Minimum	Maximum	ì	Educational Quali	fication	Name of the members of the Selection Committee
(1)	Service	age limit (3)	age limit (4)		(5)		(6)  1. Principal-Chairman.
I.	Lower Division Clerk (169-300)	18	28	1.	Must have passed Secondary or its lent examination con by any recognised of Eduction or I sity.	Board Univer-	<ol> <li>Two Senior Professors, Assistant Professors, nominated by the Prin. cipal.</li> </ol>
			2 (2)	2.	Must have passed Typewriting Exan conducted by M. P. of Shorthand and Tyting or any other lent examination nised by the Board 30 words per minut	Board ypewri- equiva- recog- (Speed	ě
			ě	3.	Sufficient knowled; Hindi.	ge of	i e i i
2.	Laboratory Assists (169—300)	int 18	28	I.	Must have passed Secondary of its lent examination Science, conducte any recognised of Education or I sity.	with d by Board	do.
3.	Assistant Librarian (195—330)	18	28	1.		valent a ted by rd of iversity	do. and Librarian of the College.
4.	Assistant Drug Officer	18	28		TERRORIS SE	Public for	1. Joint Director-Chairms.
		n 4.		2.	If available from Health Department wise by Selection ( ittee,	Public other- Comm-	2. District Civil Surgeon- Member.
5.	Compounder	18	28	1.	As prescribed in the Health Departmenthis post.		3. Principal, Post Graduate College-Member. 1. Joint Director-Chairman
				2,	If available from 1 Health Department of wise by Selection mittee,	Public other- Com-	District Civil Surgeon- Member.     Principal, Post Graduste College—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Physical Training Instructor. (Grade I-300-600) (Grade II-250-400)	18	28	<ol> <li>Grade I-Post Graduate         Diploma in Physical Trai- ing or Degree or Post Gra- duate Cetrificate.     </li> </ol>	Director or any officer nominated by him Chairman.     Joint Director-Member.
	T.E.			Grade II-Present P. T. In- structor whose qualifica- tions are not according to Grade I.	<ol> <li>One Principal nominated by the Director.</li> </ol>
			11 T	NY BA	<ol> <li>Professor/Assistant Pro- fessor, Physical Training Institute nominated by the Principal of the Ins- stitute.</li> </ol>
			100	8 " _ =	<ol> <li>Deputy Director, Collegiate Education.</li> </ol>
7.	Dance Lecturer (300-600)	18	28	<ol> <li>Must have passed Matric or its equivalent examination conducted by any recog-</li> </ol>	Director or any officer no minated by him Chairman
				nised Board of Education of University.	2. Joint Director.
			T	<ol> <li>Recognised Degree Diploma holder in Dancing.</li> </ol>	<ol> <li>Professor/Assistant Professor (in subject concerned) nominated by the Director.</li> </ol>
				71	4. Deputy Director, Colle- giate Education.
8.	Craft Teacher (220-375)	18	28	Diploma in the concerned trade or higher qualifica- tions as may be recognised	STREET STREET STREET
				must have passed atleast Higher Secondary or its equivalent examination re-	the Director.
	9			cognised by the Govern- ment.	<ol> <li>Professor/Assistant Pro- fessor nominated by the Principal of the Poly- technic.</li> </ol>
	Tabla Player (169—300)	18	28	<ol> <li>Must have passed Sangeet Visharad or its equivalent recognised examination.</li> </ol>	<ol> <li>Principal or an office nominated by him.</li> </ol>
			# 70		<ol> <li>Two Professors/Assistant Professors nominated by the Principal.</li> </ol>
0.	Director (205-375)	18	28	<ol> <li>Diploma in the concented trade or higher qualifia- cations recognised by the</li> </ol>	<ul> <li>nominated by him.</li> </ul>
	e de		4	Government and must have passed at least Higher Secondary Examination or	<ol><li>One Principal nominates by the Director.</li></ol>
sš			N 5		3. One Professor/Assistan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	isic Assistant 59—300)	- 1967 - 1967 1	28	1. Must have passed Higher Secondary Examination of its equivalent examination of any recognised Board/University and a pass in Sangeet Visharad or its equivalent examination recognised by the Government.	2. Two Professors/ Assistant Professors nominated by the Principal.
	s Mechanic 55—252)	18	28	<ol> <li>Five years experience of making gas from Kerosene Oil and experience of operating Coal Gas Pjant Thorough knowledge of gas line and water supply line in laboratory is also essential.</li> </ol>	Principal or an officer nominated by him.     Professors/Assistant Professors (one of them should be the Head of the Department of the concerned subject nominated by the Principal.
13. Gl	iss Blower 20—375)	18	28	<ol> <li>Five years experience in blowing glass at low tem- perature and scaling it.</li> </ol>	Director or an officer nominated by him.  Principal, Science College.
	Xxx 70 18				<ol> <li>One Professor/Assistant Professor of the Depart- ment concerned.</li> </ol>
Ele	chanic-cum- ectrician 05375)	I8	28	Electrical licence holder from recognised institu- tion and at least two years experience.	Director of an officer nom- inated by him.     One Principal nominated by the Director.
15. Mus (22	eum Keeper 20-375)	18	28	B. Sc. (Zoology and Botany).	Director or an officer nominated by him.
			40		One Principal, Nominated by the Director.     Professor/Assistant Frofessor of subject concerned.
17. Ca	Penter 5—252)	25 (3.1) 12 (4.1) 13 (4.2) 14 (4.2)	28	valent Examination as rec- ognised by the Government and practical experience.	Principal or an officer nominated by him.      Two Professors Assistent Professors nominated by the Principal.

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Diploma or a Certificate in the trade concerned from Regional College or B. Ed. Training College.	<ol> <li>One Professor/Assistant Professor nominated by the Principal, Polytechnic.</li> </ol>
			25			<ol> <li>One Professor/Assistant Professor nominated by the Principal of the College.</li> </ol>
18. Ma (19	atron 95—330)	entia U	18	28	Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination as recognised by the Government and must have practical experience.	Principal or an officer nominated by him.      Two Professors/Assistant Professors nominated by the Principal.

350

### SCHEDULE-IV-(A)

(Vide Rule 13)

# Directorate of Collegiate Educations, Madhya Pradesh

S.	S. No. Name of the Department  (1) (2)	Name of the Service or post from which promotion is to be made (3)	Name of the Service or post to No which promotion is to be made  (4)	Name of members of the Departmental Promotion Committee (5)
-	Education Department	Senior Auditor	Superintendent 7.	Joint Director
	Directorate of Collegiate Education, Madhya Pradesh.	Directorate and Office of the Joint Director.	Directorate 3.	Assistant Director
		(i) Assistant (Directorate and Office of the Joint Director).	Senior Auditor	qo.
	»»	(ii) Accountant Grade I and II Directorate	Directorate and Office of the Joint Director.	
		(iii) Head Clerk and Head Clerk-cum-Accountant-College.		
100		Accountant 220-375 Accountant Grade III	Assistant. (Directorate and Office of the Joint Director).	do.
	24	Junior Auditor (205-375) Directorate	Accountant Grade I and II	
		Manager-cum-Accountant (205—375) . Ravindra Bhavan.	Directorate	
		Upper Division Clerk (Directorate and Office of the Joint Director).	Accountant (220—375) Junior Auditor Accountant Grade III (205—375)	do.
			Direcorate, Manager- cum- Accountant, Ravindra Bhavan (205—375).	

LOWER DIVIS	ion	Cler	SS				Upper
(Directorate	and	the	the Office	of	the	e of the Joint	Direct
Director).							of the

7

Toint Division Clerks orate and Office Joint Director).

officer nominated by him. Director or an

2. Deputy Director,

3. Assistant Director.

Notes .- (1) Promotion on the post of Superintendent shall be made on the basis of merit tempered by Seniority.

From the vacancies of Senior Auditors occurring within one year, 60 per cent posts shall be filled in by premetions of the employees of Directorate and 40 per cent posts shall be filled in by promotion of the employees of Directorate and Office of the Joint Director and the inter-se-seniority of the persons so promoted shall be counted from the date of their promotion but in case of the date of promotion being the same, the employees of the Directorate shall be considered senior the employees' of other offices. 3

For the post of Senior Auditors, Junior Auditors, and Accountant passing of the prescribed Accounts Examination would be compul-Sory. 6

### SCHEDULE-IV-(B)

(Vide Rule 13)

### Educational Institutions (College)

Accountant, College  (2)  (3)  (4)  (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (9)  (1)  (1)  (1)  (1)  (2)  (2)  (3)  (4)  (4)  (4)  (5)  (6)  (9)  (9)  (9)  (1)  (9)  (1)  (1)  (1	S. C.	Money of A. 75			
Accountant, College  Accountant, College  Accountant (College).  Upper Division Clerk and Cashier Accountant (College)  (College).  Tabla Piayer (College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College concerned.	á á	Name of the Department	Name of the Service or post from which prometion is to be made	Name of the Service or post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee
Accountant, College  Head Clerk and Head Clerk- 1.  Upper Division Clerk and Cashier Accountant (College)  Tabla Piayer (College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College concerned.)	(I)	(3)	(6)	(6)	(5)
Accountant, College  Head Clerk and Head Cleth-  Upper Division Clerk and Cashier  Accountant (College)  Tabla Piayer (College)  Tabla Teacher(College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory  Upper Division (Clerk College concerned.)	Educat	ion Department			
Upper Division Clerk and Cashier Accountant (College).  Tabla Player (College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College concerned.	පි	lege	Accountant, College	Head Clerk and Head Clerk- 1	. Joint Director.
Upper Division Clerk and Cashier Accountant (College) (College).  Tabla Piayer (College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College Assistant of College concerned.		6		e announce	
Upper Division Clerk and Cashier Accountant (College)  (College).  Tabla Piayer (College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College concerned.)					
Tabla Player (College)  Tabla Teacher(College)  Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College Assistant of College concerned.	es I			Accountant (College)	do.
Lower Division Clerk and Laboratory Upper Division (Clerk College Assistant of College concerned.			Tabla Player (College)	Tabla Teacher(College)	do. and one Professor/Assistant Professor of the Depart- ment concerned (College).
			Lower Division Clerk and Laboratory Assistant of College concerned.	Upper Division (Clerk College concerned.)	Two Senior Profess and one Senior As Professor nominated the Principal.

Noven.-(1) For the post of Accountant passing of prescribed accounts examination would be compulsory.

- (2) For the post of Tabla Teacher passing of the examination recognised by the Government/University would be comppulsory.
- (3) For eligibility to promotion as the Liboratory Assistants, the educational qualifications prescribed for direct recruitment to Lower Division Clerks would be compluisory.

### GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 1270/1138/DCE/Estt./80

Bhopal, dated 15 April, 1982

In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution of Lidia, the Governor of Military Profesh, hereby, makes the following amondments in the Medhya Pradesh Non-Guzetted Gass III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974,1 amely:—

### AMENDMENTS

- (1) In Rule 14, the following sub-rule (C) may be added below sub-rule (B), namely:-
  - "(C) Upper Division Clerks may be promoted directly on the post of Assistant/Herd Clerks without passing the accounts examination. Six years experience and accounts training will be essential for them."
- (2) In Column (3) of Schedule IV (A) the words "Upper Division Clerks" may be inserted above the words "Accountant 220-375".
- (3) In Column (3) of Schedule IV (B) the words "Upper Divisior Clerk" may be inserted above the words "Accounts: t, Coll go." and in column (4) of the said Schedule the words "Head Clerk" may be inserted opposite the words "Upper Division Clerk."

By order and in the name of the Governor of Medbya Pradesh,

A. V. K :veeshwar

Special Secretary to Govt, of Madhya Pradesh
Education Department

Er dt. No. 1271/1133/DCE/Estt./80

Bhopal, dated 15 April, 1982

Copy forwarded to:-

- 1. Director, Collegiste Education, M. P., Bhopal,
- 2. Joint Director, 1, 2, and 3 Collegiate Education, M. P., Bhopal.
- 3. All Principals, Govt. Colleges, Medi ya Pradesh.
- 4. Controller, Govt., Central Press, M. P. Bhopal, for publication in M. P. Gazatte.

U. der Sperentry to Gove of M. P., Education Deptt,

#### मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

कमांक १२७०/११३=/मजिसं/स्था./=०

भोवाल, दिवांक १५-४-दर्

े भारत के संविधान के अनुच्छेद २०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुथे, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश अराजमन्तित तुतीय वर्ष सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोशति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संगोधन

- १. नियम १४ के उप-नियम (व) के नीचे एक श्रतिरिक्त उप-नियम (ए) जोड़ा जाये, स्वयंत् :—
  "(स) उच्च श्रेणी लिपिकों को लेखा परीक्षा पास किये दिना ही सीधे सहायक/मुख्य लिपिकों के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा।
  इनके लिये ६ वर्ष हा अनुभव श्रतिवार्य होगा और इन्हें लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करना भी श्रतिवार्य होगा।"
- २, अनुसूची क्यांक ४ (प्र) में खाना (३) में उल्लिखित "लेखापाल २२०—३७४" के "ऊपर उच्च श्रेणी" लिपिक शब्द जोड़ा जाये।
- मनुसूची त्रमांक ८ (व) में खाना (२) में "लेखापाल महाविद्यालय" के ऊपर "उच्च श्रेणी लिपिक" तथा उसके समक्ष खाना (३)
   में "मुख्य निर्िक" त्रवर स्थापित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. टही. कवीडवर विशेष समित मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

वृष्ठांकन असोक १२७९/१९३८/मशिस/स्थाः/=०

भोपाल, दिनांक १५-४-६२

#### प्रतिलिपि :—

- संजाशक, महाविद्यालयीन शिक्षा संचालकालय, मध्यप्रदेश, भोषाल ।
- २. संबुक्त संचालक (१), (२) एवं (३) महाविद्यालयीन शिक्सा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- ४. नियंतक, शासन केन्द्रीय मृद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की क्रोर सध्यप्रदेश राजपत के आशामी अंक में प्रकाशकार्थ ।

भवर सन्वि गञ्जप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

# मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक १६२/१००३/२०/मसिसं/स्थाः

भोपाल, दिनांक १५-२-=२

भारत के संविधान के अनुच्छेद २०९ के परन्तुक द्वारा अदल गत्तियों का अयोग करते हुवे, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा प्रश्नप्रदेश प्रशासनीय बुतीन वर्ग सेना (महाविधालयोग गांखा) धर्ती तथा पदीश्रति नियम, १९७४ में निम्नतिधित और संयोधन करते हैं, अर्थात्:—

संगोधन

#### उक्त निवमों में

- १. नियम ११ में-
  - (৭) उप-नियम (२) (एक) के स्थान पर निस्तिविधित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:---
  - (२) निम्न खेणों लिपिक के १० प्रतिशत रिक्त पदों में नहीं चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी, नियुक्ति की पावता रखेगा जिसने मान्यती प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेन्डरी परीका उत्तीर्ण कर ली है तथा चतुर्थ खेणी के पद पर कम-से-कम पांच वर्ष की स्थातार सेवा पूरी की हो। यह नियुक्ति वरिष्टता एवं मोध्यता के श्राप्तार पर की जायेगी।

- (२) उप-नियम (भार) में श्रंक "२०" के स्थान पर श्रंक ३० स्थापित किया जाये।
- (३) उप-नियम (६) के अन्त में निम्मलिखित परन्तुक ओश जावे, सर्थात्:—
  "परन्तु यदि सीधी भर्ती भवन के क्षारा की गई है तो अनुसूचित ज ति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये रक्षित सभी रिक्त स्थान की पूर्वि नहीं होने की दला में रिक्त स्थानों को उपमुक्त प्रकार प्रप्रतीत (केरी फारवर्ड) फरने के पूर्व एक बार उन्हीं उम्मीदवारों के लिये पुन: विक्रांध्य किये जायेंगे और रिक्त स्थानों को तदनुसार भरे जायेंगे।
- २. नियम ११ के जप-नियम (१) के बाद निम्नलिधित उप-नियम श्रेतः स्थापित किये जाये, सर्थात् :--
  - (४) ऐसे पर्वो में, जिनमें अनसूची दी यथाबिनिर्दिट एदोधति की प्रतिषातता 333 प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदोव्रति के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों के १६ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत रिक्त स्थान क्षमणः अनमूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों के लिये रक्षित रखें जायेंगे जो निष्म १४ के उपयन्थों के अनुसार पदोक्षति के लिय पान होंगे।
  - (१) रक्षित रिक्त स्थानों में पदोश्वतियों के लिये प्रत्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी ।
- वर्तमान नियम १४ (उप-नियम (ग्र), (ग्र-१) ग्रीर (व), को छोड़कर) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:—
  - (९४) (९) अप-नियम (२) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुये, तमिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेंगी, खिल्होंने उस वर्ष की ९ जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोक्षित की जानी है या किसी अन्य पद भा पदों पर जिन्हों शासन ने उनके समतुत्य भोगित किया हो स्थानायस या मौसिक रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर भी ही और भा उप-नियम (२) के उपबन्धों के मनुसार विचारार्थ क्षेत्र में माते ही :

परन्तु इस नियम के धन्तांत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को प्रथर श्रेकी पदीश्रति के लिये केवल उनकी निर्धास्ति तेवा की अवधि पूरी करने के ग्राधार पर कपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जायेगा।

(२) ययन के लिये विचारार्थ क्षेत्र "एण य उदेव्यता" के प्राधार पर भरे जाने वाले पद्यों के सम्बन्ध में चयन सुधी में सम्बन्ध के वाले प्रक्षित किये जाने वाले प्रक्षिकारियों की संख्या में सामान्यतया सात बुना प्रक्षिक व्यक्तियों तक और "क्ष्य"ता। न गुण " के प्राप्तार पूर पर जाने वाले पड़ों के सम्बन्ध में चयन सूची में सम्बन्धित किये जाने वाले मधिकारियों की संख्या सामान्यतया पांच गुणा प्रक्षिक प्रधिकारियों तक सीमित होगा।

परम्तु यदि इस प्रकार प्रवधारित किले गये क्षेत्र में स्पेक्षित संख्या में उपयुक्त स्विकारी उपलब्ध न हो तो उसे समिति उस विस्तार तक, वहां तक कि वह स्रायश्यक समग्रे, लिखित में भारणों का उत्लेख करते हुये बढ़ा सकेंगी।

#### ४. नियम १३ मे-

- (१) उप-नियम (१) के स्थान पर निम्नसिखित उप-नियम स्थापित किया जाने, अर्थात्:--
  - (१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक नूची तैयार वरेगी की उपर्युक्त नियम १४ में निर्धारित गर्दी की पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति गेथा में पदायति स्थानाय्तर के उपयुक्त समझे। यह सूची, चयन नूची तैयार करने की तारीय ने एक वर्ष के दौरान सेवा नियत्तियों तथा पदोक्षति के कारण होने वाली प्रत्याजित शिक्त्यों को भरते के लिये पर्याप्त होगी। उक्त मूची में सम्मितित व्यक्तियों की संख्या के २५ प्रतिशत व्यक्तियों को एक रिशत पूची भी उपरोक्त कालाविध के दौरान होने थावी धन्देक्तित शिक्तियों को भरते के लिये तैयार की जायेगी।
  - (२) उप-नियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:---
  - (३) प्रत्येक चयन भूची की तैयारी के समय भूची में सम्मिलित ग्रधिकारयों के नाम, ग्रनुनुकी चार के कालम (२) में यथा विनिद्दित्व सेवा या पढ़ों में वेरिष्ठता के फ्रम में रखें आयेंगे।

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ प्रधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से गोग्य तथा उपयुक्त हो, सूची में उससे वरिष्ठ प्रधिकारी की तुलता में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

रपप्टीकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम प्रयन सूत्री में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूत्री की विधि मान्यता के दौरान पदीव्रत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर त्रयन के तस्य से उन लोगों के उत्पर जिन पर पण्डातवर्ती त्रयन में विचार किया गया है, बस्टिता का दोवा नहीं रहेगा।

### ५ नियम १६ में :---

- (१) इस विभाग की ब्रिक्सियना अमांक ३२९४/१६२/२०/बांशिसं/स्था., दिनांक ११--११-०५ के ब्रन्सार उप नियम (१) सथा उप-नियम (३) में किये गये संबोधन निरस्त किये जाये तथा संबोधन के पूर्व जो उप-नियम थे, वे ही कायम माने जायें।
- (२) उप-नियम (४) के स्थान पर निम्नलिकित उप-नियम स्थापित किया जाये, ग्रथीतु :---
  - (४) प्रथर सूची सामान्यतया तय तक लाग रहेगी जब तक कि नियम ११ के उप-नियम (४) के अनुसार उसका पुनर्विली-कन प्रयवा पुनरीक्षण न किया जाये, किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके तैयार करने की तारीच से १८ मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी।

परन्तु प्रदर सूची में सम्मिलित किसी न्यक्ति की छोर से कर्तव्य के निर्याह खबवा पालन में सम्भीर दूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर प्रवर मूची का विशेष रूप से पुनिबलोकन किया जा सकेवा धीर यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित सबझे तो प्रवर सूची से ऐसे ब्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

६. नियम ९० के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, प्रवर्त :---

"९= परिवीक्षा:—सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को २ वर्ष की व्यवधि के किये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।"

७. नियम २० के पश्चात् निश्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, ग्रर्थात् :---

"२०-म-व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई प्री बात बनुसूचित जातियाँ तथा सनुसूचित जनजातियाँ के लिये राज्य शासन - ढारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये शादेशों के झनुसार उपयन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित प्रारक्षण तथा घन्य णताँ को प्रभावित नहीं करेगी। "

इ. इ.न्.सूची इ.सांबः १ (इ.) एवं अनुसूची (१) (व) दोनों के नीचे निम्नलिखित टीप प्रवित की जाये.
 अर्थात:—

टीय.— 'निम्न धेणी लिपिक'' के लिये निर्धारित वेतनमान उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा, जो इस नियम के साथ संलग्न घनुमूची तीन में इस पद के लिये निर्धारित सभी महंतायें रखता हो। ऐसे व्यक्ति को डोगर सेकेन्डरी परीक्षा उसीण है और जिसे शासन के सामान्य ब्रादेश के ब्रातगैत हिन्दी मुझ्लेखन की परीक्षा उसीण करने से छूट की पातता है उसे भी यह वेतनमान किलेगा।

९. सनुसूची ३ (ब) तथा (ब) में खाना (४) के क्रानर्गत जहां-जहां शंक "२६" शंकित है उसके स्थान पर शंक "३०" स्थापित किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशान्सार,

विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

्र क. १६३/१८०३/२०/मधिसं./स्था.

भोगाल, दिसांक ११-२-६२

प्रि:लिपि: -

- मिर्वतक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भीपाल की स्रोर मध्यप्रदेश के राज्यत के झागामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- २. संवालक, महाविद्यालबीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोराल ।
- ३. संयुक्त संचालक ५,२ एवं ३ महाविद्यालयीन सिटा, मायप्रदेश, भौपाल।
- ४. समरा प्राचार्य, जासकीय महाविधानय, मध्यप्रदेश।

ग्रहर सचिव मुख्यप्रदेश भारतन, शिक्षा विभाग

# GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 562/1803/20/DCE/Estt.

Bhopal, dated 15-2-82

THE THE PARTY OF T

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974, namely:—

#### Amendments

In the said Rules :-

#### 1. In Rule 11-

- (1) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (2) (i), namely :-
  - "(2) On 10 percent of the total vacancies of the posts of the Lower Division Clerks, only those class IV employees shall be eligible for appointment who have passed Higher Secondary Examination and have completed at least five years continuous service on a class IV post. These appointments shall be made on seniority-cam-merit basis".
- (2) In sub-rule(iv), figure "30" may be subtituted for the figure "28".
- (3) The following proviso may be added at the end of sub-rule (6), namely :-

"Provided that if direct recruitment has been made through selection and the vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Schröuled Tribes have not been filled from amongst them those vacancies shall be re-advertised for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes before carrying them forward in the aforesaid manner and the vacancies shall be filled accordingly.

- 2. The following sub-rule may be inserted after sub-rule (3) of Rule 13, namely '-
  - (4) Out of such posts, in which the percentage of promotion is 33; or more as specified in Scledule II respectively, 16 percent and 20 percent of the available vacancies shall be reserved for the officials of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion according to the provisions contained in Rule 14.
  - (5) The procedure for prometions on the reserved vacancies shall be receiving to the instructions issued by the General Administration Department of the Govt. from time to time.
- The following may be substituted for the existing Rule 14 (excepting set-init (A), (A-1) and (B), namely:—
  - (14) (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall take in to consideration the cases of all such persons who on the 1st of January of that year had complete three years service in on officiating or substantive capacity on the posts from which promoters are to be made of on such other posts or posts declated equivalent three to by the Government and are within the zone of consideration according to the provisions of Sub-Rule (2).

Provided that under this rule no junior person shall be taken in to consideration on the basis of his having completed the prescribed period of service after for select grade/ promotion in preference to a person already senior to him.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officials included in the select list, in case of posts to be filled on the basis of "Merit-cum-Seniority" and shall be generally limited to five times the number of officials included in the select list in case of posts to be filled on the basis of "Seniority-cum-Merit".

Provided that if the required number of suitable officials are not available in the field so determined the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

#### 4. In Rule 15-

- (i) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (1) namely :--
  - "(1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in the rule 14 above and who have been considered suitable by the Committee for premotion transfer in the service. This list shall be sufficient to cover the enticipated vacancies on account of retirements and promotions during the course of one year from the date of measuration of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unexpected vacancies occuring during the cours of the aforesaid period".
    - (2) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (3) namely :-
    - (3) The names of the officials included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of posts at the time of preparation of each list as in Column (2) of Schedule IV.

Provided that any junior official who in the opinion of the Committee is of an exceptional and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Hxplanation:—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection, merely by the fact of his earlier selection.

#### 5. In Rule 16 :-

- (1) The amendments made in sub-rule (1) and sub-rule (3) in accordance with this Departments Notification No. 3294/562/20/DCE/Estt., dated 15-11-75 may be repeated and the sub-rules, which existed before the amendments, may be deemed to remain in effect.
- (2) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (4), namely :-
  - (4) The select list shall ordinarily be inforce until it is reviewd or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person whose name has been included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Appointing Authority may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

- 6. The following rule may be substituted for Rule 18, namely :-
  - "18. Propation: -Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years,
- 7. The following rule may be inserted after rule 20, namely :-
  - "20-A-Repeal-Nothing contained in these Rules shall effect the reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders of the State Goyt, issued from time to time in this regard.
- 8. The following note may be inserted below Schedule No. 1 (A) and Schedule 6 No. 1 (B), namely:-
  - Note:—The pay scale prescribed for Lower Division Clerks shall be given only to such person who possesses the qualifications prescribed for the post in the Schedule (iii) enclosed with the Rules. Any person who has passed the Higher Secondary Examination and who is eligible for exemption from passing the Hindi Typing Examination under the orders of the Government, shall also get this scale.

351

9. In Column (4) of Schedule 3 (A) and (B), figure 30 may be substituted for the figure "28" where-

By order and in the name of the Governor of Madhya Fradesh,

Special Secretary Government of Madhya Pradesh Education Department

End. No. 563/1803/20/DCE/ Estt.

Bhopal, dated 15-2-82

Copy forwarded to :-

- 1. The Controller, Govt. Central Frinting, M. P., Bhopal for favour of publication in the next issue of the M. P. Gazette,
- 2. The Director, Collegiate Education, M. P., Bhopal.
- 3. Joint Director 1, 2 and 3, Collegiste Education, Madhya Pradesh, Bhopal.
- 4. All Principals of Govt. Celleges, Madhya Pradesh.

Govt. of M. P., Education Department

# मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

# अधिसूचना

क्रमांक ३२९२/४६२/२०/मणिसं/स्थाः/७४.

राज्य गासन मध्यश्रदेश श्रराजपनित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्निविद्या संशोधन करता है, प्रयोत:---

#### संशोधन

- (१) नियम १६ के उप-नियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, ग्रंथीत् :--
  - "(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम १४ में निर्धारित यतों को पूरी करते ही तथा विन्हें समिति सेवा में पदोन्नित के लिये उपयुक्त समझे। सूची में उतने नाम सम्मितित किये जायें, जितने सूची क्वाने की तारीख से १ वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त तथा पदोन्नित के कारण, रिक्त स्थान सम्भावित हो। इसके अतिरिक्त, उत्त अवधि में होने वाले अपरवाजित रिक्त स्थानों को भरते के लिये मुरक्षित सूची तैयार की जाये, जिसमें चयन सूची में सम्मिनित का व्यक्तियों की संख्या के २५ प्रतिज्ञत नाम हों"।
- (२) नियम १६ के उद-नियम (३) के स्थान निम्नाविश्वित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :---
  - "(३) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम (यनुसूची चार के कालम दी में दर्शित) सेवा में प्रत्येक सूची बनाने के समय बलारिश्वति दरिष्ठता अन के बनुसार रखे जायेंगे। परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी की, जो समिति की राय में त्रियोंच का से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे दरिष्ठ प्रधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेया"।

स्प्रष्टीकरण:--विद कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मितित हैं, किन्तु उस सूची के प्रभावशील रहने तक की ध्यधि में उसकी पदोप्रति नहीं हुई हो, तो बाद की बनाई गई सूची में केवल प्रपने पूर्व में चयन होने के प्राधार पर उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकेवा, जिन्हें बाद के चयन में जिया गया है।

- (३) नियम १६ के उन-नियम (४) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, ग्रथीत्:—
  - "(४) प्रवर सूची सामान्यतः तब तक लागू रहेगी, जब तक नियम १६ के डा-नियम (४) के प्रमुखार उसका पुगरिनोक्त अथवा पुनरीक्षण न किये जायें, किन्तु इस सूची को वैवता इसके बनाने की ताशी खासे १८ महीने की प्रविध के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी"।

परन्तु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की श्रीर से कर्तब्य के निर्वाह व्यवसायालन में गम्भीर पूज होने की -स्थिति में शासन के कहने पर प्रवर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा श्रीर यदि स्थायोग उचित समझे. तो प्रवर सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ब्रादेशानुसार

. अवर सचिव मध्यप्रदेश कासन, जिक्षा विधाग

गृ. कमांक ३२९३/४६२/२०/मशिसं/स्थाः

भोपाल, दिलांक १५-१०-७१

प्रतिविधि:---

- समस्त प्राचार्यं, श्रासकीय महाविद्यालयं, मध्यप्रदेशं ।
- २. समस्त संयुक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
- इ. तामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश ।

प्रवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, जिल्ला विभाग Scanned by CamScanner

# GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

#### Notification

No. 3294/562/XX/DCE Estt.

The State Government of Madhya Pradesh are pleased to make the following amendment in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974.

#### Amendment

- 1. For the existing Sub-rule (1) of Rule 16, the following Sub-rule shall be substituted, ramely :-
  - "(1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and premotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said (select) list shall also be prepared to must the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period".
- 2. (2) For the existing Sub-rule (3) of rule 16, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the (as in column II, Schedule IV) service, at the time of preparation of each select list, provided that any Junior Officer, who, in the opinion of the Committee, is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him".
    - Explanation.—A person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those candidates in a subsequent selection merely by the fact that his earlier selection".
  - 3. For the existing Sub-rule (4) of rule 16, the following Sub-rule shall be substituted, namely :--
    - "(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with Sub-rule (4) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation".

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person's included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit remove the name of such persons from the select list.

By order and in the name of the Governor of M. P.,

Rammyan Prasad

Under Secretary
to the Govt. of M. P., Education Deptt.

Bhopal, dated 15-10-75

Endt. No. 3295 562/XX DCE Estt.

Copy to :-

- 1. All Principals, Government Colleges, Machya Pradesh.
- 2. All Joint Directors, Collegiste Ern. M. P.
- 3. General Administration Department, M. P., Ehopal.

Ramayan Prasad

Under Secretary
to the Govt., of M. P., Education Deptt.

# मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक ७ मार्थ, १९७३

क्यांक ७२२/१४०/२०/मधिसं/स्था/७=

भारत के संविद्यान के अनुरुदेव, ३०९ के परन्तुन डारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे, सध्यप्रदेश के "राज्यवान" मध्यप्रदेश सारत के संविद्यान के अनुरुदेव, ३०९ के परन्तुन डारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं अधित् :— अराजपत्रित तृतीय वर्ग तथा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोश्चित नियम, ९९७४ में निम्निलिखित संशोधन करते हैं अधीत् :—

#### संशोधन

- नियम १४ के उद-नियम (य) के नीचे एक मितिरक्त उप-नियम (य-१) जोड़ा जाये, मर्थाए :—
   "(य-१) मासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिकों को भी इस संग्रोधन जारी होने की तारीख से तीन वर्षकी मित्रिक प्रयोग महाविद्य के प्रविध के भीतर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना मावश्यक होगा, अन्यथा उन्हें निम्न श्रेणी लिपिक/प्रयोगशाला सहाविद्य के पद पर प्रत्यावित कर दिया जायेगा"।
- सनुसूची-१ (इ) में प्रमान ४ में उल्लिखित "उच्च थेंगी लिपिक" के समक्ष खाना-६ में उल्लिखित "निवृक्ति ग्रिधिकारी" "शानायं" के स्थान पर "प्रभारी संयुक्त संचालक" स्थापित किया जाये।
- अनुसूची -४ (व) में नोट (१) में एव्द 'लिखापाल पद' के स्थान पर शब्द "उच्च श्रेणी लिफ्कि एवं लेखापाल पदी' स्थापित किये जायें।

सध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा खादेशानुसार,

अशोक बाजपेयी विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

पृ. क. ७२३/१४०/२०/मशिसं/स्थाः/७८

भोवाल, दिनांक ७ मार्च, १९७९

प्रतिविधि:---

- संसालक तथा संयुक्त संवालक (१), (२), (३) महाविद्यालयीन विक्षा, म. प्र., भोपाल ।
- २. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविधालय, मध्यप्रदेस की और सूचनार्थ तथा ग्रावश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेपित।

प्रवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

#### GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 722/140/20/DCE/Estt./78.

Bhopal, dated 7 March, 1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Fradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch), Recruitment and Promotion Rules, 1974 namely:—

#### Amendments

- 1. Larule 14, below Sub-rule (A), the following additional Sub-rule (A-1) shall be inserted, ramely:-
  - "(A-1) Upper Division Clerks working in the Government Colleges shall be required to pass Accounts Training within a period of three years from the date of issue of this amendment otherwise they shall be reverted to the post of Lower Division Clerk/Lab. Assistant."
- In Schedule 1 (B), against "Item 4 Upper Division Clerk" for the appointing authority "Principal" mentioned in Column 6, the "Incharge Joint Director" shall be susbstituted;
- In Schedule 4 (B), in Note-1 for the words "Post of Accountant" the words "Posts of Upper Division Clerk and Accountant" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of M. P.,

Ashok Vajpai
Special Secretary
Govt. of M. P., Education Deptt.

Bndt. No. 723/140/20/DCE/Estt.

Bhopal, dated 7 March, 1979

Copy forwarded to :-

- 1. The Director and Joint Director 1, 2 & 3 of Collegiate Education, M. F., Bhopal.
- 2. The Principal, All Govt. Colleges, M. P. for information and necessary action.

Under Secretary Govt. of M. P., Education Deptt.

#### GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 1539/1283/20/DCE/Estr.

Bhopal, Dated 22 May, 1979

In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nor-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974, namely:—

#### Amendments

In the said rules,

- 1. In rule 4 :--
  - (a) In clause (2), the word 'and' shall be omitted.
  - (b) In clause (3), the word 'and' shall be added at the end; &
  - (e) After clause (3), the following clause shall be added, namely :-

- "(4) persons recruited to the service by absorption under the rule 18-A."
- 2. After rule 18, the following rule shall be inserted, namely :-

"18-A. Absorption of members of Non-teaching staff viz. clerical and non-clerical staff of Non-Government Colleges: —Members of Non-teaching staff viz. clerical and Non-clerical staff of Non-Government Colleges taken over by Government shall be absorbed in the service in a temporary capacity by the appointing authority in the manner prescribed in Schedule V and the officer passing the order of absorption shall be deemed to be appointing authority in respect of them" and

3. After Schedule IV (B), the following Schedule shall be added namely :-

#### SCHEDULE-V

(See rule 18-A)

Absorption of members of Non-teaching staff viz-Clerical and Non-clerical staff of Non-Government Colleges taken over by the Government.

- 1. Definitions :- In this Schedule, unless the context otherwise required :-
  - (a) 'College' means and includes any educational institution what-so-ever named which is admitted to the previlege of an University established by Lew in the State and is taken over by Government;
  - (b) 'Member' of Non-teaching staff viz. Clerical and Non-clerical staff means a person holding any of posts mentioned in the Appendix to this Schedule in permanent, temporary or contract service of non- Government college at the time when the college is taken over by the Government;
  - (c) 'Screening Committee' means a committee consisting of Joint Director of Collegiate Education to be nominated by the Director.
- Jurisdicton of Screening Committee: —The Screening Committee shall consider the cases of members
  of Non-teaching staff viz. clerical and Non-clerical staff for absorption in the service.
- Consideration for absorption in the service:—No member of the Non-teaching stiff viz. Clerical and Non-clerical staff shall be absorbed in the service:
  - (1) Who does not fulfil minimum requirements/qualifications prescribed in these Rules.
  - (2) Who ar any time in the past was removed or dismissed from Government service or any other service for proved misconduct and/or criminal offence.
  - (3) If a member of non-teaching staff is otherwise eligible for absorption to a post but has not passed the accounts examination/typing examination, which is necessary for the post of Head Clerk/Accountant and Upper Division Clerk/Lower Division Clerk respectively and if he has put in one year continuous service on the date of taking over of the college by the Government, may be allowed to work on the post for which he is otherwise eligible. Such person will be required to pass the accounts examination/typing examination within a period of two years from the date of publication of these rules in the M. P. Gazette, otherwise, if he is a Head Clerk or Accountant, he will be absorbed on the post of U. D. C. and, if he is an U.D.C. he will be absorbed on the post of L. D. C. A person so allowed to work on the higher post shall count his seniority in the higher post with effect from the date from which he passes the requisite examination.

A Lower Division Clerk who has not passed the typing examination but is otherwise eligible for absorption as L. D. C. will be allowed to continue as L. D. C. at fixed pay which he was getting on the date of taking over of the College by the Government but he shall count his saniority with effect from the date he passes the typing examination and will be eligible for annual increment from date of passing the said examination.

- 4. Post of Absorption:—No member of Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-clerical, shall be absorbed in the service on a post which carries scales of pay higher than the scale of pay of the post on which such member was working immediately before the taking over of the Non-Government college concerned by Government.
- 5. Subject to the provisions of paragraph 3, no member of non-teaching staff, viz., Clerical and Non-Clerical staff, shall be absorbed on a post of Head Clerk, Head Clerk cum Accountant, Accountant or Upper Division Clerk unless such member has minimum experience of clerical service of.
  - (a) Nine years in the case of Head Clerk, and Head Clerk-cum-Accestrate t,
  - (b) Six years in the case of Accountant; and
  - (c) Three years in the case of Upper Division Clerk, on the date of taking over of the non-government College by the Government.
- 6. Determination of seniority:-

Subject to the provisions of para 3 (3) :

- (1) Seniority of a member of non-teaching staff viz., Clerical and Non-Clerical staff, shall count from the date of taking over of the non-Government college concerned by the Government.
- (2) Subject to the provisions of clause (I), the members of Non-teaching staff, viz., clerical and non-clerical staff of a Non-Government college taken over by the Government earlier shall be placed in the gradation list above the members of the Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-clerical staff of the Non-Government Colleges taken over by Government at a later date, and as amongst the members of Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-clerical staff of a Non-Government college taken over by Government interse seriority shall be determined according to their interse seniority in the college immedidately before taking over of the college concerned by the Government.
- Leave berefits.—No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a Non-Government College on his absorption in Government service.

#### Exception :

4

However, if such persons pay the leave salary contribution in respect of the service reserved in a Non-Government College, he shall be permitted to carry forward the leave so carred subject to the restrictions and making n limit prescribed in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules 1977.

B. No confirmation as of right : -

No person absorbed into Government service under the provisions of this Schedule shall, by virtue of the fact that he was carlier confirmed in service by the Non-Government college, claim as of right to the confirmed in Government service. Confirmation of such persons shall be made in accordance with the Government rules in force from time to time.

- Recommendation of Screening Committee:—The Screening Committee shall, after taking into consideration the relevant povisions of this Schedule, make suitable recommendation to the appointing authority for orders under Rule 18-A.
- 10. Fay Figation:—Pay of members of Non-gracing staff, viz., Clerical and Non-Clerical staff, shall be fixed, on absorption, at the minimum of the scale of pay of the post on which he is absorbed and if the pay so fixed is lower than the pay being drawn by him in the Non-Government College and if the pay so fixed is lower than the pay being drawn by him in the Non-Government College immediately before its taking over by the Government College immediately before its taking over tion and the pay being drawn in the Non-Government College immediately before its taking over by Government shall be treated as personal pay to be merged in future in cut first in the scale of the post on which he is absorbed.
- 11. These rules shall apply to the Non-teaching staff of colleges telen over is the year 1971 and thereafter.

#### APPENDIX

(See Para 1 (b) of the Schedule V)

#### POSTS

Posts mentioned in the Schedule I (B) of the M. P. Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitmer t and Promotion Rules, 1974.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pracesh,

Special Secretary Government of Madhya Pradesh Education Department

# मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

कमांक १४३९/१२=३/२०/मशिस/स्था.

भोपाल, विनोक २२-४-१९७९

भारत के संविधान के सनुरुष्टेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्षयों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सराज्यकित तृतीय वर्ग सेवा (महाविधालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, प्रयात्:--

संगोधन

उक्त नियमों में:-

- १. नियम-४ में,
  - (क) खण्ड (२) में शब्द "श्रीर" का लीप किया जाये।
  - (ख) खण्ड (३) में मन्द्र "और" बना में जोड़ा जाये, और
  - (ग) वण्ड (३) के पत्रचात् निम्तनिखित खण्ड जीहा जाये, सर्थात्
    - "(४) वे व्यक्ति जो नियम १८-क के सद्योग संविलियन द्वारा सेदा में भर्ती किये गये हों"।
- २. नियम ९= के पश्चात् निम्नलिखित नियम यंत स्थापित किया जाये, अर्थात:---

१८-क प्रशासकीय महाविद्यालयों के बध्यापकेतर कर्मचारी वृन्द (नान टीजिंग स्टाफ) के सदस्यों का संविध्यन:—ग्रासन हारा ते लिये गये अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकेतर कर्यचारी वृंद (नान टीचिंग स्टाफ) के नियुक्ति प्राधिकारी हारा अनुसूची १ में विहित की गई रीति में अस्थायी रूप में सेवा में संविधियत किये जायेंगे और संविधियन का खादेण पारित करने वाला अधि-कारी उनके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी समक्षा जायेगा, और

अनुसूची ४ (व) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची बोड़ी जावे, सर्वात् :---

# अनुसूची ४

(नियम १८-क देखिये)

शासन हारा लिये गये व्यशासकीय महाविद्यालयों के प्रध्यापकेतर कर्मचारी वृत्द के सदस्यों का संवित्तियन :---

- परिभाषायें:—इस सनुसूची में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा प्रपेक्षित न हो.
  - (क) "महाविद्यालय" से अभिवेत है तथा उसके बन्तर्गत बाती है किसी भी नाम की कोई ऐसी बौक्षित संस्था, जिसे राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हो और जो बासन द्वारा से ली गई हो।

- (ख) "सध्यापनेतर कर्मचारीवृन्द का सदस्य" से धनिश्रेत हैं, ऐसा गोई व्यक्ति वो किसी सभामकीय महाविद्यालय को शासन दारा ने लिये जाने के समय ऐसे महाविद्यालयों की स्वायी, सस्यायी या संविद्या नेता के इन वदों में से जो इस मनुसूची के परिशिष्ट में उल्लेखित हैं, कोई पद धारण करता है ।
- (न) "ग्रनुवीक्षण समिति" से प्राणय उस समिति से है जिसमें संचालक द्वारा मनीनीत संयुक्त संचालक, महाद्वालयीन जिक्षा होने।
- अनुवीक्षण समिति को व्यक्तिकारिता:—समिति प्रध्यापकेतर नर्मचारी वृत्य के सदस्यों को सेवा में संविशियत किये जाने के प्रकरणीं वर विचार करेगी।
- सेवा में संवित्तियन के लिये विचार :—अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द का ऐसा कोई सदस्य सेवा में संवितियत नहीं किया जायेगा :—
  - (१) जो संवितियन के पद के निये ६न नियमों में विहित न्यूनतम ग्रहंतायें न रखता हो।
  - (२) जो लावित कदाचार तथा या राष्ट्रिक प्रयराध के निये पूर्व में जासकीय सेवा या किसी धन्य सेवा ने किसी भी समय हटाया श्या था या पदञ्युत किया गया था ।
  - (३) यदि खर्मकाणिक स्टाफ का कोई सदस्य, फिसी यद पर संवित्तियन के लिये खत्यथा पालता रखता है परस्तु तथा परीक्षा /टकन परीक्षा उत्तीर्थ तहीं है जो कि कमश : मुख्य लिपिक/लेखापाल एवं उच्च थेणी/निम्न खेणी निष्कि के पद हेनु आयश्यक है और यदि उसने शासन हारा महाविद्यालय गासनाधीन तेन के समय एक वर्ष की सेवा पूरी कर जी है तो उसे उक्त पद पर जिसके लिये वह अत्यया पालता रखता है, कार्य करने दिया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति की इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दी साल के भीतर लेखा प्रविध्वण परीक्षा/2कन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा सम्यथा वह यदि मुख्य लिपिक या लेखावाल है तो उसे उच्च थेणी निष्कि के पद पर स्वित्तियन किया जायेगा और पदि वह उच्च थेणी निष्कि है तो निम्म थेणी निष्कि के पद पर स्वित्तियन किया जायेगा। वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार उच्च पद पर कार्य करने की सन्मति दी जायेगी उसकी विराद्धता उच्च पद पर उसके हारा निर्धास्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के दिनांक से गिनी खायेगी।

निम्न श्रेणी लिपिक, जो टार्डीस परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, परन्तु निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर संविलियन की पालता रखते हैं, जातन द्वारा भहाविद्यालय जासनाधीन लेने के समय जो बेतन प्राप्त कर रहे थे उस नियत बेतन पर उन्हें निम्न श्रेगी लिपिक के पद पर कार्य करने की अनुमति दी जावेगी, परन्तु उत्तकी वरिष्ठता उसके द्वारा टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के विनाक से गिनी जायेगी तथा वापिक वेतनवृद्धि विह्ल परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्राप्त करने की पालता होंगी।

- ४. संविशियन का पद :---श्रद्धापकेतर कर्मचारीयृन्द का कोई भी सदस्य सेवा में किसी ऐसे पद ६२ संविद्धायित नहीं किया आवेगा जिसका बेतनमान उस पद के बेतनमान में इच्छतर हो, जिस पद पर ऐसा सदस्य शासन द्वारा सम्वस्थित स्रशासकीय महाविद्यालय को ले लिये जाने के अध्ययहित पूर्व कार्य कर रहा था।
- ५. पैरा ३ के उपबन्धों के प्रध्यक्षीन रहते हुवे सध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द के किसी भी सदस्य को मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक-कम-लेखा-पाल, लेखापाल बा उच्च थेणी लिपिक पद पर तब तक संवित्यित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे सदस्य को खजानकीय महाविद्यालयों को शासन क्षारा ले लिये जाने की तारील को लिपिक वर्गीय सेवा का :---
  - (क) मुख्य लिपिक और मुख्य लिपिक -कम-लेखायाल के गांगले में त्यूनतम ग्रनुभव नी बर्ध का न हो।
  - (थ) लेखावाल के मामले में न्यूनतम मनुगय छः वर्ष का व हों, और
  - (ग) उत्तव श्रेणी लिपिक के मामले में न्यूनतम प्रमुभव तीन वर्ष कान हो।
- ६. ज्येच्छता का स्वधारण:—(१) वण्ड १ (१) के उपयन्थों के सम्प्रधीन रहते हुये, सध्यापकेतर कर्मचारीवृद्ध के सदस्य की ज्येच्छता की गणना सम्बन्धित स्वासकीय महाविद्यालय को नासन द्वारा ते लिये जाने की तारीच्य से की जावेगी। (२) खण्ड (१) के उपयन्थों थे: प्रध्यकीन रहते हुये ऐसे किसी स्रणासकीय महाविद्यालय के जो शासन द्वारा पहिले थिया गणा हो, सध्यापकेतर धर्मचारीवृद्ध के सदस्यों को पदक्रम गूनी में ऐसे स्वमासकीय महाविद्यालयों के जो जासन द्वारा वाद की तारीच्य में से लिये गये हीं, निषिक वर्गीय कर्मचारीवृद्ध के सदस्यों से उपर रखा जारेगा सीर शासन द्वारा ने लिये गये किसी स्वमासकीय महाविद्यालय के निषक वर्गीय कर्मचारीवृद्ध के सदस्यों के बीच परस्पर ज्येच्छता, सम्बन्धित महाविद्यालय को शासन द्वारा ने लिये आने से प्रच्यव- हित पूर्व उस्त महाविद्यालय में उनकी परस्पर ज्येच्छता के सनुसार सब्धारित की जायेगी।
- प्रदक्ताण लाभ:--प्रशासकीय महाविद्यालय के किसी कमेचारी को, उसका शासकीय सेवा में स्थितियन होने पर, प्रवकात आगे ले जाने की (Carry forward) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

यपयाद---

किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा प्रणासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा यवधि का ग्रथकाल-वेतन-यंशदान (Leave salary contribution) का भुगतान करता है तो उसको उसके द्वारा व्यक्ति प्रवकाश द्यागे से जाने की व्यन्त्रति प्रदान की आवेगी। किन्तु ऐसी यनुमति सध्यप्रदेश सिविल सेवा व्यवधाय नियम, १९७७ द्वारा निर्धारित उच्यतम सीमा तथा प्रतिबन्ध के ग्रजीन होगी।

- स्थायीकरण अधिकार के रूप में नहीं होगा :—शासकीय सेवा में इस अनुसूची के उपवन्धों के अधीन संविलियित कोई भी व्यक्ति. इस तथ्य के आधार पर कि वह अगासकीय महाजिखालय हारा सेवा में पूर्व में ही स्वायी किया गया था, णासकीय सेवा में स्थायी किये जाने के लिये अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करेगा। ऐसे व्यक्तियों का स्थायीकरण शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- धनुवीक्षण समिति की सिफारिय: धनुवीक्षण समिति इस धनुसूची के मुसंगत उपवन्धों पर विचार करने के पश्चात् नियम १८-क के अधीन प्रादेश के लिये नियुक्ति प्राधिकारी को उपयुक्त सिफारिश करेगी।
- ५०. बेतन निर्धारण: ग्रध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द के सदस्यों का संवितयन होने पर वेतन, उस पद के जिस पर कि वह संवितिवत किया गया है, न्यूनतम वेतनमान पर निर्धारित किया जायेगा और यदि इस प्रकार नियत किया गया वेतन उस वेतन से जो कि प्रशासकीय महाविद्यालय को शासन द्वारा से लिये जाने के प्रश्यविद्य पूर्व उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) अशासकीय महाविद्यालय में लिया जा रहा था, कम है तो संवित्तियन पर नियत किये गये वेतन तथा गासन द्वारा ग्रामानीय महाविद्यालय को से लिये जाने के प्रश्यविद्य पूर्व वहां लिये जा रहे बेतन के बीच के प्रन्तर को वैयक्तिक वेतन के हथ में माना जायेगा. जिसका वित्यन उस एवं के, जिसमें कि वह सदस्य संवित्तियत किया गया ही, बेतनगान की शाबी वेतनवृद्धि में किया जागेगा।
- १९. उपर्युक्त नियम सन् १९७१ एवं उसके पश्चात् शासनाधीन थिये गये महाविद्यालयों के ब्रध्यापकेतर कर्मचारियों पर लागू होंते ।

#### परिशिष्ट

(यनुभूवी पांच का पैरा १ (ख) देखिये)

सध्यप्रदेश घराजपतित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन प्राचा) भरती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ की अनुसूची की अनुसूची कमांक-९ (व) में उल्लिखित पद।

मञ्जपदेश के राज्यनाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अझोक बाजपेयो विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विशास

# मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

जमांक १६५०/१५२१/२०/मजिसं/स्था.

भोपाल, दिनांक १८-९-७९

भारत के संविधान के मनुष्केद ३०९ के परस्तुक द्वारा प्रदेश मास्तियों का प्रयोग करते हुने मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश घराजपवित तृतीय वर्ग सेवा ( महाविधालगीन साक्षा ) भतीं तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निस्तिवित संसीधन करते हैं, सर्वात्:—

#### संगोधन

- अनुसूची कमांक २ (व) में प्रयोगकाला बहायक के निये कालम ४ में प्रकित १०० प्रतिक्श विकृत किया जाकर "५० प्रतिकात" स्वापित किया जाम तथा कालम ६ में "५० प्रतिकात" ( प्रयोगयाला परिचालकों के द्वारा) स्थापित किया जाये।
- २. अनुसूची क्रमांक ४ (व) के कालम २ के छन्त में संकित नोट के ऊपर :---
  - (क) कालम (२) में "प्रयोगवाला परिचारक (सम्बन्धित महाविद्यालय)" कालम (३) में "प्रयोगवाला सहायक सम्बन्धित महाविद्यालय" तथा कालम ४ में "तदीव" शब्द शत्विदः किये जाये, तथा
  - (ख) निम्नलिखित एक छौर टिल्पणी प्रंकित की वाये, सर्वात्-४ "प्रयोगशाला सहायक के पद पर पट्टोश्वित के लिये प्रयोगशाला परिवारक के पास प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये प्रनुसूची ३ (ब) में उश्विवित शैक्षणिक प्रहेता, होना

मध्यत्रदेश के राज्यवाल के नाम से तथा खादेशानुसार.

विशेष सचिव सञ्बद्धदेश शासन, शिक्षा विभाग q, क्रमंक ३६४१/१४२१/२०/मशिमं/स्था.

मोपाल, दिवांक १८-१-७९

प्रतिशिषि :--

- संदालक, महाविद्यालयीन जिल्ला, मध्यप्रदेश, भीपाल ।
- २. संयुक्त संवालकः १. २ एवं ३ महाविद्यालधीन शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
- प्राचार्यः, समस्त प्रासकीय महाविधालयः, मध्यप्रदेश की प्रोट् सूचना तथा प्रावत्यक कार्यवाही हेतु प्रथेपित ।

विशेष सचिव मध्यप्रदेश गासन, शिक्षा विभाग

# GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 3650/1521/XX/DCE/Estt.

Bhopal, dated 18 September, 1979

In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following amendment in Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974 viz.—

#### Amendment

- In column 5 of Schedule 2 (B), as for as it relates to Laboratory Assistants, "100%" be deleted and "50%" be substituted and in Col. 6 of the said Schedule "50%" by promotion of Laboratory Attendants be substituted.
- 2. Insert following in Schedule IV (B) :-
  - (a) In column 2 of the schedule "Laboratory Attendent (Concerning college)", in column 3 "Laboratory Assistant (Concerning college)", and in column 4 "Do" and
  - (b) One more note may be added, viz :--
    - 4—For promotion to the post of Laboratory Assistant, the Laboratory Attendent must possess requisite qualifications for appointment prescribed for Laboratory Assistants as mentioned in schedule 3 (B).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Special Secretary
Government of Machya Pradesh
Education Department

Endt. No. 3651/1521/XX/DCE/Estt.

Bhopal, dated 18 September, 1979

Copy forwarded to :-

- 1. The Director of Collegiate Education, M. P., Bhopal.
- 2. All the Joint Directors of Collegiate Education, M. P.
- 3. All the Principals, Govt. Colleges of M. P. for information and necessary action.

Special Secretary Government of Madhya Pradesh Education Department

# मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्नोक /९७९ मशिसं स्था/=२.

भोपाल, दिनांक

भारत के संविधान के सनुच्छेद २०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश सराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) अर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नतिचित, संकोधन करते हैं:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,

चनुब्बी १ के नियम ३ (३) के घन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—परन्तु वह ग्राँर की दिनांक २०-०-७१ के पूर्व शासनाधीन तिये तथे महाविद्यालयों में निम्न श्रीणी लिपिक के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के संविश्वियन के लिये हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना ग्रनिवायं नहीं ट्रीणा ।

ALC: NO PERSON

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ग्रादेशानुसार,

सचिव मध्यप्रदेश गासन, उच्च शिक्षा विभाग

#### मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग

यः ६३६० ५०६६/७७/बीस/मशिसं/स्वाः

भोपाल, दिनांक ६ दिसम्बर, १९७९

भारत के संविधान के धनुक्टेंद २०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश धराजपत्तित तृतीय वर्ष तेवा (महाविद्यालयोन शाखा) थतीं तथा परोक्षति नियम, १९७४ में निम्निलिखित संतोधन करते हैं, पर्यात्:—

#### संशोधन

#### उक्त नियमी में :---

- नियम ४ (१) की प्रथम पंक्ति में अनुसुची—१ (अ) एवं (व) के पश्चात् (स) जोड़ी जाये।
- २. नियम १ में की डिलीय पंक्ति में अनुसूची—१ (अ) एवं (व) के बाद (स) जोड़ी जाये।
  - नियम ६ (१) (ख) में उल्लिखित अनुसूजियों, अर्थात् (अ) तथा (व) में (स) बीर जोड़ी जाये। नियम ६ (२) में उल्लिखित अनुसूजी-२ अर्थात् (अ) एवं (व) में (स) बीर जोड़ी जाये।
  - ४. नियम = (१) (क) में उल्लिखित यनुसूची-३ यर्थात् (य) एवं (व) में यनुसूची (स) ग्रीर जोड़ी जायें। नियम = (२) में उल्लिखित यनुसूची (३) वर्थात् (य) एवं (व) में (स) ग्रीर जोड़ी जाये।
  - नियम ११ (१) (व) (१) की दितीय पंक्ति में शीक्षलेखकों के पश्चात् निम्नलिखित पद ग्रीच जोड़े जादे :—
    - (१) प्राष्ट्रगपक (व्याख्याता)

(४) सहायक (संगीत)

(२) प्रध्यापक

(५) प्रसिस्टेन्ट बैण्ड मास्टर

(३) तबला शिक्षक

Ones of the orthographics

(६) म्पुजीशियन ।

नियम १९ (२) (दो) के बन्त में निम्न प्रावधान जोड़ा जाये:--

- (१) प्राच्यापक के २५ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा ७५ प्रतिशत पद ग्रनुसूची-४ (स) में उल्लिखित प्रध्यापकों में से या प्रधान ज्वेष्टता गाँग के साक्षार पर पदोन्नत कर भरे जावेंगे।
- (२) मञ्चापक पटों के २१ प्रतिञ्ञत पद सीधी भर्ती हारा तथा ७१ प्रतिशत पद ग्रनुमूची-४ (स) में उत्विखित उपाध्यापक/तवला सिक्षक/सहायक संगीतकार, जो १६९—३०० के वेतनमान में कार्यरत हों, में से योग्यता प्रधान ज्येष्टता गौण के ग्राधार पर पद्मित्रत कर भरे जावेंगे।
- (३) इन पटों पर नियुक्ति हेतु निम्नतम जैक्षणिक योग्यता ग्रनुसूची-३ (स) में प्रत्येक पद के समक्ष दशिय ग्रनुसार होना चाहिये।
- नियम १३ की तृतीय पंक्ति में उल्लिखित अनुसूची-४ धर्यात् (घ) एवं (व) में (स) जोड़ी जाये।
- ७. नियम = की प्रतृशुकी III (ब्र) के कालम (४) में अधिकतम आयु लीमा २८ वर्ष के स्थान पर ३० वर्ष प्रतिस्थापित की जाये।

सध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा ग्रादेशानसार,

विनय शंकर

विशेष सचित्र

Scanned by CamScanner

# अनुसूची कमांक १ (स) [नियम ४ एवं ५ देखिये]

# मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणो कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपीवत) शिक्षण संस्थायें संगीत महाविद्यालय

র্মাক	सेवा में सस्मि	जित पदीं वे	नाम	16	पदो	की संस	या	704000 7	NAME OF THE PARTY	00
(9)	±15.4	.(२)			गचिन (३)	बाद्य (४)	योग (१)	ं बगाकरण (६)	वतनमान (७)	. नियुक्तिः अधिकारी (६)
۹,	प्राप्त्यापक (क्यार	याचा)	389	1225	. 42	3	5	तृतीय थेणी	३५०—६००	्ं संचालक
٧.	ब्रध्यापक , .	2358	**	(\$120)	٠, ٩	. 9	95	» °	२२०—३७४	-1/2° .
3.0	उपाध्यापक	68	74.		93	٩	२६		१६९—३००	300
٧.	तवला विश्वक	634	827	3.	9	×	93	W. W.	१६९—३००	200.02
٧.	सहायक	434		0.00	986	10	90	30	94 <u>4</u> —747	2002
Ş.,	यसिस्टेन्ट वैण्ड	मास्टर	55.07	3838	3886	92	93	360	955—500	2007
3.	म्युतिशियन	8	82.5	7F.F.	1998	860	49	2000 2000	999-300	3. 2. a. c.

# अनुसूची कमांक २ (स) [नियम ६ (६) देखिये]

# मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपवित) शिक्षण संस्थायें --संगीत महाविद्यालय

ऋमांक	विभागका नाम	सेवाका नाम	9	कलंब्य दों की कुल संख्या	भरे जाने वाले क संख्या का		अन्य सेवाद्यों से व्यक्तियें के स्थानान्तरण द्वारा
5		36	. 141	1.0000	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल यस सदस्यों की पदोन्नतियों	E 223
(9)	(7)	(3)		(x)	(4)	डारा (६)	(७)
९. शिक्ष संस	ा विभाग शिक्षण यार्थे, संगीत महाविद्या	সাচযাণক (প্যাত বয	याता)	<b>x</b>	२५ प्रतिशत	৩২ সবিলব	
		ग्रध्यापक	19	95	'n	N	
		उपाध्यापक	9.9.	२६	१०० प्रतिशत	(88)	
100		तवला शिक्षक		98	10 10	2494	
		सह्यक	13(3)	90	10.	•	
		ग्रसिस्टेन्ट बैण्ड	मास्टर	9 4	ää		. 8
		म्यजिशायन		99	70		

# अनुसूची कमांक ३ (सं) (नियम = देखिये)

# मध्यप्रदेश तृतीय थेणो कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपद्मित)

# शिक्षण संस्यायें—संगोत महाविद्यालय

क्रमांक	सेवाका	नाम		न्यूनतम श्रायु सीमा	यधिकतम् यायु सोमा	र ग्रेक्षणिक महैतायें	वयन समिति के सदस्यों हे नाम
(9)	(२)			(3)	(x)	(x)	(६)
१. उप	ध्यापक	**	83:00 jje	95	₹¥	मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत के सम्बन्धित विषय में स्नातक प्रथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	<ol> <li>संयुक्त संचालक प्रयश् उनके द्वारा मनोतीन अधिकारी अध्यक्ष।</li> </ol>
							२. संगीत महाविधाक काएक प्राचार्य-सदस्
	#3 #0		83				३. सहायक संत्राप्तर महाविद्यालयोग विक -सदस्य ।
₹.	तवला शिक्ष	香	950	95	30	ः हायर सेकेन्डरी तथा मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में मध्यमा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	
<b>3</b> ×	सहायक			95	₹0	तयैव	
ν.	म्यूजीशियन		**	95	ž e	हासर सेकेन्डरी तथा सम्वन्धित वाच यन्त्र में प्रवीणता।	
٧.	ग्रध्यापक	••	• • • •	94	₹¥.	मान्यता प्राप्त संस्था से दिलीय थेंगी की समय- न्यत विषय को उपाधि, साथ ही कम से कम ३	2011
# \$51 F					8	वर्ष का संगीत मिश्रण का धनुभव यदि तृतीय श्रेणी प्राप्त हो, तो ४ वर्षका संगीत शिक्षण का धनुभव।	
Sec.	थास्थाता	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		qε	\$¥	हायर संकेन्डरी तथा भातखण्डे कालेज आफ म्यूजिक, लखनज का सम्बन्धित विषय में संगीत निष्ण अथवा माधव संगीत महाविद्यालय, ग्यालियर से संगीत रहन मथवा गंधवं महाविद्यालय मण्डल, वम्बर्ड का संगीत प्रवीण अथवा प्रयाग संगीत समिति, हलाहाबाद का संगीत प्रभाकर अथवा खरागढ विश्वविद्यालय का कोबिय या एम. ए. संगीत या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण और	

# अनुसूची कमांक ४ (स)

(नियम ६ देखिये)

# संचालनालय महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

इसांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम, जिसमें पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिन पर पदोलति की	विभागीय पद्मेश्वति समिति के सदस्यों के नाम
(4)	(5)	. (2)	जाना है (४)	(١)
मुग	ि विभाग, शिक्षण संस्थायें, त महाविद्यालय	प्रध्यापक	प्राध्यापक (व्याख्याता)	<ol> <li>संयुक्त संचालक</li> <li>सहायक संचालक</li> <li>संगीत महाविद्यालय का एक प्राचार्य ।</li> </ol>

उपाध्यापक, तबला शिक्षक, सहायक, अध्यापक जो रुपये १६९—३०० के बेलनमान में कार्यरत हों।

भोड:—प्राध्यापक एवं सब्सायक के पद, जिस विषय में रिक्त होंगे, उसी विषय की सनुसूची ३ (स) में बांछित सहेता प्राप्त निम्न वर्ग के कर्मचारी को ही पदोन्नति हेतु विचार में निया जायेगा, चाहे वरिष्ठता में वह मले ही कविष्ठ हो।

# मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

#### क. ५७४४/बीस/मजिस/स्था/७७

-- 100 NW 5 SV 62 W 5 2 7 7 1 1 2 3 4

भोपाल, दिनांक १६ घक्टूबर, १९७३

भारत के संविधान के सन्बद्धेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदल गत्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतर्द्वारा, मिक्षा विभाग (महाविद्यालयोन शास्त्रा) में चतुर्थ खेणी संवा भर्ती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते हुये, निम्नलिखित नियम यनाते हैं, सर्वात् —

- (१) संक्षिप्त नाम —ये नियम मध्यप्रदेश चतुर्थ धेणी सेवा (महाविद्यान्त्रयीन नाखा) भर्ती नथा पदोश्रति नियम, १९५३ कहलावेंगे।
- (२) प्रयुक्ति—ये नियम इससे संलग्न धनुसूची के स्तरभ (१) में उल्लेखित पदों के सम्यन्ध में इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर
   तियम जारी होने की तारीख से लाग होंगे।
- ... (३) वर्गीकरण तथा बेतनमान ग्रादि उक्त पदों का वर्गीकरण, उनसे सम्बन्धित बेतनमान, उक्त पदों के लिये भर्ती की पढ़ित, प्रायु सीमा (न्यूननम) श्रीर उक्त पदों से सम्बन्धित ग्रन्थ वातें उक्त थनुनूची के स्तम्भ ३ से १० में उल्लिखित होगी।
  - (४) णासनाधीन लिये गर्ने ब्रजासकीय महाविद्यालयों के चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों का संविलियन —सन् १९७० प्रथवा उसने बाद गासनाधीन लिये गर्थ महाविद्यालयों के चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों का संवि्लियन अनुसूची (१) (स) में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार किया जायेगा ।

चतुर्वे घेणी सेवा मती नियम

अनुसूची कमांक १ (अ)

# संबालनान्य, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक पर का परी की	पदा की	वर्गीकरण	बेननमान	नहीं की पड़ित, मीधी	1000	क्षत मोग्री भर्ती के जिये	ন	क्या प्रशिष्ठति हे	क्रांब्रीत/स्थानात्तरः नियोक्त करण स्ट्रीके सम्बंद	7.630
	Ē	N (8)		नता क्षांताचा पदान्नाता द्वारा वा स्थानांतार द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरेजाने याते रिक	याय सीमा (ज्यूनडम)	षायामक संस्रोपक प्रदेश	परिवीक्षा प्रदिक्षिश्रम वरिद्ध क्षांड	माना ने मान बर्जी के जिये जियोगिय वायू ब्रोम श्रीक्षीयक ब्रहेमा जायू होयी	हारा नहां के लगान व पर प्रश्नम क्रियमे प्रदेशित क्यानान्त्रण क्रिया नायेना	विवरण
(4) (4)	(3)	(x)	2	3	2	9	(ક)	(4.6)	(44)	(11)
9. जनादार	ъ.	चतुर्थ भेगी	je-	१३५१६४ १०० दक्षिणत पशेष्टिक			•••	摩	म्ख्य/क्रसंज	
२. इषतरो	0-	*	236-656 3	*	2	2			æ	
100	g.	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	5. 9?X-9%	<ol> <li>१२५—११० १०० प्रकास सीधी मरी</li> </ol>	नुस सर्	पांचरीं कथा उत्तान	17	.0		
v. nethy	U3+	×	क प्रमान्यर	€ •	# 1		*	*		
	100	THE W	(See 2)*		e	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	W			
							ļ	į		

चतुर्वे घेणी भर्ती नियम

अनुमूची कमांक-१ (ब) शिक्षण संस्थायं--महादिद्यालयान धिक्षा, मध्यप्रदेश

इस्र	में प्रका	事事	बर्गीहरण	<b>वै</b> -निमान	मर्गी की पड़िंत, क्रेक		देवन सोधी धर्मी के	E	च्या पद्मेश्रति हे	एबोन्नति/स्थातान्तर/विवृत्ति	
		12 67 67 64 86			नगा अत्य प्रशासन इस्स मा स्थासानार क्राय सभा विभिन्न पद्धतियाँ इस्स भारे भाने बाने रिक्क	मास नीमा (नुनस्म)	यावस्य क संज्ञायक बहुँद्रा	वरियोक्त परियोक्त वरि दर्भि हो, को प्रवृष्टि	and a mail and by fair fauiltea and alte destern agen enny girth	हारा थता र प्राप्त में बहु पड़कन जिलमें पड़ीक्रति,स्थानान्यस्थ किया अयेका	्व व र र र
3	(3)	(3)	ε	(%)	(4)	(€)	<u>(x)</u>	(8)	(04)	(11)	(35)
ث	ी. प्रचीतवाता वरि	3%5	बहुर्थ क्षेती	929.—1200	९० प्रतिकत दोधो भर्ती १० प्रसित्रत प्रोज्ञति	-0- -0-	रतम् रक्षा नम्बन्धितः विदय ने उत्तीये ।	4go	केदन दीशिक पहेता पादस्यक होती	क्याहाप्रसाधित हरू केटमहरूक कर्मश्रीरियों हो उसी क्रम है।	
0	२. मेड्रन	w.		\$£	१०० प्रतिकार सोधी भर्ती	1	हापर संस्टियो परीक्षा असीचे।	'n.	8	100	
<b>10</b>	द्वायवर	nº.	*	642-426	९०० प्रतिसह सोधी भरों	<b>%</b>	पांच्यो रक्षा	4	***		
85	स्बर्ध	ф-	•	44-44	৭০০ মানিদাং কামেনি	ijo P	(ii)	£	ili.	क्यांक अने २९ तक हे समैनारी उन्हीं क्या से क्यांक असे २९ (इस)	
sá.	बनादार	N-	#	256-666	ी०० प्रतिसन् परोन्नति	T	न्हो	E.	100	81	
w	वृक्त गिन्धर	n.	*	154-455 141-145	্বত মনিকল মান্তা দণ্ডা ৭০ মনিকন ঘণ্ডামন্তি	\$ . 4d.	पात्रको सभा उत्तोत	, (ii) 18	केंद्रत <i>ी वीश्राप्तिक</i> महिता दाक्दी कशा उत्तीर्थ मादकाक	क्षमांन असे श्राह्म के समस्य कर्मनादी असी क्षम क्षेत्र	
5. 4	मृत मोगीदार	کر و چ	* *	434-486			100				
	शहर मेन	σ•	50	988-880							
· 6-	एनीयत् श्रीपर	er E	373	[ 03b X2b	See feet	8		86 87	ě	3	
		(	100		45			á			

१०० प्रतिकात सीधी भरी १८ वर्ष पांचवी मजा इसीण माली पद के लिये 988-480 च् ३. बायलर बर्फ्लेन १८, तेत्र सर्वेन्ट ३५. केदर टेकर १४. मानकरनी १९. कन्द्रामी २७, मोजरी ३० मेहिनक २२. फिल्मी ३१. फोरबैत

# अनुसुची १ (स)

बासनाधीन निर्वे गर्वे अशासकीय महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संवितियन :---

- परिभाषा:—इस मनुत्रुकी में जब तक कि सन्दर्भ में ब्रन्थवा ग्रंपेक्षित न ही:—
  - (१) "महाविद्यालय" से तात्वर्य है, और इसमें सम्मिशित है, किसी भी वाम की ऐसी कोई भी ग्रीजनिक संस्था, जिसे अगासकीय सम्बन्ध या संबद्धक महाविद्यालय के रूप में किसी भी िव्यविद्यालय के विजेपाधिकार दिये पर्य ही और जिसे जासन द्वारा के लिया गया हो।
  - (२) "कर्मवारीयुन्द" से तात्पर्य है, किसी ग्रजासकीय महाविद्यालय को कासनाधीन लिये जाने के तुरत्त पूर्व, ऐसे महाविद्यालय की स्थापी या ग्रह्माची या संविद्या सेवा में कार्यरत चतुर्व श्रेणी कर्मचारी वृन्द ।
  - (३) "यन्त्रीक्षण समिति" से तात्वर्यः, उस समिति से हैं, जिसमें निम्नविधित समाविष्ट होंगे :—
    - (एक) संयुक्त तंत्रालक, महाविद्यालयीन जिल्ला, मध्यप्रदेश---प्रध्यक्ष ।
    - (वा) उप-संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश-सदस्य।
    - (तीन) शहायक संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश-सदस्य।
- प्रवृत्तीक्षण समिति को प्रधिकारिता प्रवृत्तीक्षण समिति, महाविद्यालय के कर्मचारो यृत्य को जासकीय सेवा में संवित्तियत विके गाने के मामलों पर विचार करेगी ।
  - असकीय सेवा के स्थीन संवित्यन के लिये विचार विमर्श:—प्रनृतीक्षण समिति, समृचित पदों पर संवितियन निये जाने के लिये ।
     उसे निर्दिश्य मामलों पर विचार करेगी, श्रीर यह निम्नलिखित तथ्यों द्वारा मार्ग दिशत होगी:——
    - (१) ऐसा कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश चतुर्थ धेनी सेना (महाविद्यालयीन शाखा) अहीं तथा परीक्षति नियम, १९७७ में निहित यपेक्षाओं की पृति न करता हो, उसका नीविलियन नहीं किया जर्मगा।
    - (२) ऐसा कोई भी व्यक्ति संविधित नहीं किया जायेगा. यदि उसे कदाचार या, तथा/या दाण्डिक व्यवसाध के विशे पूर्व में तासकीय या किसी क्षम्य सेवा से किसी भी समय हटाया गया हो, या पदच्यूत किया गया हो।
    - (३) हेसा कोई भी व्यक्ति, सासकीय सेवा में संविलयित नहीं किया जायेगा, यदि उसने तलामय प्रयूक्त मासकीय नियमीं के अनुसार यधियाणिकी की आयु प्राप्त कर ली हो।
- ४, समतुत्य पदो पर लंबिलियन के लिये विचार विमर्ण :—कोई भी व्यक्ति जासकीय सेवा में छैने पद पर सेविलियत नहीं किया जायेगा, जिसका बेतनमान उस पद के येवनमान से उच्चतर हो, जिस पर बहु बासन हारा महाविद्यालय जासनाधीन लिये जाने के पुत्र कार्य कर रहा था।
- ५. संवित्यन प्रारंगों का गारी किया जाना:—सनुवीक्षण गमिति इस सनुसूची के मुसंबत उपयन्थों पर विचार करने के परवात, संचालक महाविद्यालयीन विधा, मध्यप्रदेश को नमुचित सिकारिश करेगी, समिति की सिकारिश संचालक, महाविद्यालयीन विधा, मध्यप्रदेश द्वारा सनुमोदित होतें के पञ्चात आसन द्वारा निवयन प्रादेश नारी किये जायेंगे।
- ६. वरिष्ठता का निर्धारण :--किसी विशिष्ट पद पर संविक्षित व्यक्ति की बरिष्ठता महाविद्यालय के शासनाधीन लिये जाने के दिनांक से होगी। सम्बन्धित महाविद्यालय में एक ही गंवर्ष एवं वेतनमान में सम्बन्धित कमैंचारियों की बापसी बरिष्ठता वही होगी, जो महाविद्यालय के शासनाधीन लिये जाने के तुरन्त पूर्व थी।
- अदकाश के फायदे :-- किसी अवासकीय महाविद्यालय में कार्य कर रहे व्यक्ति हारा उसके संविक्षित किये जाने पर किसी अवकाश की आपे ते जाने के लिये अनुवास नहीं किया जायेगा।
  - प्रपन्नाद:--तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति, प्रवासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के सम्बन्ध में सदकाश, वेतन प्रसिदाय (शीवसेलरी कन्द्रीव्यूगन) का भुगतान कर दे, तो उसे इस प्रकार खिजत सबकाण की, मध्यप्रदेश रिवाईडड कल्स, १९३४ में मिहित निकंधनों तथा प्रधिकतम सीमा के यक्षधीन रहते हुये सामें से जाते के लिये सनुजात किया आयेगा ।
- य. स्थायीकरण प्रधिकार के रूप में नहीं हीगा:—इस प्रनुसूची के उपबन्धों के प्रधीन णासकीय सेवा में संविलिधित कोई भी व्यक्ति ऐसे तथ्य के प्रधार पर कि वह पूर्व में हो महाविज्ञालय द्वारा सेवा में स्थायी किया गया था, तासकीय सेवा में स्थायी किये जाने हेतु अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं परेंगा। ऐसे व्यक्तियों का स्थायीकरण सभय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के प्रतृत्तार किया जायेगा।
- ९. बेतन निर्धारण:—उस चनुमूची के उन्थन्धों के यथीन नासकीय सेवा में संविक्षित व्यक्ति का बेतन, उस पद के बेतनमान, जिस पर कि वह संदिलियत किया गया है, के न्यूनतम पर निर्धारित किया नायेगा, तथा संविलयन के दिलांक को उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे बेतन एवं उस बेतन के बिस पर कि उसका निर्धारण किया गया है, अन्तर की, यदि कोई हो, अविष्यकालीत बेतन क्छियों में समायोजित किये नाने वाले वैयक्तिक वेतन के हथ में उसे दिया नाथेगा।

P\$3.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा खादेणानुसार,

विनय शंकर विशेष सचिव

#### म. प्र. शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक ६०३४/४८४६-बीस-मणिसंस्थाः, ७६.

भोषाल, दिनांक ४--११-७४

शारत के संविधान के धनुष्टिय १०९ के परन्तुक द्वारा प्रयत्त शक्तियों को प्रयोग में जाते हुये, मध्यप्रवेश के राज्यवाल एतन् द्वारा, मध्यप्रदेश जिला विभाग (महाविद्यालयीन जिला) के प्राकस्मियता से वेतन वाने वाले कर्मभारियों की भवीं तथा नेवा की गतों का वितियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम जनाते हैं, प्रयोत् :--

- प्. संक्षिण्य नाम तथा प्रारम्भ :---
  - (१) ये नियम मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग (महाविद्यालगीन शिक्षा) बाकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचीरियों की भर्ती तथा मैदा गर्ते नियम, १९३६ कहलायोंगे।
  - (२) ये नियम १ जनवरी, १९७४ से प्रवृत्त हुये समझे वायेमें।
- २. परिभाषायें:---

इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से प्रन्यथा प्रपेक्षित न हो :--

- (क) "तिवृक्ति प्राधिकारी" ते ग्राधिप्रेत है, धनुमूची के कालम (१) में यथाविनिदिण्ड प्राधिकारी ।
- (ख) "प्राकित्मकता से बेतन पाने वाले कर्मचारी" से प्रानिप्रेत है, ऐसे कर्मचारियों को प्रपर्वातत करते हुये जो कि वर्ष में कतियब कालाविध्यों के लिये ही नियुक्त क्येति और जिसे कार्यालय या स्थापना में पूर्णकाल के लिये नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक प्राधार पर भूगतान किया जाता हो तथा जिसका बेतन "कार्यालय ग्राकरिसकतार्थे" पर प्रभारित किया जाता है।
- · (ग) "कर्मचारी" से अभिनेत हैं, आकरियकता से बेतन पाने वाले कर्मचारी।
  - (घ) "जासन" ने अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य का शासन ।
    - (एक) "अनुसूचित जानि का सदस्य" से धभिष्ठेत है, किसी जाति, मूल, बंध था जनजाति अथवा किसी जाति, मूल, बंध था जनजाति के समुद्र का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विविद्याद किया यथा हो, सदस्य।
    - (दो) "अनुसूचित जनवाति का सदस्य" से अभिष्ठेत हैं, किसी जनवाति, जनवाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनवाति समुदाय के भाग या किसी जनवाति या जनवाति समुदाय के भीतर के समृह का जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनवाति के रूप में विनिदिष्ट किया गया हो, सदस्य।
  - (ड) "राज्य मासन के संधीन नियमित कर्मणारिकी" से स्विभिष्ठेत है, ऐसे सासकीय कर्मचारी जो नियमित नियोजन से है और जो मासन के प्रधीन ऐसे स्थायी या सस्थायी पढ़ धारण कर रहे हों, जो स्नाकत्मिकता से बेतन पाने वाले पढ़ों से भिन्न हो।
  - (च) "सेवा" से प्रभिन्नेत है, मध्यप्रदेश प्राकस्मिक व्यय से बेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा ।
  - (छ) "धन्स्ची" से खभिपेत है, इन नियमों से संतन्न प्रनुसूची।
- १. विस्तार तथा प्रयुक्ति ---

इन नियमों में यन्त्रवा उत्तरिक्त किने गर्ने के तिनाय, मध्यप्रदेश सेना की सामान्य गर्ने नियम, १९६१ इस सेना के सदस्यों वो लागू होंगे।

सेवा का गठन:—

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :--

- (१) ये व्यक्ति जी दिनांक १-१-७४ को झाकित्मकता से येतन वाले कमेचारियों के रूप में कम-से-कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हीं और जी उस दिनांक को, अनुमूची में विनिद्धित पद धारण कर रहे थे और जिल्होंने उस दिनांक को अधि-वाधिकों को वह प्राप्त पूरी न कर की हों, जो कि राज्य णासन के अधीन नियमित नियोजन में समनुख्य बर्ग के पद धारण करने वाले कमेचारियों के लिये निहित है।
- (२) वे धाकिः---
  - (क) जो १ जनवरी, १९७३ के पण्चात् किन्तु इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हीं।

- (ख) जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्वात् इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में नर्ती किये गये ही, पांच वर्ष की सेवा पुर्ण कर सेने पर।
- ५. वर्णीकरण, पद संख्या आदि:--

सेवा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मितित पड़ों की संख्या यनुसूची में अन्तर्विष्ट उपवन्धों के अनुसार होगी।

- ६, प्रवर्गीकरण:---
  - (१) थाकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इन नियमों के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को प्रवर्गों में विभाजित किये नायेंगै:---
    - (एक) स्थायी, तथा
    - (दो) ग्रस्थायी ।
  - (२) वह कर्मवारी:--
    - (क) जिसने १ जनवरी, १९७४ को ऐसी सेवापूरी कर लो हो जो पन्त्रह वर्ष से अमन हों।
    - (ख) जो उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किया गया हो, किन्यु जिसने १ जनवरी, १९७४ को पत्द्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।
    - (ग) जो उक्त तारीख के पश्चात् नियुक्त किया गया हो।

उपरोक्त (क) की स्थिति में 9 जनवरी, 9९७४ और (ख) तथा (ग) की स्थिति में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी ब्राकस्मिकता से देतन पाने वाले कर्मचारी की ब्रास्थिति के लिये पाद होगा।

भर्ती:----

3.

- (१) छनुसूबी में विभिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के प्रधीन स्थापना, भर्ती तथा ज्येष्ठता को सम्भितित करते हुये समस्त प्रयोजनीं के लिये एक इकार्ड गठित करेगी ।
- (२) ग्राकस्थितता से वेतन पाने वाले कर्मनारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की अध्येगी।
  - (२-क) प्रत्येक जिलों में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंने :---
    - (क) संचालक/प्राचार्य द्वारा नाम निर्दिष्ट एक राजपितत ग्रीधकारी—सभापति ।
      - (ख) वथास्विति, जिला जनजाति कत्याण प्रविकारी या जिला संगठक, जनकत्याण---सदस्य ।
      - (ग) सम्बन्धित जिले का रोजगार मधिकारी—सदस्य।
  - (२-छ) सेवा के मधीन किसी भी पद पर नियुक्ति उप-निरम(२-फ) के मधीन गठित समिति की सिफारिकों के मनुसार की जायेगी।
  - (२-ग) इत नियमों की कोई भी यात अनुसूचित जातियों के सदस्यों के जिये तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये तथा अवस्थित जनजातियों के सदस्यों के लिये तथा अवस्थित अवस्था के लिये तथा अवस्था के लिये तथा अवस्था के अनुसार उपयोखित किये जाने के लिये अविक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को अनुसार उपयोखित कहीं करेगी।
  - (२-७) सेवा के अधीन पदों में सीधी भर्ती सम्बन्धी स्थापना द्वारा इस प्रयोजन के लिये मांच किये जाने पर रोजगार कार्या-लय द्वारा प्रस्तुत की पयी सूची में से, की जायेगी और जहां रोजगार कार्यान्य में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो, यहां भर्ती विशापन के जरिये आवेदन-पत्न सामन्त्रित करने के पत्रचात की जायेगी ।
  - (२-ङ) पदों को भरने के लिये सैक्षणिक प्रहुंतायें ऐसी होंगी जो कि तरस्थानी पदों पर राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिये विहित हैं। जहां तरस्थानी पद न हो, वहां ग्रहुंतायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जायेगी।
  - (२-क) जहां प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रवेक्षित प्रहेतायें रखते वाले उम्मीदवार उनलब्ध व हों यहां प्रविधित उम्मीदवारों की भर्ती इस शतं के प्रज्यक्षीन रहते हुने की जा सकेगी कि वे सम्बन्धित स्थानन हारा इस सम्बन्ध में उनविधित किये जाने किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये प्रवसर का लाभ उठाने के पश्चास् विनिर्देश्य कालाविध के भीतर स्वयं की प्रहित कर ले।

प्रवेश करने वाले नगीन व्यक्तियों की बायु, उनकी भागीरिक योग्यता तथा बश्चिवाधिकी बायु:---

भतीं तथा प्रधिवाणिकों के लिए पायु तथा गारीरिक योग्यता के विषय में सेवा में प्रवेश करने वार्य नवीन व्यक्तियों की वे नियम तथा वे नीतियां नागू होंगी जो कि नियमित नियोजन में के समनुख्य प्रवर्गों के जासकीय सेथकों को लागू हैं।

व्यव्या सूची:—

छड़नों के प्रयोजनों के लिये. प्रत्येक प्रवर्ष की उमेर उत्ता सूची प्रत्येक इकाई में या सम्पूर्ण राज्य के आधार पर, जैसा कि शासूच विकित्त्वय किया जाय जनते <del>कार्य कार्य</del> कार्य हारा विनिध्त्रय किया जाय, बनावे रखी जायेगी। जब कोई कमेचारी, जानकीय कार्य के हित में एक उकाई ने दूसरी इकाई में हैं हैबाजान्तरित किया बाब, तो बयास्थिति, छटनो के बियय में, मूल इकाई में उसकी ज्येष्ठता पर ध्यान दिया जायगा ।

मेवा ग्रभिनेख:----

स्वायी या अस्यादी कर्मवारियों के समृत्रित सेवा अभिनेत्व, प्रत्येक इकाई स्तर्पर सम्यक रूप से सत्यापित किये जाकर इस प्रारुप में रखें बावेंगे, विक्रमें शासन के प्रराजपत्रित कर्मचारी बृग्द के सेवा समिलेख रखें जाते हैं '

संशामुक्ति नम्बन्धी प्रमाण-पत्रः—

उस मामले में जर कोई कर्मचारी छट्नों के वरिणाम स्वरूप या अन्यया सेवा छोड़ दे तो उसे, मांग की जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रनःच-पत्र निम्ननिधित प्रारूप में दियाजा सकेसा, प्रधीत्:—

- (१) नाम
- (२) विता का नाम, पनि छा नाम
- (३) पहचान का चिन्ह (यदि कोई हो)
- (४) . . . . . से . . . . . तक कुल सेवा
- (१) सेवा छोड़ते समय धारित नियुक्ति
- (६) बेतनमान की दर (यदि कोई हो)
- (७) सेवा छोडने का कारण

कर्मचारी के हस्ताक्षर या प्रेपुटेका विज्ञान

नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा तथा पदाभिधान

#### १२. याचरण:--

मध्यप्रदेश सिवित सेवा (बाजरण) नियम, १९६६ के उपवन्त्र सेवा के सदस्यों को लागू होंगे, मरुलु यह कि "कदाचार" में, कर्मचारी को आर से किये गये निम्यलिखित कार्य तथा लोग भी सम्मिखित होंगे, अर्थात् :---

- (क) जासन के कारवार या सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोरी, कपट या बेईमानी।
- (क) किसी वरिष्ठ के विधिपूर्ण या वृक्तियुक्त स्रादेश की जानवृक्ष कर अनधीनता या अवता नाहे यह सकेले दारा था सन्य व्यक्तियों
- (य) जातकीय माल या सम्पन्ति का जानवृक्षकर नुकसान या हानि ।
- (प) रिश्वत या चर्तने परितोषन लेना या देशा।
- ি(৮) बिना खबकाण के आभ्यासिक सनुपरिश्रति या बिना अबकाश के दल दिन से अधिक की सनुपरिश्रति ।
  - (प) आभ्यासिक विलम्ब से उम्स्थिति।
  - (घ) स्थाना या दिशाम को लागुकिशो विधि का प्राभ्यासिक भंगा
  - (ज) स्थारना या विभाग में कार्य पंडी के दौरान कलशत्मक या विष्ठृंसन साचरण या ऐसा कोई कार्य जिससे प्रनुजासन भंग होता हो।
  - (स) प्राथ्यासिक उपेक्षा या कार्य की उपेक्षा जिसके ग्रन्तर्थत कार्य के घण्टों के दौरान सोना जाता है।
  - (ट) किसी कार्य की बाद-बार पुतरावृत्ति या उसका तोप।
  - (३) कार्य का पालन करने में जानक्षकर गति धीमी करना।

- (ड) स्यायना या विभाग को प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसो प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रगट करना जो कि कर्मचारी की उसके कार्य के धनुष्टम में प्राप्त हो।
- ा (ड) स्थारना या विभाग के परिसरों में अवा तथा सट्टा खेलना।
  - (ण) तत्समथ प्रवृत्त किसी विधि के या ऐसे नियम के जो विधि का प्रभाव रचती हैं। उपयन्तों का उल्लंधन करते हुँव हड़ताल करना या प्रत्य व्यक्तियों को इड़ताल करने के लिये उद्दीप्त करना।
  - (त) कार्य के घण्टों के दौरान मञ्चान करना या नने की हासत में पाया जाना।
- · (थ) राज्य की गुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्य करना।

#### diane. १३. शास्त्रियां :--

किसी कर्भचारी पर, निम्नलिखित णास्तियां, ग्रब्धे तथा पर्याप्त कारणों से ग्रधिरीपित की का सकेगी, सर्थात् :--

- (एक) परिनिग्दा।
- (दो) नुर्माना जो एक समय में एक दिन की उपलब्धियों से अधिक न हो।
- (तीन) येतन बृद्धियों या पटोक्रतियों का रोका जाना।
- (चार) उपेक्षा से अथवा किसी विधि के भंग द्वारा जासन को उसके द्वारा पहुंचाई किसी खाथिय हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली।
- ं (पान) किसी एक तमय में १४ दिन से सनाधिक कालायधि के लिये निजम्बन (किसी मजदूरी के निये हकदार हुये विना)।
  - (७:) निम्नतर पद या ग्रेड में स्रवनत किया जाना।
  - (स्रात) सेवा ने हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिये पनईता न हो हो।
  - (भाठ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि भावी तियोजन के लिये ग्रनर्हता होगी।

#### 9४. शास्तिमों को अधिरोपित करने के लिये प्रशिक्षा ---

- (१) नियम १३ के खण्ड (छ:), (सात) तथा (बाट) में विनिद्धित की गयी सास्तियों में से कोई भी जास्ति प्रधिरोंगित करने वाला प्रादेश:--
  - (एक) कर्मचारी को, उसके बिरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव की तथा उन प्राप्तिकथनों की, जिनके कि प्राधार पर यह कार्य-वाही की जाना प्रस्तावित है, लिखित में सूचना, जब ऐसा करना सम्भव हो, देने।
- ा कि क्षेत्र के (बी) कर्मचारी की उसके विरुद्ध लगावे गये प्रभिक्थनों के बारे में श्रपनी स्थिति स्वाट करने या यथा साध्य शीध्र धवसर देने,
  - (तीन) ऐसे स्पष्टीकरण कर, यदि बोई है, दिवार करने के पत्रवात् ही दिया गायेगा, अन्यया नहीं परन्तु यह ग्रीर कि:---
    - (१) किसी भी व्यक्ति को, सक्षम प्राधिकारी के बादेश के विमा सेवा से पदच्यूत नहीं किया जायेगा, और
    - (२) जहां विभागाध्यक्ष, राज्य की मुरक्षा के बाधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना बावक्यक समझें ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा।
- (२) उप-तियम (१) में निर्दिष्ट लिखित बादेश कर्मचारी को परिदक्त विधे जाने पर सत्काल प्रभावी होगा और कर्मचारी द्वारा उसका परिदान स्वीकार करने से इन्कार करने की दशा में, वह ग्रांदेश उस स्थापना के, जिसमें कि वह है, सुचना फलक पर विक्ता दिया वायेगा और सूचना फलक पर उसके इस प्रकार विषका दिये जाने से यही समक्षा जायेगा कि वह अदिवा उस गाउन पर तामील कर दिवा गया है।

#### १४. अपील:--

1700

- (१) कोई भी कर्मवारी नियम १३ के खण्ड (एक) तथा (दो) के प्रधीन प्रधिरोपित शास्ति को छोड़कर, ऊपर दिये गये नियम १३ के प्रधीन उस पर प्रधिरोपित किसी भी गास्ति के विरुद्ध ऐसी गास्ति ग्रधिरोपित करने वाले प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को सास्ति प्रधिरोपित करने से एक माह के भीतर प्रपील कर सकेगा। ऐसे प्रपीली प्राधिकारी का विनिश्चय यन्तिम होगा।
- (२) ज्य-नियम (१) के अधीन कोई अवील, अवीली प्राधिकारी की सीधे प्रस्तुत की जा सकेगी।

#### १६. निर्वचन:--

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रक्त उद्भूत हो, तो उसे शासन को निदिष्ट किया जायेगा, जिसका कि ा उत्त पर विनिध्यय श्रन्तिम होगा।

919. इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसकी ये नियम लागू हीते हैं, बासन की ऐसी रीति में कार्यबाही करने की शक्ति की, जो उसे (बासन की) न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमिर्य या कम करती है:---

परन्तु मामले में ऐसी किसी शीति में कार्यवाही नहीं की जायेगी जो कि उसके लिये इन नियमों में उपविधत शीति से कम अनुकृत हो ।

# अनुसूची कमांक १ (अ) (नियम १ देखिये)

# संचालनालय महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

अनुक्रम	ান্য	सेवामं समि	मस्तित प	दकानाः	T		qe	तें की संख्या		थर्गीकरण		দি	युक्ति प्राधि	कारी	2
(9)	10		(२)		5,1	Mg	-55	(§)		(%)	veta.		(x)		
٩.	ड्रायवर		**	15.65	89 S	3367				त्तीय श्रेणी		महार्ग	संचालक, देशालयोन		
٩.	चीकीदा		4.4	22	1394 1394	13066		3		चतुर्थ श्रेणी	14		-68		
¥.	स्वीपर	1	2000		-69	100		3		317		90	20		
٠,		जम फरोश *	250	2000	639	38(4)	12	7		ir			100		
ч.	बाटर ।	भन	3230	9000	<b>199</b>	2003		9	10	900			(100) (100)		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवेणानुसार,

923

भ्रवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

# अनुसूची कमांक−१ (व) (शियम १ देखिये)

# शिक्षण-संस्थायं महाविद्यालय

धनु.	क्रमांक सेवा	में समित्र	ालित पद क	ध नाम		पदों की संख्या	वर्गीकरण्	—— नियुक्ति प्राधिकाः	đ
(1)	(8	Ŗ)				(%)	(8)	( <b>x</b> )	
٩,	इलेक्ट्रिक वायर	मैन	36.87	ii)	3.0	٩	- तृतीय थेणी	प्राचार्य	
₹.	. ड्रायबर	8842	9/99	200	100	94	S 196	n	
₹.	12165	18.0				₹9	चतुर्थ श्रेणी	Y// 000/6	
Υ,	. खल्लासी			5.0	3(\$/5); 004040	7		9	
٧.	12.00		2000	0.93	5565 5416	908	27	38	
Ę.		1990	2000	101 3800	2555 2660	=¥		<i>ii</i>	
υ.	200020000 Six 50	300A 300A	199 1990	13808	9993 3080	₹4	37	4	
۹.		8666 8666	660)	(486 (486		23	#1 26		
٩.	Committee of the Commit	2000	690	3638	887		86 86	3 <b>%</b> []	
90			W655	1886	888	9%	n.	(997)	
99.		988	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	7994	96363	33	<i>R</i>	98	i i
92.			89	586	3468	9	a.	99	
93.		336	336	39392	\$355	¥	146	n:	
98.	200 (2.3)	83	888	3660	0.63	×	996	67	
94.	200	59730	220	199	245	9	950	20	
950	2=200	441	338	3633	200	×	80000	19992	
90.		162	2500	888	200	93	96	999	
95.	20.00	2000	33/22	1000	138	8	7)	0,61	
98.		100	88847	3335	899	\$	33	o .	
20.	72.14 A	3347	222	200	047	9	56	9	4
२१.	बुक लिफ्टर	25	35137	900	1/9000	q	\$6	,,	1,000
33.	5 (See 5) (See 5)	359	0897	(60)	88.0	q	ii _	,,	
₹ <b>3</b> .	जीयोलोजी मजदूर		FEET	**	336	9 9 2 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	. 11	- A	
28.	वकं प्रापकुली	9 13 <b>83</b>	300	5/3	300	9	90:	*	
94.	प्रमुप ग्रहेन्हेन्ट	85	(83)	8(8)	9835	8	<b>8</b> 6	10	
24.	वरोनी	5832	26	16.8	(890	₹	(2 <b>(46</b> ))	3.000	
70.		668	**	333	(#/ <u>\$</u> ))	٩	8496	60	
ęα,		863	35(5)	853	200	9	(0)	5 <b>26</b> 5	
29.		22	23	330	5€	(9	r.	<b>9</b> 6	
₹0.		18.0	2027	388		9	380	38	
39.	क्योलाकी सर्वेन्ट	333	8967	850	<b>*</b> ***********************************	<b>V</b>	S#60	22	
₹₹.			8990	395%	23		120	25	
₹₹.	<b>कु</b> क	3660	1000	333	250 V	, .5	"	76. St.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा वावेशानुसार

ब्रदर सचिव मध्यप्रदेश गासन, शिक्षा विभाग